द्वितीय माला, खण्ड ९—अंक १९
५ दिसम्बर, १९५७ (गुरुवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Third Session)

(खण्ड ९ में अंक ११ से अंक २० तक है)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

278 LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड ६--अंक ११ से २०--दिनांक २५ नवम्बर से ६ दिसम्बर, १९५७)

पृष्ठ

अंक ११--सोमवार २५ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४२० से ४२६, ४२८, ४२९, ४३२, ४३३, ४३५, ४३७, ४४३ से ४४८ और ४५० से ४५२ . . . ९९९--१०२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४२७, ४३०, ४३१, ४३४, ४३६, ४३८ से ४४१, ४४९ और ४५३ से ४७६ . . . . . १०२६--४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७९ से ५९८, ६०० से ६४० और ६४२ से ६५४ . . . . . १०४०--७०

स्थगन प्रस्ताव--

२३-११-५७ को बम्बई-कलकत्ता मेल की दुर्घटना . . १०७०--७३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र-- १०७३--७४

राज्य-सभा से सन्देश १०७४

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति १०७४

दिल्ली निगम विधेयक तथा दिल्ली विकास विधेयक के बारे में याचिका . १०७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

मलाबार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कल्लाई में उत्पादन बन्द होना १०७४

नागा पहाड़ियां-तुएनसांग क्षेत्र विधेयक १०७५--९३

विचार करने का प्रस्ताव १०७५

खण्ड २ से ७ और १ . . . १०९१--९३

पारित करने का प्रस्ताव १०९३

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) अध्यादेश सम्बन्धी संकल्प तथा भारत का रक्षित बैंक (दूसरा संशोधन) विधेयक . १०९४--९७, ११००--०५

२३-११-५७ को बम्बई-कलकत्ता मेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . १०९७--११००

दैनिक संक्षेपिका ११०६--११

अंक १२--मंगलवार, २६ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४७७, ४७९ से ४८३, ४८५, ४८६, ४८८ से ४९३ और ४९८ से ५०१ १११३--३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७८, ४८४, ४९४ से ४९७ और ५०२ से ५२८ . ११३६–४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५५ से ७१७ . ११४९–७७

स्थगन प्रस्ताव—

२३–११–५७ को बम्बई-कलकत्ता मेल दुर्घटना . . . ११७७–७९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ११७९

भारत का रक्षित बैंक (दूसरा संशोधन) विधेयक . . ११७९–८०

खण्डवार विचार—खण्ड १–४ स्वीकृत हुए . . ११७९–८०

पारित करने के लिये प्रस्ताव ११८०

कतिपय राज्यों में सूखे से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव– . . ११८०–९७

दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा पारित रूप में . ११९७–१२१५

दैनिक संक्षेपिका १२१६–२०

अंक १३—बुधवार, २७ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२८-क, ५२९ से ५३९, ५४१, ५४२, ५५०, ५५२, ५५५ और ५५८ से ५६० . . . १२२१–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४०, ५४३ से ५४६, ५४८, ५४९, ५५१, ५५३, ५५४, ५५६, ५५७, ५६१ से ५६३, ५६५ से ५७९ और ५८१ से ५८५ . . . . १२४७–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१८ से ७३५ और ७३७ से ७७७ . १२६१–८७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२८७–८८

राज्य-सभा से सन्देश १२८८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—दसवां प्रतिवेदन १२८८

दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १२८८–१३२०

खण्ड २ से ५८ . . १३०५–२०

वित्त मंत्री की विदेश यात्रा सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव . . १३२०–२६

दैनिक संक्षेपिका १३२७–३१

अंक १४—गुरुवार, २८ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८६ से ५९४, ५९७, ५९८, ६०० से ६०५, ६०९ और ६११ से ६१७ . . . १३३३–५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५९५, ५९६, ५९९, ६०६ से ६०८, ६१० और ६१८ से ६२९ . . . . १३६०–६७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७८ से ७८२, ७८४ से ८३२ और ८३४ से ८४१ . . . १३६७–८८

राज्य-सभा से सन्देश १३८९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

फर्रुखाबाद कानपुर सवारी गाड़ी का पटरी से उतरना . . . १३८९-९०

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १३९०

पूंजी निर्गम (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . . . १३९०

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १३९०–९१

वित्त मंत्री की, विदेश यात्रा सम्बन्धी उन के वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव . . . १३९१–९९, १४००–१२

सभा का कार्य १३९९–१४००

दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक . . . १४१२–३९

खण्डवार विचार . . . १४१२–२५

दैनिक संक्षेपिका १४३५–३९

अंक १५—शुक्रवार, २९ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३० से ६३४, ६३६ से ६४१, ६४३, ६४४, ६४७ से ६५१, ६५७ और ६५९ से ६६३ . . . १४४१–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३५, ६४२, ६४५, ६४६, ६५२ से ६५६, ६५८ और ६६४ से ६६९ . . . . १४६७–७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२, ८४३, ८४५ से ८६२, ८६४ से ८७५ और ८७७ से ९११ . . . १४७३–१५००

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट फैक्टरी में हड़ताल की धमकी . . . १५००

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १५००–०१

राज्य-सभा से सन्देश १५०१

हिमाचल प्रदेश में बस दुर्घटना १५०१–०२

सभा का कार्य १५०२

	पृष्ठ
भारतीय परिचर्या परिषद् (संशोधन) विधेयक .	१५०३–१५
विचार करने का प्रस्ताव	१५०३
खण्ड २ से १५ और १	१५१३
पारित करने का प्रस्ताव .	१५१३
अफ़ीम विधि (संशोधन) विधेयक	१५१५–२१
विचार करने का प्रस्ताव . .	१५१५
खण्ड २ से ६ और १ . .	१५२०–२१
पारित करने का प्रस्ताव . . .	१५२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
दसवां प्रतिवेदन . . .	१५२१
कॉस्टिंग परिणामों के प्रमाणीकरण सम्बन्धी आवश्यक योग्यता वाली परीक्षा को निमंत्रित करने के लिये संविहित निकाय के बारे में संकल्प	१५२१–२६
बौद्धधर्म अपनाने वालों के लिये संरक्षणों के बारे में संकल्प .	१५२६–३६
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प	१५३६–३७
दैनिक संक्षेपिका	१५३८–४२
अंक १६--सोमवार, २ दिसम्बर, १६५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७० से ६७७, ६८१, ६८३, ६८४, ६८६, ६८७, ६८६, ६६०, ६६२, ६६३ और ६६५ से ६६६	१५४३–६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७८ से ६८०, ६८२, ६८५, ६८८, ६६१, ७०० से ७११, २६८ और २७८ . . .	१५६६–७४
अतारांकित प्रश्न संख्या ६१२ से ६३०, ६३२ से ६३६ और ६३६ से ६७०	१५७४–१६००
श्री रहीमतुल्ला चिनाय का निधन . .	१६००
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . .	१६००–०१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	१६०१
कार्य मंत्रणा समिति--	
तेरहवां प्रतिवेदन	१६०१
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	१६०१–०२
समितियों के निर्वाचन के बारे में प्रस्ताव	१६०२–०३
कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक--	
पुरःस्थापित किया गया .	१६०३

पृष्ठ

छावनियां किराया नियंत्रण विधियों का विस्तार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में . . . १६०३-०६

विचार करने का प्रस्ताव . . . १६०३

खंडवार विचार . . . १६०६

पारित करने का प्रस्ताव . . . १६०६

खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव १६१०-१६

दैनिक संक्षेपिका १६१७-२१

अंक १७--मंगलवार, ३ दिसम्बर, १९५७--

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७१३ से ७१८, ७२०, ७२३ से ७२६, ७३१, ७३२, ७३४, ७३५, ७३७, ७४१ और ७४० . . . १६२३-४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७१६, ७२१, ७२२, ७३०, ७३३, ७३६, ७३८, ७३९, ७४२ से ७५७ और ७५९ से ७६३ . . . . १६४८-५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७१ से १०४१ . . . . १६५९-८८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १६८९-९०

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति १३९०

कार्य मंत्रणा समिति--

तेरहवां प्रतिवेदन १६९०

भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में १६९०

खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव १६९१-१७३०

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . . १७३०

काजू उद्योग पर आधे घंटे की चर्चा १७३०-३४

दैनिक संक्षेपिका १७३५-४०

अंक १८--बुधवार, ४ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७६४ से ७७१, ७७३, ७७६, ७७७, ७७९, ७८०, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७, ७८९, ७९१ से ७९४ और ७९८ से ८०१ . . . १७४१-६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२, ७७४, ७७५, ७७८, ७८१, ७८२, ७८५, ७८८, ७९०, ७९५ से ७९७, ८०२ से ८०७, ८०९ से ८१३ और ३४९ . . . १७६८-७७

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४२ से १०४८, १०५० से १०८४, १०८६ से १०९६, १०९८ से ११२३ और ११२५ से ११३१ . १७७७–१८१३

जीवन बीमा निगम के विनियोजन पर आधे घंटे की चर्चा की सूचना के बारे में १८१३–१४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १८१४

राज्य-सभा से सन्देश १८१४

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . १८१४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारत के संविधान की मुद्रित प्रतियों के जलाये जाने का समाचार १८१५

तारांकित प्रश्न संख्या ८७ के अनुपूरक के उत्तर की शुद्धि . . १८१५–१६

तारांकित प्रश्न संख्या २०८ के उत्तर के बारे में वक्तव्य . . . १८१६

मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित १८१६

पूंजी निर्गम (नियंत्रण) संशोधन विधेयक १८१६–२६

विचार करने का प्रस्ताव १८१६

खण्ड १ से ८ . . . . १८२५

पारित करने का प्रस्ताव १८२५

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक . १८२६–२७

विचार करने का प्रस्ताव १८२६

खण्ड १ से ३ . . . . . . १८२७

पारित करने का प्रस्ताव १८२७

जीवन बीमा निगम के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . १८२८–४८

दैनिक संक्षेपिका १८४९–५४

अंक १९—गुरुवार, ५ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ८२१, ८२३, ८२४, ८२६, ८२९, ८३१, ८३५ से ८४०, ८४२ से ८४४ और ५४७ . . १८५५–८०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . १८८१–८२

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२२, ८२५, ८२७, ८२८, ८३०, ८३२ से ८३४, ८४१ और ८४५ . . . १८८२–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११३२ से १२१० . . . १८८५–१९१७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १९१७

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १९१७–१८

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १९१९–२०

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक— . . . १९२०–३१

विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

खंड १ से ३ . . . १९३१–३२

पारित करने का प्रस्ताव . . . १९३२

कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक . . . १९३२–४६

विचार करने का प्रस्ताव . . . १९३२

खंड १ से ७ . . . १९४६

पारित करने का प्रस्ताव . . . १९४६

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक . . . १९४६–५१

विचार करने का प्रस्ताव . . . १९४६

कार्य मंत्रणा समिति—

चौदहवां प्रतिवेदन १९५०

दैनिक संक्षेपिका १९५२–५६

अंक २०—शुक्रवार, ६ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४६ से ८५३, ८५५ से ८६१, ८६४, ८६६ से ८६८, ८७०, ८७१, ८७४ और ८७५ . . . १९५७–८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . १९८४–८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५४, ८६२, ८६३, ८६५, ८६९, ८७२, ८७३, ८७६ से ८९९ और ४४२ . . . १९८५–९८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२११ से १२२७ और १२२९ से १२९२ . . . १९९८–२०३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २०३३–३४

वर्ष १९५७-५८ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में विवरण . २०३४

सभा का कार्य २०३४

पृष्ठ

आसाम के तेल निक्षेपों से तेल निकालने के लिये रुपया समवाय बनाने के बारे में वक्तव्य १०३५

भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति के लिये निर्वाचन के बारे में प्रस्ताव २०३६

दण्ड-विधि संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित २०३६

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक—पुरःस्थापित . . २०३६–३७

सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किराया कर (वितरण) विधेयक—पुरःस्थापित २०३७

डफरिन की काउन्टेस निधि विधेयक—पुरःस्थापित २०३७

कार्य मंत्रणा समिति—

चौदहवां प्रतिवेदन २०३८

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक —

विचार के लिये प्रस्ताव २०३८–५५

खण्ड २ से १८ तथा १ . . २०४६–५४

संशोधित रूप में, पारित करने का प्रस्ताव २०५४

मंजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव २०५५–५६

समान पारिश्रमिक विधेयक—पुरःस्थापित २०५६

बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव . २०५६–६३

बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक—

विचार करने के लिए प्रस्ताव . २०६३–७१

राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्यौहारों की सवेतन छुट्टी विधेयक—

विचार करने के लिए प्रस्ताव २०७१–७३

आधे घंटे की चर्चा—

खाद्यान्नों पर अग्रिम धन २०७३–७७

दैनिक संक्षेपिका २०७८–८४

नोट—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, ५ दिसम्बर, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

संयुक्त राष्ट्र आपात सेना[+]

†*८१४. { **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसका कोई संकेत मिला है कि भारतीय सेना की टुकड़ी को जो इस समय मिस्र में नियत है संयुक्त राष्ट्र आपात सेना में कब लौटाया जायेगा; और

(ख) इस समय वहां भारतीय सेना के कितने व्यक्ति हैं ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) नहीं।

(ख) भारतीय सेना की टुकड़ी में ११७४ पदाधिकारी तथा सैनिक हैं।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार को मालूम है कि यह टुकड़ी मिस्र में कितने दिन रहेगी और यदि हां, तो कितने दिन ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी नहीं। कोई समय निश्चित नहीं किया गया है।

†**श्री राधा रमण** : इस सेना पर भारत सरकार कितना खर्च कर रही है ? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसमें कोई अंशदान दे रहा है यदि हां, तो कितना ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इस सेना के खर्च के लिये १०० लाख डालर का आवंटन किया गया है जिसमें भारत का अंश उतना ही है जितना कि संयुक्त राष्ट्र में।

---

†मूल अंग्रेजी में

+U. N. E. F.

†**श्री दी० चं० शर्मा :** संयुक्त राष्ट्र आपात सेना का संगठनात्मक ढांचा क्या है और क्या वह कमांडर से आदेश प्राप्त करती है या कि संयुक्त राष्ट्र के कमांडरों से और वह कमांडर किस देश का है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** हमारी सेना की टुकड़ी हमारे कमांडर के आदेश के अनुसार कार्य करती है ।

†**श्री कासलीवाल :** प्रेस समाचारों से पता चलता है कि जिन अन्य दो या तीन देशों ने संयुक्त राष्ट्र आपात सेना बनाने में योग दिया था उन्होंने बाद में अपनी सेनायें वापस बुला लीं और अब कहा जाता है कि उसके स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस बल स्थापित किया जायेगा । यह कहां तक ठीक है और यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या राय है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस की स्थापना एक अधिक महत्व का प्रश्न है और वह इस से उत्पन्न नहीं होता ।

'भारत, १९५७'[२]

†*८१५. **श्री वि० च० शुक्ल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान पब्लिकेशन्स डिवीजन की शासकीय निर्देश पुस्तक "भारत, १९५७" में सन्निहित कुछ त्रुटियों की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें "उच्चतम पर्वतों" के अन्तर्गत जो पर्वत शिखरों और उनकी ऊंचाइयों के वर्णन दिये गये हैं वे भारत के सर्वेयर जनरल के अभिलेखों में प्रकाशित तथ्यों के विपरीत हैं; और

(ख) सरकार इस बात के लिये क्या कदम उठाने का विचार कर रही है कि भविष्य में शासकीय निर्देश पुस्तक में ऐसी गलत सूचना न जाये ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) और (ख). हां, श्रीमान् । भारत के सर्वेयर जनरल के परामर्श से संशोधन किये जा रहे हैं ।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** क्या जैसी एक अशुद्धि का उल्लेख किया गया है वैसी अन्य कोई अशुद्धि भी सरकार की जानकारी में लाई गई है ?

†**डा० केसकर :** यह निर्देश-पुस्तक आंकड़ों और सामग्री की पुस्तक है और इस बात का प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है कि दिये गये तथ्य बिल्कुल सही हों । परन्तु यह संभव है कि ऐसे विस्तृत खंड की तैयारी में इधर उधर अशुद्धियां रह जायें । संवाददाताओं द्वारा कुछ छोटी मोटी अशुद्धियों का अपने मतानुसार संकेत किया गया है । एक या दो मामलों में वे सही रहे हैं । परन्तु अन्य मामलों में उनकी बात गलत सिद्ध हुई । जब कभी भी कोई अशुद्धि हमारी जानकारी में लाई जाती है तो उसका संशोधन किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[२] 'India, 1957'

आयातों के लिए रुपयों में भुगतान

†*८१६. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मशीनों और पूंजी वस्तुओं का संभरण करने वालों को भारत में भारतीय रुपए में भुगतान स्वीकार करने के लिए विवश करने को कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन कौन से देश हैं जिनके निर्माता इस समय भारतीय रुपए में भुगतान स्वीकार कर रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) संभवतः माननीय सदस्य कुछ देशों के साथ हुए उन करारों का निर्देश कर रहे हैं जिनमें वाणिज्यिक भगतानों के भारतीय रुपए में किए जाने का उपबन्ध है तथा जो मांग पर स्टर्लिंग में परिवर्तित किए जा सकेंगे ।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा पूर्वी जर्मनी, रुमानिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और सोवियत संघ में कुछ निर्माताओं के साथ की गई व्यवस्थाओं के अनुसार भुगतान रुपयों में किए जा रहे हैं जिनका उपयोग भारतीय वस्तुओं की खरीद के लिए किया जाएगा ।

†**श्री वें० प० नायर :** माननीय मंत्री की धारणा सही नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात के लिए कोई कदम उठाए हैं कि भारतीय आयातकों द्वारा चाही गई मशीनों के विदेशी संभरण-कर्ताओं को भारत में भारतीय रुपयों में भुगतान किया जाय ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** यदि माननीय सदस्य उन देशों के अतिरिक्त किन्हीं देशों का निर्देश कर रहे हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है तो उन देशों के संभरण-कर्ताओं द्वारा भारतीय रुपयों में भुगतान स्वीकार किये जाने से विदेशी मुद्रा में कोई बचत नहीं होती है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-निधि के अन्तर्गत दायित्वों के अनुसार रुपये को किसी भी समय स्टर्लिंग में परिवर्तित किया जा सकता है ।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या सरकार के लेखे में मशीनों के आयात के मामले में सरकार ने संभरण-कर्ताओं के साथ इस प्रश्न की चर्चा की है कि क्या वे उन देशों में, जो सूचीबद्ध नहीं हैं, भुगतान भारतीय रुपयों में स्वीकार करेंगे ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** कुछ संभरणकर्ता भारतीय रुपयों में भुगतान लेने को सहमत हो गए हैं । जैसा कि मैंने कहा, इन्हें मांग पर स्टर्लिंग में परिवर्तित किया जा सकता है ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मंत्री ने चेकोस्लोवाकिया के संबंध में उल्लेख किया है जिसने भारतीय रुपयों में भुगतान लेना स्वीकार कर लिया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह भी सच है कि चेकोस्लोवाकिया ने अपने लिए यह वरणाधिकार रखा है कि यदि निकट भविष्य में भारत की पौंड-पावना स्थिति सुधरती है तो वह भुगतान स्टर्लिंग में किए जाने की मांग कर सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह सच है । उस देश के साथ एक सामान्य व्यापार करार है जिसके अन्तर्गत वह स्टर्लिंग में भुगतान की मांग कर सकते हैं । परन्तु, कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए, उस देश के साथ एक अलग करार किया गया है जिसके अन्तर्गत रुपए में किये गये भुगतान का उपयोग भारत में वस्तुओं की खरीद के लिए किया जाएगा ।

†**श्री वें० प० नायर** : भारतीय रुपए की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए और अपनी विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस प्रश्न की चर्चा अन्य देशों के साथ सरकारी स्तर पर की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : माननीय सदस्य द्वारा रखी गई समस्या के दो पहलू हैं : परिवर्तनीय रुपया और अपरिवर्तनीय रुपया । मेरे सहयोगी जो उत्तर दे रहे थे वह परिवर्तनीय रुपयों के संबंध में था । जहां तक अपरिवर्तनीय रुपयों का संबंध है, सूचीबद्ध वस्तुओं की एक श्रेणी है । इसके अतिरिक्त हमारे कुछ भुगतान संतुलन भी हैं । ये सूचीबद्ध वस्तुयें जिनका सामान्यतः उस देश को निर्यात नहीं किया जाता है, यदि वह देश सूचीबद्ध वस्तुओं में से खरीद करने की हमारी प्रार्थना मान रहा हो, तो हम उन्हें अपरिवर्तनीय रुपयों में वैसा करने की अनुमति देते हैं ।

†**श्री हेडा** : माननीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि कुछ रुपए परिवर्तनीय हैं और कुछ रुपए अपरिवर्तनीय हैं । क्या उन्होंने परिवर्तनीय रुपयों के संबंध में कोई सीमा निर्धारित की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां । सामान्यतः प्रत्येक करार के साथ एक मुद्रा-सीमा[3] संलग्न रहती है; इन चार देशों के संबंध में भी ऐसी सीमा है ।

यूरोपीय सामान्य बाजार योजना[4]

+

†*८१७. **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री हेडा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योरपीय सामान्य बाजार योजना के निर्माण के क्षेत्र एवं प्रभावों का सरकार द्वारा अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत के व्यापार पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). योरपीय सामान्य बाजार योजना का सरकार को उपलब्ध सामग्री के आधार पर अध्ययन किया गया है । इस संबंध में माननीय सदस्य का ध्यान २ अगस्त, १९५७ को सर्वश्री रघुनाथ सिंह, कासलीवाल और श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ५८३ के संबंध में वित्त मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है । योजना अभी तक लागू नहीं हुई है और उसके भारतीय व्यापार पर

---

†मूल अंग्रेजी में

[3]Monetary ceiling

[4]European Common Market Scheme

संभावित प्रभावों का निर्धारण करना असामयिक होगा। परन्तु समुद्र-पार राज्य-क्षेत्रों के संघ का मतलब होगा एक नए अधिमान्य गुट का निर्माण होगा जिसका हमारे निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। परन्तु योजना पर व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य समझौता संगठन[1] में विचार किया जा रहा है और यह आशा की जाती है कि इसकी अभिपूर्ति ऐसे प्रबन्धों द्वारा की जाएगी जो समझौता करने वाले समस्त पक्षों के लिए सन्तोषप्रद समझे जायेंगे।

†**डा० राम सुभग सिंह** : अपने उत्तर में उन्होंने कहा है कि इस योजना के एक भाग का हमारे निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। मैं जानना चाहता हूं सरकार अपने हितों, हमारे निर्यात व्यापार के हितों, की रक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाने का विचार कर रही है?

†**श्री कानूनगो** : संभावित प्रतिकूल प्रभाव वर्षों के उपरान्त अनुभव किए जायेंगे : तुरन्त नहीं। हम देखभाल कर रहे हैं क्योंकि व्यवस्था अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। हमारे समक्ष उसका स्पष्ट चित्र यहां नहीं है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : इस योजना के संबंध में जेनेवा में हुए व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य समझौता सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने क्या क्या कहा था?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : उसके अतिरिक्त कुछ नहीं जो स्वयं करार में ही सन्निहित है।

†**श्री हेडा** : आज के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित हुए ब्रिटेन के विरोधी दल के नेता सर ह्यग गेट्स्कल के इस आशय के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने सामान्य बाजार में सम्मिलित होने के संबंध में अंतिम प्रबन्ध नहीं किए हैं, कि वे खुले व्यापार क्षेत्र में सम्मिलित हो रहे हैं, वह स्वयं अन्त का प्रारंभ है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने व्यापक दृष्टिकोण लिया है अथवा वे प्रभावों का अनुभव किए जाने तक प्रतीक्षा करेंगे?

†**श्री मोरारजी देसाई** : हम इस सबका भी विचार कर रहे हैं और प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। दोनों कार्य किए जा रहे हैं।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : कौन कौन से देश योरपीय सामान्य बाजार योजना में सम्मिलित होने के लिए सहमत हो गए हैं?

†**श्री कानूनगो** : रोम की संधि के अन्तर्गत छ देशों अर्थात् पश्चिम जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लक्जेम्बर्ग और इटली ने एक करार किया था। उन्होंने सन्धि पर मार्च, १९५७ में हस्ताक्षर किए हैं परन्तु उस सन्धि के क्रियान्वयन के संबंध में अभी भी चर्चा और विचार किया जा रहा है।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या सरकार ने इसके संबंध में अपने विचार ब्रिटेन की सरकार के समक्ष रखे हैं और क्या कोई चर्चायें हुई हैं?

†**श्री कानूनगो** : इसके हमारे देश पर और अन्य देशों पर भी प्रभावों के संबंध में व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य समझौता संगठन में चर्चा चल रही है परन्तु अभी तक स्पष्ट चित्र हमारे सामने नहीं आया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]G. A. T. T.

†**श्रीमती रेणुका राय :** क्या सरकार ने इस मामले के संबंध में ब्रिटेन की सरकार के साथ निर्दिष्ट रूप से चर्चा की है और उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**श्री कानूनगो :** हम इसकी व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य समझौता संगठन म सब देशों के साथ चर्चा कर रहे हैं जिसका ब्रिटेन भी एक सदस्य है ।

†**श्री हेडा :** वर्तमान राष्ट्रमंडलीय प्रशुल्क अधिमान्यताओं को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में हमारी सरकार का क्या विचार है कि क्या ब्रिटेन अकेला कार्यवाही कर सकता है अथवा उन्हें कोई कार्यवाही करने से पूर्व हमारे साथ परामर्श करना होगा ?

†**श्री कानूनगो :** इन सबकी व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य समझौता संगठन में चर्चा की जानी है क्योंकि वह समझौता हमारे ऊपर लागू होता है और उल्लंघन करने वालों को सहमत किया जाना चाहिए ।

चाय का उत्पादन

***८१८. श्री भक्त दर्शन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पांच पहाड़ी ज़िलों, यथा देहरादून, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल और टिहरी गढ़वाल में १९५० से १९५६ तक प्रति वर्ष चाय का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या यह सच है कि इन ज़िलों में चाय का कारबार दिनोंदिन घटता जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो चाय उद्योग को विकसित करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) सभा की मेज़ पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६५]**

(ख) गिरावट का कोई खास रुख देखने में नहीं आया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, इस विवरण से स्वयं स्पष्ट है कि जब कि सन् १९५५ में चाय का उत्पादन २१३१ हज़ार पौंड हुआ, १९५६ में वह १८०४ हज़ार पौंड सैकड़ा रह गया और सन् १९५७ में जहां तक मेरी जानकारी है चाय का उत्पादन उससे भी नीचे गिर गया है। क्या गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि चाय उपयोगी सिद्ध न होने के कारण चाय के कई बगीचे समाप्त करके वहां पर खेती की जाने लगी है और क्या इस सम्बन्ध में कोई विशेष कार्यवाही की जायेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : इससे ज्यादा पैदा नहीं होगा । और खेती में ज्यादा पैदा होगा तो खेती करें, इसमें कोई नुक़सान नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि उन पांच ज़िलों में जो चाय होती है वह अधिकांशतः हरी चाय होती है, उसके लिए इस समय प्रतिबंध बढ़ते जा रहे हैं और उसका बाज़ार कम होता जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मोरारजी देसाई : यह बात सही है कि अफ़गानिस्तान में जितनी हरी चाय जाती थी, उतनी अब नहीं जाती है और इसीलिए वहां टी बोर्ड की ओर से एक डेलिगेशन गया था और उन लोगों ने वहां कुछ बातचीत की है और मैं समझता हूं कि उससे कुछ नतीजा निकलेगा और कुछ फायदा भी पहुंचेगा ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या मैं जान सकता हूं......

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है कि इसे अफगानिस्तान में क्यों नहीं खरीदा जा रहा है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** मेरा प्रश्न भिन्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** और हर बार वही उत्तर होता है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** मैं उत्पादन के बारे में पूछना चाहता हूं अफगानिस्तान के बारे में नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं देख रहा हूं कि सदस्य यत्र तत्र किसी प्रश्न को पकड़ लेते हैं और फिर उसे बार बार पूछ कर दूसरे सदस्य को भी, जिसने कि प्रश्न की सूचना दी होती है, अनुपूरक प्रश्न पूछने से वंचित कर देते हैं । मैं अब यह प्रस्ताव रखूंगा कि जिन सदस्यों ने प्रश्न की सूचना दी हो उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने का पहले मौका दिया जाये तथा अन्य सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले अनुपूरक प्रश्नों की संख्या को बिलकुल सीमित रखा जाये ।

आयात व्यापार नियंत्रण नीति

+

†*८१६. { **श्री हेडा :**
श्री स० म० बनर्जी : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे पदार्थों और पुर्ज़ों की सप्लाई के बारे में अपनी अंतिम निर्यात व्यापार नियंत्रण नीति के प्रभावों का सर्वेक्षण कर लिया है;

(ख) क्या वह उक्त सर्वेक्षण के प्रकाश में प्रतिबन्धों में कुछ सुधार कर रही है; और

(ग) वस्तुतः कठिन मामलों के कष्टों को दूर करने के लिये यह अन्य कौन से उपाय कर रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) से (ग) अक्तूबर १६५७ से मार्च १६५८ की वर्तमान लाइसेंसिंग अवधि के लिये निर्यात नीति की अभी हाल ही में घोषणा की गई थी। अभी इस नीति का कच्ची वस्तुओं तथा पुर्जों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अनुमान लगाना बहुत शीघ्र होगा। फिर भी इसके प्रभाव को ध्यानपूर्वक देखा जा रहा है और अगर कहीं पर कमी अनुभव हुई तो यथासम्भव निवारक उपायों का प्रयोग किया जायेगा ।

†**श्री हेडा :** क्या कुछ उद्योगों ने यह शिकायत की है कि इस आयात नीति के कारण उनके उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है यदि हां तो वे कौन कौन से उद्योग हैं ?

---

†मू अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : अभी तक कोई ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है ।

†**श्री हेडा** : बढ़िया किस्म के रासायनों की क्या स्थिति है जो कि अन्य उद्योगों के लिये कच्चे माल का काम देते हैं ; क्या इस नीति का उन के उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : अभी तक उनके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । यदि कोई प्रभाव पड़ेगा तो फौरन निवारक उपायों का प्रयोग किया जायेगा । यदि कोई विशेष उदाहरण हो तो हम उसकी जांच करने को तैयार हैं ।

हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड

+

†*८२०. { **श्री आसर** :
श्री खुशवक्त राय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने १९५४ में हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड की पैनिसिलिन परियोजना के टेक्निकल पहलुओं की उत्पादन और गवेषणा की दृष्टि से परीक्षा करने के लिये वैज्ञानिकों की एक विशेषज्ञ ममिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो उस समिति ने कोई सिफारिशें की हैं;

(ग) इस बीच किन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है; और

(घ) क्या इसकी रिपोर्ट की एक प्रति, जिसमें सिफारिशें दी हुई हों, सभा पटल पर रखी जायेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समिति ने तीन रिपोर्टें पेश की हैं ।

(ग) पहली दो रिपोर्टों में की गयी अधिकांश सिफारिशों पर अमल किया जा चुका है । तीसरी रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों की जांच पड़ताल की जा चुकी है और जहां जरूरी समझा गया है, कार्रवाई शुरू कर दी गयी है ।

(घ) इन रिपोर्टों की प्रतियां सभा की मेज पर रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा होने की संभावना नहीं है ।

श्री आसर : क्या यह सच है कि समिति की इस सिफारिश के बावजूद कि सुपरिनटेंडिंग इंजीनियर का पद समाप्त किया जाय, न केवल ऐसा नहीं किया गया है परन्तु उसके नीचे नये इंजीनियरों की नियुक्ति की गई है ?

श्री सतीश चन्द्र : पूरा समझ में नहीं आया ।

डा० राम सुभग सिंह : उन्होंने पूछा है कि क्या यह सच है कि सुपरिनटेंडिंग इंजीनियर का पद समाप्त किया जाय जिसकी कि सिफ़ारिश कमेटी ने की थी उसको न करके और नीचे के अफ़सरों को बहाल कर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सतीश चन्द्र : इस तरह की कुछ सिफ़ारिशें कमेटी ने की थीं लेकिन मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि कमेटी का काम सिर्फ़ यह था कि प्रोडेक्शन और रिसर्च के बारे में वह अपनी सिफ़ारिशें दे । ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उसकी कोई राय नहीं मांगी गई थी । इस वक्त फ़ैक्टरी बढ़ रही है, साठ परसेंट एक्सपेंशन करने का काम चल रहा है और इस प्रकार की सिफारिशों को नई रोशनी में देखना होगा कि क्या हो सकता है ।

†**श्री खाडिलकर :** क्या यह सच है कि समिति की सिफारिशें इंचार्ज श्री डोगरा द्वारा खटाई में डाल दी गई थीं जिस के आचरण की अब जांच हो रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** समिति की कोई सिफारिश किसी व्यक्ति द्वारा खटाई में नहीं डाली गई । प्रबन्ध संचालक ने वास्तव में इन रिपोर्टों को बोर्ड के सामने रखा था । इन पर पूर्णरूपेण विचार किया गया । इनमें कई सिफारिशें स्वीकार भी की गई हैं और उन को कार्यान्वित भी किया गया है । किन्तु कुछ सिफारिशों के बारे में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां थीं । इसलिये उनको कार्यान्वित नहीं किया जा सका है ।

†**श्री वें० प० नायर :** माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि सिफारिशों की प्रति को सभा के पटल पर रखने का कोई लाभ नहीं है । किन्तु क्या मैं जान सकता हूं कि जो सदस्य उसके पढ़ने में लाभ समझते हैं उनको उसकी प्रतियां उपलब्ध कराई जायेंगी तथा क्या इन सिफारिशों में ऐंटी-बायोटिक्स यथा एरोमाईसीन तथा टेटरासिसलिन के, जो कि हमारे देश में नहीं बनती है, बनाने के संबंध में कोई सिफारिश है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** इस समिति की दो रिपोर्टें तब की हैं जबकि यह कारखाना अभी बन रहा था । तीसरी रिपोर्ट ऐसे विस्तृत मामलों, जैसे कारखाने में संगठन, उत्पादन, गवेषणा संबंधी कार्य, विभिन्न कार्यों का समायोजन तथा कारखाने के भावी विकास की रूपरेखा, से संबंधित थी । ये सब विषय बड़े टेकनिकल हैं । उन में उत्पादन लेखा आदि विस्तृत बातें दी हुई हैं जिनका कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से बताना जनहित में नहीं है ।

†**श्री वें० प० नायर :** मैं केवल यह जानना चाहता था ......

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों को अपने प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट शब्दों में पूछने चाहिये ।

†**श्री वें० प० नायर :** मैं यह जानना चाहता था कि हम में से जो सदस्य इसको पढ़ना चाहें क्या उन को इस की प्रति मिल सकेगी ? यह चाहे कितनी भी कठिन हो हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने दो तीन प्रश्नों को एक साथ मिला दिया था । मैं स्वयं भी नहीं समझ सका कि वे क्या चाहते हैं । इसलिये मैं ने कहा कि प्रश्न स्पष्ट शब्दों में पूछने चाहियें ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** यदि कोई इस के टेकनिकल विषयों को समझना चाहता हो तो हम निश्चय ही उस के लिये यह सिफारिशें उपलब्ध करा सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चाय का निर्यात

\+
*८२१. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री त्रि० कु० चौधरी :
श्री परुलेकर :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी-सितम्बर, १९५७ में भारत से चाय के निर्यात में कमी हुई;

(ख) यदि हां, तो कितनी और उसके क्या कारण हैं;

(ग) १९५५ और १९५६ में उसी अवधि में कितनी चाय का निर्यात किया गया; और

(घ) चाय के निर्यात में और कमी को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). १९५३, १९५४, १९५५, १९५६ और १९५७ के पहले नौ महीनों में चाय का निर्यात क्रमश: ३१.५५, २७.३१, २५.९५, ३५.२ और ३०.२ करोड़ पौंड हुआ। १९५६ में खतम होने वाले चार वर्षों की जनवरी से सितम्बर, तक की अवधि में हुए निर्यात के औसत से तुलना करें तो १९५७ की इसी अवधि में हुए निर्यात में कोई कमी दिखाई नहीं देती।

(घ) सरकार के विचार से यह स्थिति ऐसी चिन्ताजनक नहीं है कि फौरन ही कोई खास कार्रवाई करने की जरूरत हो, फिर भी निर्यात बढ़ाने के लिये साधारण तौर पर बराबर कोशिशें की जा रही हैं।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** इस अवधि में डालर क्षेत्र में कुल कितनी चाय भेजी गई ? क्या १९५७ में इस की मात्रा में कुछ कमी हुई है ?

†**श्री कानूनगो :** १९५६ के मुकाबले में कनाडा तथा अमेरिका को, जो कि प्रमुख डालर क्षेत्र हैं, जाने वाली चाय की मात्रा में कुछ कमी हुई है।

†**श्री दासप्पा :** क्या सरकार ने इसी अवधि में जबकि हमारे यहां से डालर क्षेत्र में जाने वाली चाय में कमी हुई है लंका से उस क्षेत्र में जाने वाली चाय के आंकड़े जानने का प्रयत्न किया है ?

†**श्री कानूनगो :** मेरे पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो हम उन को पता लगाकर बता सकते हैं।

श्रीमती इला पालचौधरी उठीं—

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** जब अन्य सदस्य खड़े हो रहे थे तब माननीया महिला सदस्या नहीं खड़ी हुईं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** मैं कई बार खड़ी हुई मगर श्रीमान् का ध्यान ही नहीं गया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीया सदस्या कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या चाय बोर्ड को इन वर्षों में चाय का प्रचार बढ़ाने के लिये जो रुपया दिया गया था उसका उसने पूरा पूरा प्रयोग किया है खासकर १९५७–५८ में?

†**श्री कानूनगो :** यह आवश्यक नहीं कि बोर्ड सारा रुपया खर्चे । वह इसका अच्छे से अच्छे प्रकार से लाभ उठाता है । और यह नहीं कहा जा सकता कि हमारा निर्यात बहुत कम हो गया है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या सरकार को यह ज्ञात है कि लंका, दक्षिण अफ्रीका और इंडोचीन से सस्ते मूल्यों पर चाय आने के कारण चाय में बड़ी प्रतियोगिता बढ़ गई है तथा क्या वह निर्यात को बढ़ावा देने के लिये निर्यातकर कम करने का विचार कर रही है ?

†**श्री कानूनगो :** हमें इस बढ़ती हुई प्रतियोगिता की जानकारी है किन्तु हम अभी निर्यात कर कम करने का कोई विचार नहीं कर रहे हैं ।

सीमावर्त्ती घटनाएं

†*८२३. { **श्री शिवनंजप्पा :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बांगशी ठाकुर :
श्री ले० अचौ सिंह : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ पाकिस्तानी सशस्त्र व्यक्ति अक्तूबर, १९५७ में अग्रताला के जलालपुर गांव में भारतीय सीमा में घुस आये थे और उन्होंने गांव वालों पर गोलियों की वर्षा की ;

(ख) यदि हां, तो इस से कितने भारतीय मरे हैं ;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) तथा (ख). यह घटना जलालपुर गांव में घटित हुई । १३ अक्तूबर, १९५७ को चार या पांच पाकिस्तानी नागरिक त्रिपुरा में कोतवाली थाने के एक गांव में भारतीय सीमा में घुस आये थे । भारतीय नागरिकों द्वारा विरोध करने पर उनमें से एक व्यक्ति ने उन पर गोली छोड़ दी । इस के फलस्वरूप दो भारतीय नागरिक मरे और एक घायल हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को इस संबंध में एक विरोध पत्र भेजा है और उसे अपराधियों को तत्काल दंड देने के लिये कहा है तथा यह भी कहा है कि वह घायल भारतीय नागरिकों को तथा मृत नागरिकों के परिवारों को उचित मुवावजा दे।

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या सशस्त्र पाकिस्तानियों के बार बार भारतीय सीमा में घुस आने के कोई युक्तिसंगत कारण बताये जा सकते हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। यह रिपोर्ट मिली है कि उन्हों ने यह कहा है कि वे लोग कुछ संदिग्ध तस्कर व्यापारियों का पीछा करते हुए भारतीय सीमा में घुस आये थे ?

†**श्री शिवनंजप्पा** : इन बार बार की घटनाओं को देखते हुए क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ उपयुक्त उपाय करने का विचार रखती है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : सीमा घटनाओं के सम्बन्ध में एक विशेष प्रक्रिया है हम उस के उपबन्धों का सावधानी से प्रयोग कर रहे हैं ताकि उन लोगों को कुछ राहत मिल सके।

†**श्री ले० अचौ सिंह** : क्या पाकिस्तानी अधिकारियों ने हमारे विरोध पर कुछ कार्यवाही की है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : समय समय पर पाकिस्तान सरकार को अनेक विरोध पत्र दिये गये हैं। सीमा क्षेत्रों के मुख्य सचिवों के बीच बात चीत भी हुई है। और हमें कुछ राहत भी मिली है।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : अभी अभी उपमंत्री महोदया ने कहा कि वे कुछ तस्कर व्यापारियों का पीछा कर रहे थे. . . . . . .

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं ने यह नहीं कहा। यह तो उन लोगों ने बताया है।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या वे लोग सीमा-शुल्क अधिकारी थे अथवा सामान्य लोग ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : उन में से एक बंगाल के बाहर का रहने वाला था और वह पाकिस्तानी सशस्त्र बल का व्यक्ति प्रतीत होता था।

सीमेंट का आयात

†*८२४. श्री नरसिंहन् : **क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) विदेशी मुद्रा की कठिनाई का सीमेंट आयात कार्यक्रम पर कितना प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सीमेंट आयात कार्यक्रम पिछड़ गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस से देश में सीमेंट के समुच्चय मूल्य (पूल प्राइस) पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) क्या सरकार सीमेंट के वर्तमान समुच्चय मूल्य के पुनरीक्षित करने का विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) पुराने करारों के बचे हुए आयात के सिवा कोई ऐसा नया आयात नहीं किया जा रहा जिस पर विदेशी मुद्रा का व्यय हो।

(ख) बकाया करारों सम्बन्धी आयात सामान्यतः समय पर हो रहे हैं।

(ग) आयात सीमेंट के मूल्य की वित्तीय सहायता का पहले ही उपबन्ध है अतः समुच्चय मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता।

(घ) नहीं, श्रीमान्।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या मैं आंकड़े जान सकता हूं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम ने ५,७८,००० टन सीमेंट के आयात का ठेका किया था जिस में से ३,४३,००० टन अक्तूबर के अन्त तक आने की आशा थी और यह सीमेंट तदनुसार पहुंच गया है।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या देश के सीमेंट निर्मताओं की ओर से समुच्चय मूल्य औचित्य अथवा अनौचित्य के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह प्रश्न सभा में कई बार उठाया गया है। समुच्चय मूल्य पर सामान्य सम्मेलन और कई बैठकों में सीमेंट निर्माताओं में सहमति प्रकट की थी और यह मूल्य एक वर्ष से भी अधिक समय से लागू है और किसी भी व्यक्ति ने इस का विरोध नहीं किया।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** : सामान्यतः हम किन देशों से सीमेंट का आयात करते हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : सामान्यतः पाकिस्तान, रूमानिया, रूस, जापान और अन्य देशों से।

†**श्री च० द० पांडे** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समुच्चय मूल्य इस विचार से निर्धारित किया गया था कि लगभग ८००,००० टन सीमेंट का आयात किया जायेगा परन्तु क्योंकि केवल ३००,०००टन सीमेंट का आयात किया गया है अतः क्या सरकार मूल्य को कम करने की आवश्यकता पर विचार करेगी ताकि सीमेंट निर्माता की बजाये उपभोक्ता को लाभ हो ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक वर्तमान समस्या का सम्बन्ध है आयात किये जाने वाले तथा वस्तुतः आयात किये गये सीमेंट से कोई अन्तर नहीं पड़ा। अतः इस समय मूल्य को बदलने का हमारा कदापि विचार नहीं है।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मूल्य को कम न कर सकने का एक और भी कारण है। यह वांछनीय नहीं क्योंकि यदि अब हम मूल्य कम कर देते हैं तो अधिक चोर बाजारी होगी। हम चोर बाजारी पर हाल ही में तो कुछ काबू पा सके हैं। यदि यही मूल्य रखा जाये तो वह राजकोष में ही जाता है। पता नहीं लोग क्यों इस का विरोध करते हैं।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के प्रथम वर्ष के प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि सीमेंट के इस समुच्चय मूल्य में से ५ करोड़ रुपया एक प्रकार की रक्षित निधि के रूप में रखा गया है। यदि हां तो सरकार उस का क्या प्रयोग करना चाहती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस प्रश्न का निर्णय तो आय-व्ययक के समय किया जाता है। यदि माननीय सदस्य तब तक प्रतीक्षा करें तो सरकार की राय का पता लग जायेगा।

†**श्री कासलीवाल** : क्या पाकिस्तान ने अपना अभ्यंश पूरा कर दिया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हां, श्रीमान्।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्रि० ना० सिंह :** क्या सरकार अन्य मामलों की तरह इस समुच्चय निधि और अन्य समुच्चय निधियों के वर्षानुसार संतुलन-पत्र और लेखे सभा पटल पर रखेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** राज्य-व्यापार निगम एक ऐसा अभिकरण है जो सीमेंट का आयात करता है और सीमेंट के बाजार का प्रबन्ध करता है। उस के लेखों का विवरण सभा पटल पर रखा जा चुका है। अन्य समुच्चय मूल्यों अर्थात् इस्पात के धारण मूल्य आदि का विषय समय समय पर सभा के सामने लाया जाता है और इस वर्ष हम इसे नियमित आय-व्ययक में लाने का तथा प्रतिवर्ष के लेखों में दर्ज करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री अ० चं० गुह :** स्पष्टीकरण के लिये मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** स्पष्टीकरण का प्रश्न नहीं। मैं ६ अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं। अगला प्रश्न।

विस्थापित लोगों के दावे

†*८२६. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विस्थापित लोगों के दावों के बदले में दी जाने वाली १०,००० रुपये की शहरी कृषि भूमि का खंड आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है, और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे लाभदायक बनाने के लिये सीमा बढ़ाई जायेगी ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) जी नहीं। क्षत्ति-पूर्ति नियमों के अधीन १०,००० रुपये अथवा कम के शहरी मकान, दुकानें और जगहें दी जाती हैं। इसी प्रकार शहरी कृषि भूमियों के सम्बन्ध में १०,००० रुपये अथवा कम मूल्य की भूमि देनेकी सुविधा दी गई है। सरकार की इच्छा सीमा बढ़ाने की नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या यह सच है कि औद्योगिक स्थापनाओं के मामले में १०,००० रुपये तक के दावे का समायोजन किया जाता है। यदि ऐसा है तो कृषि भी तो एक उद्योग है उस में इस सिद्धान्त का पालन क्यों नहीं किया जाता ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** माननीय सदस्य की दूसरी बात से मैं सहमत नहीं। परन्तु जहां तक सरकार का सम्बन्ध है वह शहरी कृषि भूमि को शहरी सम्पत्ति के समान ही मानती है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या यह जानने के लिये १०,००० रुपये की शहरी कृषि भूमि आर्थिक दृष्टि से हानिकर होगी अथवा अन्यथा कोई गवेषणा की गई है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** ऐसी कोई बात नहीं कि वह भूमि हानिकर है। वह केवल नगरपालिका की सीमाओं में है। उस का प्रयोग या तो सब्जी बोने के लिये अथवा बस्तियां बसाने के लिये किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कच्ची फिल्म का कारखाना[1]

†*८२९. **श्री नंजप्प** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार से कोई प्रतिवेदन इस सम्बन्ध में मिला है कि कच्ची फिल्म का कारखाना लगाने के लिये मद्रास राज्य के जिला नीलगिरि में उराकमंड के समीप एक स्थान को चुना गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? अथवा वह क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री नंजप्प** : इस समवाय को चलाने वाले कौन हैं और इस में क्यों देर हो रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस में साझेदार कोई नहीं है । इस कारखाने को सरकार स्थापित करेगी परन्तु बात चीत अभी चल रही है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या सरकार उराकमंड में कच्ची फिल्म का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में पूर्वी जर्मन सरकार से बातचीत कर रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह तो ठीक है परन्तु एक और समवाय ने भी कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव किया है । इन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि यह कारखाना कहां लगाया जायेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : समवायों में से एक का प्रतिनिधिमंडल आया था और उस ने बहुत से स्थान देखे थे तथा कुछ अस्थायी निर्णय भी किया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार ने अभी निर्णय नहीं किया । माननीय सदस्य कारखाने के स्थान के बारे में ही जानना चाहते थे ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ ।

अणु शक्ति

†*८३१. **श्री म० कु० घोष** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए, अणु शक्ति, सम्बन्धी कार्य करने वाले लोगों की स्वास्थ्य परीक्षा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस का परिणाम क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Raw Film Factory

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) तथा (ख). अणु-शक्ति प्रतिष्ठान, ट्राम्बे, का चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग उन सब कर्मचारियों की समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षा करता रहता है, जो रेडियो धर्मिता के तत्वों के सम्पर्क में आते हैं, क्योंकि अणु शक्ति विकास के कार्य में खतरे हैं। यह विभाग सम्बन्धित कर्मचारियों के स्वास्थ्य का निरन्तर ध्यान रखता है और आवश्यक उपचार भी करता है।

ट्राम्बे प्रतिष्ठान का स्वास्थ्य भौतिकी विभाग[७], 'प्रतिष्ठान' के कर्मचारियों को रेडियो धर्मिता के हानिकर प्रभाव से बचाने के लिये उत्तरीदायी है और इस प्रयत्न में रेडियो धर्मिता से सम्बन्धित कार्य करने वाले, सारे कर्मचारियों के लिये एक फिल्म बैज सर्विस[८] और लेबोरेटरी मोनिटरिंग सर्विस[९] का उपबन्ध है।

मैं यह स्पष्ट कर दूं कि फिल्म बैज सेवा क्या है। संभवतया माननीय सदस्य इस को समझते नहीं हैं। कोट तथा कलाइयों पर एक प्रकार की फिल्म पहनी जाती है जो किसी भी प्रकार के रेडियो धर्मी प्रभाव को पकड़ लेती है। सप्ताह में एक बार इस फिल्म बैज की जांच की जाती है। जिस से पता लग सके कि इस पर क्या प्रभाव हुआ है। यदि किसी व्यक्ति के फिलम बैज में रेडियो धर्मिता का प्रभाव अधिक मिलता है तो उस की परीक्षा की जाती है।

और भी कई प्रकार से जांच की जाती है। खून की जांच की जाती है। उंगलियों के चिन्ह लिये जाते हैं जिस से यह पता लगे कि उंगली के चिन्हों में कोई परिवर्तन हुआ है। इन चिन्हों की जांच की जाती है और उपचार किया जाता है।

†**श्री म० कु० घोष** : क्या सरकार का विचार आस पास के पौधों की जांच करने का भी है क्योंकि संभव है उन पर शीघ्रता से तथा अधिक शक्ति से प्रभाव होता हो ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जो व्यक्ति वेधशालाओं के अन्दर काम करते हैं, उन की जांच की जाती है। अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में यही है कि यदि यह एक बार पौधों में चला जाता है तो निश्चित रूप से बाहर के अन्य मानवों में भी चला जाता है। इस की भी थोड़ी बहुत संभावना है, और इसीलिये केवल पौधे ही नहीं अपितु मनुष्यों की भी जांच की जा रही है।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या यह पर्याप्त है कि आक्रमण के पहले स्तर पर प्रभावोत्पादक रूप में उप-विचार किया जा सकता है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य कृपा करके मेरे पहले उत्तर को देखें।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन**: क्या दैनिक जांच में रेयर अर्थ फैक्टरी के कर्मचारियों पर इस का बुरा प्रभाव पाया गया है; तथा यदि हां, तो क्या उपचार किये गये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे इस प्रकार के प्रभावों की जानकारी नहीं है। परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि कोई प्रभाव नहीं हुआ है। मुझे जानकारी बताई जाती है और जैसा कि मैं ने बताया कि इन प्रभावों की जांच के लिये सभी संभावित सावधानी रखी जाती है। यदि किसी कर्मचारी के फिल्म बैज में, उंगलियों के चिन्हों, में रक्त में रेडियो धर्मिता का थोड़ा सा भी प्रभाव पाया जाता है तो उस की जांच की जाती है। सावधिक परीक्षा के पश्चात् यदि थोड़ा सा भी प्रभाव पाया जाता है तो उस को सेवा मुक्त कर के उस का उपचार किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[७]Health physics Division

[८]Film Badge Service

[९]Laboratory Monitoring Service

भारत-लंका तम्बाकू करार

+

† ८३५. श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेडा :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका से भारत में कोई प्रतिनिधिमंडल आया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल ने किन विषयों पर सरकार से बातचीत की है;

(ग) क्या भारत-लंका तम्बाकू करार का पुनर्नवीकरण करने पर विचार किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम हुए ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यतया भारत-लंका तम्बाकू करार के पुनर्नवीकरण पर बातचीत की थी। इस ने कुछ कम मात्रा में दाल आदि के लंका को निर्यात के बारे में भी बातचीत की थी ।

(घ) नये समझौते को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। परन्तु ५००० टन दाल लंका को निर्यात कर दी गई है ।

†**श्री राधा रमण** : लंका में भारत निर्मित वस्तुयें बहुत बिकती हैं तो क्या इस आधार पर भारत में निर्मित अन्य वस्तुओं का भारत से लंका को निर्यात के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है?

†**श्री सतीश चन्द्र** : अन्य वस्तुयें जैसे हथकरघे का कपड़ा आदि के आयात के बारे में बात चीत हो रही है परन्तु प्रतिनिधिमंडल मुख्यतया भारत-लंका तम्बाकू करार पर बातें करने यहां आया था क्योंकि यह ३१ अगस्त,१९५७ को समाप्त हो गया था। इस के आगामी चार वर्ष के लिये पुनर्नवीकरण के बारे में बातचीत की गई हैं ।

†**श्री राधा रमण** : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि बातचीत को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस को अन्तिम रूप देने में सरकार को कितना समय लगेगा तथा क्या इस के शीघ्र की कोई संभावना है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : समझौता वास्तव में हो चुका है, केवल भारत सरकार तथा लंका सरकार द्वारा अनुसमर्थन होना शेष है। अभी इस का अनुसमर्थन नहीं हुआ है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या लंका तथा भारत के बीच हुए समझौते में लंका सरकार ने हमारी अन्य वस्तुयें लेना भी स्वीकार कर लिया है; तथा यदि हां, तो वे वस्तुयें क्या हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र**: जैसा कि मैं ने बताया यह तम्बाकू समझौते के पुनर्नवीकरण के बारे में था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० स० मूर्ति : : कितनी मात्रा में तम्बाकू भेजा जायेगा ?

†श्री सतीश चन्द्र : खाने के जाफना तम्बाकू की १,५०० गांठें भारत में आयात की जायेंगी और लंका को सिगरेटों के लिये बीड़ी और तम्बाकू का निर्यात किया जायेगा । वस्तुतः यह समझौता एक किस्म का तम्बाकू भेज कर दूसरे किस्म का तम्बाकू मंगाने के लिये है ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : मूल समझौता, जो समाप्त हो गया है, के अनुसार खाने के तम्बाकू के आयात से तामिलनाद के खाने के तम्बाकू का उत्पादन करने वालों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। समझौते को अन्तिम रूप देने में क्या उस पर भी विचार किया जायेगा ?

†श्री सतीश चन्द्र : ऐसा नहीं है। इस से हमारे उत्पादकों पर कोई असर नहीं पड़ा है । परन्तु इस समझौते में यह भी उपबन्ध है कि प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशत कोटा घटा दिया जायेगा ।

†श्री वें० प० नायर : माननीय मंत्री ने बताया कि समझौते के अनुसार हम १,५०० गांठें जाफना तम्बाकू ले रहे हैं और कुछ बीड़ी और तम्बाकू भेज रहे हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि लगभग कितने मूल्य का बीड़ी और तम्बाकू समझौते में उल्लिखित किया गया है ?

†श्री सतीश चन्द्र : बीड़ी तथा तम्बाकू के निर्यात से हमें, प्रस्तावित समझौते की अवधि में लगभग दो करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा मिलेगी ।

†श्री थानू पिल्ले : क्या यह सच है कि लंका सरकार ने हमारे बीड़ी के निर्यात पर शुल्क लगा दिया है और क्या हमारे तम्बाकू आयातों का निर्णय करने से पूर्व इस तथ्य पर भी विचार किया गया था ?

†श्री सतीश चन्द्र : इन सभी मामलों पर विचार किया जा चुका है ।

भारत-नेपाल व्यापार संधि

+

†*८३६. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या प्रधान मंत्री २३ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनरीक्षित भारत-नैपाल व्यापार सन्धि सम्पन्न हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस में क्या क्या मुख्य परिवर्तन किये गये हैं ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आतिशबाजी

†*८३७. श्री हेडा : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतिशबाजी की कुछ वस्तुओं, जैसे, 'एटम बम', 'चैम्पियन क्रैकर', 'पुटपुटिया' तथा 'पिस्टल' पर कुछ दिन पूर्व लगा प्रतिबन्ध सफल रहा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिवाली से पहले तथा दिवाली पर आतिशबाजी की इन वस्तुओं से दुर्घटना होने के परिणामस्वरूप कुल कितने व्यक्ति मरे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) प्रतिबन्ध तीन प्रकार की चीजों पर लगाया गया है, अर्थात् 'एटम बम', 'चैम्पियन क्रैकर' तथा 'पुटपुटिया' प्रतिबन्ध सफल रहा है ।

(ख) जहां तक हम को पता है, प्रतिबन्धित पटाखों की दुर्घटना से कोई मृत्यु नहीं हुई है ।

†**श्री हेडा** : समाचारपत्रों में दिया था कि दिल्ली में दिवाली सुन्दर तो थी परन्तु धूमधाम की नहीं थी । क्या मैं जान सकता हूं कि बड़ी जनसंख्या वाले अन्य नगरों में भी वही कार्यवाही क्यों नहीं की गई जो दिल्ली म की गई ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : आतिशबाजी के सम्बन्ध में नियम समस्त देश में लागू हैं । मैं नहीं जानता कि दिवाली में अन्य नगरों में धूमधाम थी अथवा नहीं थी ।

†**श्री हेडा** : ऐसी वस्तुओं के लाने ले जाने में कुछ दुर्घटनायें हुईं । जहां तक प्रतिबन्धित वस्तुओं का सम्बन्ध था, उन को चोरी-छिपे लाया गया । क्या सरकार को विशेषतया हैदराबाद नगर के बारे में ऐसी जानकारी मिली है, तथा यदि हां, तो क्या सावधानी बरती गई ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : आतिशबाजी के सामान के परिवहन के सम्बंध में मैं बताना चाहता हूं कि तीन दुर्घटनायें हुई थीं, जिस पर सभा में चर्चा हुई थी । जो कुछ उस समय कहा गया था, मैं उस से अधिक कुछ भी कहने को तैयार नहीं हूं । मुझे हैदराबाद की कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि इन आतिशबाजी की वस्तुओं से पर्याप्त हानि होती है क्योंकि निर्माता रेलवे के पैकेज नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और इसी फलस्वरूप इतनी दुर्घटनायें हो रही हैं ? 'पुटपुटिया' के निर्माण को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जहां तक 'पुटपुटिया' का सबन्ध है, उनपर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । बाजार में जो भी 'पुटपुटिया' हैं, वह सभी अवैध रूप से निर्मित हैं ।

काजू के छिलके का तेल

†*८३८. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काजू के छिलके के तेल का उत्पादन करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) १९५६-५७ में इस तेल की भारत में कितनी खपत हुई और कौन से मुख्य उद्योगों में यह काम में लाया गया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) केन्द्रीय सरकार ने अब तक कोई ठोस कार्य नहीं किया है यद्यपि उद्योग के विकास के सामान्य प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु ऐसा अनुमान है कि लगभग ४०० टन काजू के छिलकों का तेल प्रत्येक वर्ष प्लास्टिक तथा रंग उद्योग, हल्की लकड़ी का काम, जहाजों के तले पर रंग करने, मछली पकड़ने के जालों आदि के उद्योग में खप जाता है।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार को इस बात का पता है कि काजू के कारखानों में काफी ऐसा सामान होता है जिस से कि तेल निकाला जा सके, परन्तु ऐसा इसलिये नहीं किया जाता कि काजू के तेल की बिक्री नहीं है ?

†**श्री कानूनगो**: दुर्भाग्य से, बचत वाला ढंग यहां है नहीं। तेल निकालने का सस्ता ढंग यहां बहुत से कारखानों में नहीं है। इस समस्या पर हम विचार कर रहे हैं कि कोई ऐसा ढंग निकाला जाय जिस से यह व्यर्थ में जाने वाली चीज का उपयोग करके, उस का कुछ बनाया जाये।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि काजू के तेल को प्लास्टिक उद्योग की मूल वस्तु के रूप में प्रयोग किये जाने की सम्भावना है ?

†**श्री कानूनगो** : यह जांच की गई है। जैसाकि मैंने कहा है, और कुछ मात्रा में यह देश में प्रयोग भी होता है परन्तु अधिकतर इस का निर्यात ही होता है। यदि यह उत्पादन सस्ता हो तो सारी मात्रा की यहीं खपत हो सकती है।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार द्वारा काजू के तेल को निर्यात करने की सम्भावना पर विचार किया गया है, यदि हां, तो इस का परिणाम क्या रहा है ?

†**श्री कानूनगो** : कुछ सार्थ निर्यात कर रहे हैं, परन्तु हमारा विचार है कि उत्पादन अधिक होने पर इस का निर्यात भी बढ़ सकता है।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार ने इस काजू के तेल से कुछ और ढूंढने की सम्भावना पर विचार किया है ?

†**श्री कानूनगो** : नहीं, अभी तो हम, इस अवस्था में ही हैं कि पता लगाया जाय कि किस प्रकार अच्छे और सस्ते ढंग से तेल निकाला जा सकता है। इस के बाद अगला कदम उठाया जायेगा।

भारतीय अर्थशास्त्रियों को छात्रवृत्तियां

+

† ८३९. { **श्री शिवनंजप्पा** :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि गवेषणा कार्यक्रम समिति की स्थायी समिति ने विदेशों के आर्थिक विकास के विभिन्न अंगों का अध्ययन करने के लिये भारतीय अर्थशास्त्रियों को छात्रवृत्तियां देने की योजना लागू करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) विदेशों में आर्थिक विकास के अध्ययन के लिये अधिछात्रवृत्तियां देने के प्रस्ताव पर गवेषणा कार्यक्रम समिति की स्थायी समिति की बैठक में १७ अक्तूबर, १९५७ को विचार किया गया था।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : इन अर्थशास्त्रियों को जिन देशों में भेजा जायेगा उन का नाम क्या है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : इस सम्बन्ध में नियुक्त समिति द्वारा अध्ययन के क्षेत्रों का अभी निश्चय किया जाना है । उदाहरणार्थ, श्री वी० के० आर० वी० राव का सुझाव है कि कुछ को जापान भेजा जाये ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योग

\+

†*८४०. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री कालिका सिंह :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुखमरी और बेकारी की समस्या को हल करने के लिये पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में कारखाने बनाये जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो वे कारखाने कौन से हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह :)** : (क) जी हां ।

(ख) विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जा रहा है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६६]**

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या विवरण में उल्लिखित कारखानों ने काम आरम्भ कर दिया है ?

†**मनुभाई शाह** : कई कारखानों ने काम आरम्भ कर दिया है और कई में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

†**श्री विश्वनाथ राय :** कारखानों में लगाये गये कर्मचारियों की संख्या क्या है?

†**श्री मनुभाई शाह** : इसका पता सब कारखानों की स्थापना पूरी हो जाने पर ही लग सकेगा । परन्तु अनुमानतः इन तमाम कारखानों के कर्मचारियों की पूरी संख्या ३०,००० से ४०,००० तक होगी ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : चीनी की मशीनों का कार्य कब से आरम्भ किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : चीनी की मशीनों का कार्य आरम्भ हो चुका है । चुर्क की सीमेंट फैक्टरी के विस्तार का कार्य भी हो रहा है । शीशे की बोतलें और शीशियां तथा बिजली का सामान बनाने का कार्य भी हाथ में लिया जा रहा है ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या यह सुविधायें दक्षिण बिहार और छोटा नागपुर को भी दी जायेंगी, क्योंकि प्रत्येक तीसरे चौथे वर्ष वहां सूखा पड़ जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सरकार की निश्चित नीति है कि सारे ऐसे क्षेत्रों की सहायता की जाये ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : विवरण में दिया है कि चीनी मशीनरी, सीमेंट, बाइसिकल, शीशे की बोतलें और शीशियों का निर्माण पूर्वी उत्तर प्रदेश में होगा । क्या स्थानीय लोगों को ऊंचे पदों पर भी लगाया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सामान्यतः यह सम्भव नहीं होता कि विशेष प्रकार के कार्यों से सम्बन्धित पदों की भर्ती किसी राज्य विशेष से ही की जाय । उनकी भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर ही की जाती है, और यदि आवश्यकता हो, तो किसी विदेशी विशेषज्ञ को भर्ती कर लिया जाता है ।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : एक स्थानीय व्यक्ति होने के नाते मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस बात की सम्भावना पर विचार करेगी कि इस बात की जांच की जाये कि यह निकाय स्थानीय लोगों को भर्ती करने में क्यों असफल रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इन कारखानों में, जिनमें अभी काम आरम्भ नहीं हुआ, स्थानीय लोग भर्ती किये गये हैं अथवा नहीं । परन्तु इस बात का आश्वासन दिया जा सकता है कि जब भी कोई कारखाना उत्पादन कार्य को आरम्भ करता है तो इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाता है कि स्थानीय श्रम को ही अधिक से अधिक भर्ती किया जाय । अधिकांश पर्यवेक्षण कर्मचारी स्थानीय क्षेत्र से ही भर्ती किये जाते हैं । ऊपर के कुछ पदों पर ही अन्य क्षेत्र के लोग भर्ती होते हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह गलत है ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : ८० प्रतिशत बाहर के होते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

नेपा पेपर मिल्स

†*८४२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान बिजली घर के बायलरों की शीर्षणी (हैडर्स) के फटने से पहले से ही नेपा पेपर मिल्स में विद्युत् शक्ति की कमी की समस्या मौजूद थी ;

(ख) नेपा नगर में, नेपा मिल तथा अन्य अभ्युदित उद्योगों की विद्युत् शक्ति की मांग को पूरा करने के लिये सरकार क्या पग उठा रही है ; और

(ग) नेपा नगर के उद्योगों की विद्युत् शक्ति की मांग कब तक पूरी हो जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) वर्तमान उत्पादन की दृष्टि से विद्युत् शक्ति का संभरण काफी था ।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश विद्युत् बोर्ड ने नेपा मिल और उसके आस पास के छोटे छोटे नगरों को बिजली देने का काम अपने ऊपर लिया है । नेपा नगर के कास्टिक

सोडा संयंत्र को विद्युत् संभरण का कार्य विद्युत् बोर्ड के विचाराधीन है । बोर्ड इस बात पर विचार कर रहा है कि नेपा मिल तथा अन्य उद्योगों की अतिरिक्त विद्युत् शक्ति की मांग को किस प्रकार पूरा किया जा सके ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : विद्युत शक्ति की कमी के कारण नेपा मिल के उत्पादन को किस सीमा तक हानि पहुंच रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जैसा मैंने कहा अभी हाल के लिए विद्युत् काफी है। नेपा मिल अपने उत्पादन की पूरी शक्ति पर नहीं पहुंचा है । उत्पादन शनैः शनैः बढ़ रहा है । परन्तु वर्तमान उत्पादन के लिए उपलब्ध विद्युत् शक्ति काफी है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मिल के अपने उत्पादन की पूरी शक्ति पर पहुंच न सकने के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : जैसा गत बार भी स्पष्ट किया था कि बांस और इमारती लकड़ी का आयात सामान तथा स्टीम के बायलर इत्यादि और विद्युत् इन बातों की नेपा मिल में कमी है । अब उनकी व्यवस्था की जा रही है और हमें आशा है कि ८० से ८२ टन तक की प्रतिदिन की उत्पादन शक्ति को प्राप्त कर लिया जायेगा ।

†**श्री हेडा** : कार्यक्रम के अनुसार मिल ने अखबारी कागज बनाना आरम्भ किया है । क्या यह ठीक है कि अब उन्होंने सफेद कागज बनाने का निर्णय किया है ताकि उसकी पूरी उत्पादन शक्ति का प्रयोग किया जा सके ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह अखबारी कागज बनाने की ही मिल है, दूसरा कागज यहां नहीं बनता ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस उत्पादन की लागत का आयात हुये कागज की लागत से तुलना कैसी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : काफी अच्छी है।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : इस समवाय के प्रबन्धकों ने पहले जो जानकारी हमें दी थी, उसमें बड़ी कठिनाई बिजली की कमी की बताई गयी थी । परन्तु अब मंत्री महोदय के कथन से पता चला है कि कठिनाई कुछ मशीनरी की चीजों के अभाव की है, जिसके कारण पूरा उत्पादन प्राप्त नहीं किया जा सका । वास्तविक तथ्य क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य ने शायद बात का एक ही अंग लिया है । इन दो बातों के अतिरिक्त कई बातें और भी हैं, परन्तु यह दो प्रमुख हैं । जहां तक विद्युत् संभरण का सम्बन्ध है, मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड कारखाने की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न कर रहा है ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या मध्य प्रदेश सरकार से यह भी प्रार्थना की गयी है कि उपलब्ध होते ही चम्बल से भी विद्युत् नेपा नगर को दी जाय ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : जहां तक हमारी जानकारी है, चम्बल की विद्युत शक्ति अन्य कामों में लगाई जायेगी ।

कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योग

†*८४३. **श्री हेडा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक दिल्ली उद्योग तथा श्रम निदेशालय के पास, कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को राज्य सहायता नियम, १९५६ के अन्तर्गत, ऋणों की मंजूरी के लिये कुल कितने प्रार्थना पत्र आये ;

(ख) उसमें से कितने स्वीकृत हुए ; और

(ग) क्या सरकार राज्य सरकार के कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने में समर्थ है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन के पास १९५६-५७ में कुल ६२१ प्रार्थना पत्र आये थे, जिनमें से १७८ स्वीकृत हुए थे । चालू वित्तीय वर्ष में ४७४ और प्रार्थना पत्र आये हैं, लेकिन उनमें से अभी तक एक भी स्वीकृत नहीं हुआ है ।

(ग) जी हां, दिल्ली प्रशासन को छोटे पैमाने के उद्योगों के उद्योगपतियों को देने के लिये पर्याप्त निधियां दी जा रही हैं ।

†**श्री हेडा** : दिल्ली क्षेत्र के तीव्र औद्योगीकरण को ध्यान में रखते हुए, मैं पूछता हूं कि ऋणों को मंजूर करने की इस व्यवस्था का भार पंजाब राज्य को ही क्यों सौंपा गया है, और क्या उससे दिल्ली के हितों पर कोई बुरा प्रभाव पड़ा है, या नहीं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इन ऋणों की मंजूरी का कार्य पंजाब सरकार को नहीं सौंपा गया है । यदि माननीय सदस्य मध्यम दर्जे के और बड़े बड़े ऋणों का उल्लेख कर रहे हैं, तो दूसरी बात है । ये ऋण तो कुटीर उद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को राज्य सहायता नियम के अन्तर्गत दिये जाते हैं, और दिल्ली प्रशासन ही प्रत्यक्ष रूप से इनका प्रशासन करता है ।

†**श्री हेडा** : माननीय मंत्री ने अभी अभी जो आंकड़े दिये हैं उनसे पता चलता है कि केवल २२ प्रतिशत प्रार्थनापत्रों पर ही ऋण मंजूर किये गये हैं, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि पर्याप्त निधियों की व्यवस्था की जा रही है । ये निधियां कुल कितनी हैं और क्या ये विचाराधीन पड़े तथा नये प्रार्थनापत्रों के लिये पर्याप्त होंगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रार्थनापत्र स्वीकृत होने के लिये कई अर्हतायें हैं । इसलिये प्रार्थनापत्र मात्र दे देने से ही वह स्वीकृत नहीं हो पाता । हमने चालू वर्ष में दिल्ली प्रशासन को लगभग २५ लाख रुपये इसके लिये दिये हैं ।

†**श्रीमती मंजुला देवी** : क्या आसाम राज्य को भी इस योजना के अन्तर्गत कुछ मिला है, यदि हां, तो कितना ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : मेरे पास सभी राज्यों के अलग अलग आंकड़े हैं । आसाम राज्य को लगभग १५ लाख रुपये मिले हैं।

भारतीय गोल मिर्च

†*८४४. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगापुर और कोचीन से उपभोक्ता देशों को गोल मिर्च भेजने के वस्तु भाड़े की दरों का गोल मिर्च के भारतीय निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या किया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मलाबार से यूरोप के पत्तनों को गोल मिर्च भेजने के वस्तु भाड़े की दरों में, १९५५ के स्तर की अपेक्षा, लगभग २५ प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है और अमरीका के पत्तनों को भेजी जाने वाली गोल मिर्च के वस्तु भाड़े की दरों में लगभग ४० प्रतिशत वृद्धि की है । सिंगापुर से भेजी जाने वाली गोल मिर्च का वस्तु भाड़ा कम पड़ता है, और शिकायतें आई हैं कि यूरोप के और अमरीकी बाजारों में भारतीय गोल मिर्च के संबंध में कठिनाई पड़ती है ।

(ख) नौवहन महानिदेशक ने सम्बन्धित नौवहन सम्मेलनों के साथ वस्तु भाड़े की दरों की इस असमानता के सम्बन्ध में बात शुरू कर दी है ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या हम आशा रखें कि नौवहन सम्मेलन शीघ्र ही हमारे पक्ष में कोई निर्णय करेगा ?

†**श्री कानूनगो** : : पहली बार की बातचीत तो असफल रही है, अब दूसरी बार शुरू की जा रही है ।

श्री वें० प० नायर : क्या गोल मिर्च के हमारे निर्यात की यह समस्या इसीलिये उत्पन्न हुई है कि भारतीय गोल मिर्च विदेशों के मांस के पैकिंग उद्योग द्वारा अपेक्षित घटिया गोल मिर्च से कहीं अधिक बढ़िया किस्म की है, यदि हां, तो हम, इस दृष्टि से, अन्य देशों के अपने निर्यात में संवर्धन करने के लिये क्या करने का विचार कर रहे हैं ?

†**श्री कानूनगो** : मैं ने अन्य प्रश्नों के उत्तर में बताया है कि हम इस सम्बन्ध में कई उपाय कर रहे हैं । हमें गोल मिर्च की घटिया किस्मों और सस्ते मूल्यों की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है । हम यह जानते हैं, और गोल मिर्च बोर्ड इस संबंध में कुछ उपाय कर भी रहा है ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार को मालूम है कि हमारे यहां गोल मिर्च की जितनी भी खेती होती है वह सभी बढ़िया किस्म की गोल मिर्च की है और अब बाजारों पर अधिकार करने के लिये घटिया किस्म की गोल मिर्च की खेती आरम्भ कर देना सम्भव नहीं है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : हम घटिया किस्मों की खेती नहीं करना चाहते, हम बढ़िया किस्मों के लिये नये ग्राहकों की तलाश में हैं ।

हिन्दुस्तान एन्टी-बायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड

*५४७. **श्री ग्रासर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड को पैनिसिलिन के निर्माण के लिये जिन पदार्थों, जैसे कि लैक्टोज, ग्राउन्डनट मील, फास्फोटिक एसिड, पोटाशियम एसिड की आवश्यकता होती है, वे आवश्यकता से बहुत अधिक मात्रा में खरीद ली गई हैं, और लाखों रुपयों का एसिड का स्टाक बेकार पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). जिन पदार्थों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है उनमें से लैक्टोज को छोड़कर जिसके बदले काम आने वाली एक अन्य स्वदेशी वस्तु खोज निकाली गयी है, अन्य कच्चे पदार्थों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनका स्टाक जरूरत से ज्यादा है क्योंकि यह स्टाक कुछ ही महीनों की आवश्यकता पूरी करने लायक है । फिर भी कच्चे पदार्थों का स्टाक काफी है या नहीं, इस प्रश्न पर समय समय पर निम्नलिखित बातें ध्यान में रखकर विचार करना होता है—(क) उत्पादन कार्यक्रम (ख) विविध स्रोतों से कच्चे पदार्थों की उपलब्धि (ग) जहाज द्वारा माल मंगाने और परिवहन की कठिनाइयां आदि । इन पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) लैक्टोज के आधिक परिमाण तथा अन्य कुछ कच्चे पदार्थों को जिन्हें मौजदा हालातों में फालतू समझा जाएगा, बेच डालने का प्रस्ताव है ।

श्री ग्रासर : क्या यह बात सच है कि पिम्परी के प्रोडक्ट (उत्पादों) के बारे में जो सर्टिफिकेट्स दिये गये हैं वे बिल्कुल झूठे हैं और बने हुए सैम्पल्स सर्टिफाईड (नमूने प्रमाणीकृत) कराने के लिए फुड एंड ड्रग्स ऐडमिनिस्ट्रेशन वाशिंगटन के इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल रिसर्च, लंदन अब तक नहीं भेजे गये हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : यह बात सही नहीं है । जितनी बातें भी कही गई हैं जैसे कि यह पैनिसिलीन के सैम्पल्स अमरीका और इंग्लैण्ड की बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में टेस्ट कराए गए, वह बिल्कुल सही हैं और उन की रिपोर्ट के बारे में पहले भी इस भवन में चर्चा हो चुकी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

एडवर्ड टैक्सटाइल मिल (मद्रास)

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३. { श्री ले० अचौ सिंह :
श्री एन्थनी पिल्ले :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास स्थित एडवर्ड टैक्सटाइल मिल्स के प्रबन्धकों ने सरकार को सूचित किया है कि वे अपनी मिल को बन्द करना चाहते हैं, जिससे २,५०० मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे ; और

(ख) क्या सरकार, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत, मजदूरों को बेरोजगारी से बचाने की दृष्टि से मिल बन्दी के कारणों की मान्यता का पता लगाने के लिये कोई जांच करायेगी ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां । इस मिल के प्रबन्धकों ने मद्रास स्थित औद्योगिक न्यायाधिकरण को अपने प्रार्थना पत्र में सूचित किया है कि ८ दिसम्बर, १९५७ से मिल बन्द कर दी जायगी । इस समय मिल में २,२०० मजदूर कार्य करते हैं ।

(ख) वे वित्तीय हानि और अकार्यक्षम उत्पादन के कारण मिल बन्द करना चाहते हैं । इसलिये, सरकार नहीं समझती कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत इसकी जांच कराना कोई उपयोगी सिद्ध होगा ।

†श्री ले० अचौ सिंह : क्या वे प्रबन्धक इन बेरोजगार होने वाले मजदूरों को कोई अन्य वैकल्पिक रोजगार दे सकते हैं ?

†श्री कानूनगो : : औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत, जो भी प्रतिकर दिया जाना चाहिये, दिया जायेगा ।

†श्री साधन गुप्त : हममें से जिनको भी औद्योगिक न्यायाधिकरणों में जाने का अवसर मिला है, उनका अनुभव है कि न्यायाधिकरणों में मामलों के विचाराधीन रहने के दौरान में जितनी भी मिल बन्दियां की जाती हैं वे बहुधा न्यायाधिकरण में मामले ले जाने के लिये मजदूरों को शिकार बनाने की दृष्टि से ही की जाती हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना प्रश्न सीधे रूप में पूछें ।

†श्री साधन गुप्त : इसे देखते हुए, क्या सरकार ने मिल बन्दी के सदाशय की जांच की है और सरकार ने इस निर्णय पर पहुंचने के लिये क्या तरीका अपनाया है कि यह मिल बन्दी मिल द्वारा कथित अकार्यक्षम उत्पादन तथा अन्य कारणों से ही की जा रही है ?

†श्री कानूनगो : प्रबन्धकों ने अपना प्रार्थना पत्र मद्रास स्थित श्रम न्यायाधिकरण के पास भेजा है और वही इसके सदाशय अन्य किसी बात की जांच करेगा ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : : अकार्यक्षम उत्पादन अथवा आर्थिक दृष्टि से लाभहीन उत्पादन का कारण वहां की मशीनों का पुरानापन है या अकर्यक्षम प्रबन्ध ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : जहां तक हमें मालूम है, उसके कई कारण हैं । मशीनों का पुरानापन और मजदूरों की 'काम धीरे करो' कार्य नीति भी उसमें सम्मिलित है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : कई मिलें इसी प्रकार बन्द हो जाती हैं । क्या सरकार के पास प्रत्येक मिल के सब से हाल के वित्तीय लेखों के विवरण नहीं रहते जिससे कि वह ऐसी मिल बन्दियां रोकने के लिये अपनी व्यवस्था पहले से कर सके ?

†**श्री कानूनगो** : बहुत अधिक मिलें बन्द नहीं हो रही हैं । कुल लगभग २० मिल बन्दियां हुई हैं । यह संख्या कोई अधिक तो नहीं है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : सरकार इस मिल को चलती रखने के लिये सैकड़ों मजदूरों को बेरोजगार होने से बचाने के लिये क्या कर रही है ?

†**श्री कानूनगो** : जब तक हमसे सहायता मांगी नहीं जाती, तब तक हम कुछ नहीं करना चाहते

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या सरकार ने वित्तीय हानि के संबंध में जांच की है, क्या वह वित्तीय हानि केवल गत वर्ष में ही हुई है या गत कई वर्षों से लगातार हो रही है ?

†**श्री कानूनगो** : गत कई वर्षों से ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हथकरघे के कपड़े का निर्यात

***८२२. श्री ह० च० शर्मा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में हथकरघे के कपड़े के निर्यात को विनियमित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस वर्ष १९५६ की अपेक्षा अधिक मात्रा में हथकरघे का कपड़ा निर्यात किये जाने की आशा है ; और

(ग) यदि हां, तो यह अधिक निर्यात किन देशों को किया गया है या किया जाने वाला है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) सभा की मेज पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६७]

(ख) इस वर्ष भी कमोबेश उतना ही निर्यात होने की आशा है, जितना १९५६ में हुआ था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आर्टस एम्पोरियम की दूकान

*८२५. **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि काश्मीर सरकार के आर्टस एम्पोरियम की एक दूकान पश्चिमी जर्मनी में खोली जा रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : जी, नहीं ।

पश्चिमी बंगाल की जूट मिलें

†*८२७. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सरकार पश्चिमी बंगाल की उन जूट मिलों को अपने अधिकार में ले रही है जो बन्द की जा चुकी थीं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी मिलें हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जिप्सम माइन वर्क्स, जामसर

*८२८. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जामसर की जिप्सम की खानों में १९५६ में हुई हड़ताल के सम्बन्ध में मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा दी गई रिपोर्ट के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : कुछ मामले दिल्ली इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को सौंपे गये थे । आशा है इनका फैसला जल्दी हो जायगा ।

हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†*८३०. **श्री गोरे** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के कुछ अधिकारियों को हाल में कुछ कदाचारों के कारण सेवा से निकाला गया है ;

(ख) क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उत्पादन की प्रारम्भिक अवस्थाओं में फैक्टरी ने सरकार को उत्पादन के सम्बन्ध में जो आंकड़े भेजे थे वे सही थे ; और

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा निर्मित पेनिसिलीन खुले बाजार में नहीं बेची जाती है और केवल भारतीय सेना को ही सम्भरित की जाती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) हाल में हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के कुछ अधिकारियों को इसलिये सेवा से निकाला गया है कि उनका सेवा में रहना समवाय के हित में नहीं समझा गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, हां ; विभिन्न अवस्थाओं के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ों में कुछ गड़बड़ी मालूम पड़ती थी । लेकिन, अब ऐसी स्थिति नहीं है ।

(ग) जी, नहीं । उसका सारा उत्पादन संस्थापित आयातकों द्वारा सैनिक और सरकारी अस्पतालों में उपयोग के लिये और जनता के लिये बेचा जाता रही है ।

आटो-कार

†*८३२. **श्री बीरेन राय** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यूरोप के देशों में २५० सी० सी० से ५०० सी० सी० तक की 'मिनीकारें' या ४ सीटों वाली आटो कारें बनाई जा रही हैं जिनके मूल्य २००० रु० से ५००० रु० तक से अधिक नहीं होते ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी भारतीय संस्था ने भारत में ऐसी कारों को बनाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के सामने पेश किया है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की कारों का उल्लेख किया है वैसी कारों के बारे में सरकार को पता है पर उनकी लागत के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) वह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि सरकार, वर्तमान प्रचलित कारों के अलावा किसी नये प्रकार की कारें चालू नहीं करना चाहती जब तक कि वह उनके उत्पादन कार्यक्रम के बारे में पूर्णतया सन्तुष्ट न हो जाये ।

भारतीय फिल्मों की निर्यात संवर्द्धन परिषद्

†*८३३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फिल्मों के लिए एक निर्यात वृद्धि परिषद स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यह परिषद कब स्थापित की जायेगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख): फिल्मों के लिए निर्यात वृद्धि परिषद् स्थापित करने का विचार विचाराधीन है ।

(ग) निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है ।

'पिलग्रिमेज टु फ्रीडम' फिल्म

†*८३४. **श्री तंगामणि** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री १३ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १८०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 'पिलग्रिमेज टु फ्रीडम' फिल्म प्रदर्शित किये जाने के लिए दोबारा कब निकाली जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : यह फिल्म प्रदर्शित करने के लिए जनवरी १९५८ में निकाली जायेगी ।

भारत सेवक समाज

†*८४१ सरदार इकबाल सिंह : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ५० विकास खण्डों को भारत सेवक समाज को सौंपने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उन खण्डों के क्या नाम है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) से (ग). सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। सामुदायिक विकास क्षेत्रों तथा उनके बाहर ५० सार्वजनिक सहयोग केन्द्र खोलने की भारत सेवक समाज की एक योजना विचाराधीन है ।

भारत पाकिस्तान का सीमांकन

†*८४५. सरदार इकबाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-पाकिस्तान का सीमांकन करने की दिशा में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : मांगी गई जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६८]

त्रिपुरा में सुधार सम्बन्धी निर्माण कार्य

†११३२. श्री दशरथ देब : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री २६ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८१ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बुस्सा से रिमा सेरमा (त्रिपुरा) तक सड़क बन कर तैयार हो गई है ; और

(ख) क्या यह सच है कि जो सड़क बनेगी यह ट्रकों, ट्रेक्टरों तथा अन्य बड़ी मोटर गाड़ियों के उपयोग के लायक नहीं होगी ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) जगबन्धुपाड़ा तक ३० मील लम्बी सड़क बन कर तैयार हो गयी है जिस पर साफ मौसम में जीप गाड़ी जा सकती है और अब इस सड़क को १७ मील आगे तक रामबाबूबारी तक बढ़ाया जा रहा है।

(ख) जी हाँ।

काली बारूद

†११३३. { श्री हेमराज :
श्री दलजीत सिंह :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ज्वालामुखी परियोजना निर्माण कार्यों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग किस दर पर काली बारूद खरीद रहा है;

(ख) कांगड़ा जिले में यह किस दर पर उपलब्ध है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जब कांगड़ा में ही यह सस्ते दामों पर उपलब्ध है तो इसे बम्बई से मंगाने के क्या कारण हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अ० कु० चन्दा) :(क) संभरण तथा उत्सर्जन के महानिदेशक ने जिस दर पर ठेका दिया है वह है १.७७ रुपये प्रति पौण्ड और बम्बई स्टेशन तक मुफ्त पहुंचाना।

(ख) कांगड़ा में १.०६ रु० प्रति पौण्ड दर है।

(ग) स्थानीय बारूद में इम्पीरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज, बम्बई से मंगाये गये बारूद की अपेक्षा विस्फोटक शक्ति कम होती है अतः स्थानीय बारूद बम्बई से मंगाये गये बारूद की अपेक्षा अधिक मात्रा में खर्च होती है। अतः स्थानीय बारूद केवल महंगी ही नहीं पड़ती बल्कि उससे काम भी उतना अच्छा नहीं होता।

सैलमो मछली

†११३४. श्री आसर: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४७ और १९५७ में सैलमो मछली का कितना आयात किया गया, देश में उसका कितना उत्पादन तथा विक्रय हुआ ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): इस प्रकार की मछली के आयात के आंकड़े अलग नहीं रखे जाते। सैलमो मछली भारत में नहीं पकड़ी जाती अतः देश में इसका उत्पादन होता ही नहीं। इसके विक्रय के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

भारत का विदेशी व्यापार

११३५. डा० राम सुभग सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के आयात और निर्यात व्यापार सम्बन्धी आंकड़ों तथा अन्य जानकारी जनता के लिये उपलब्ध करने के हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या यह सामग्री हिन्दी में भी देने का कोई प्रबन्ध है ;

(ग) यदि हां, तो वर्तमान प्रबन्ध किस प्रकार का है; और

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) भारत के निर्यात और आयात व्यापार सम्बन्धी आंकड़े नीचे लिखे प्रकाशनों में दिये जाते हैं जो जनता के लिये उपलब्ध हैं;

(१) मंथली स्टेटिस्टिकस आफ दी फारेन ट्रेड आफ इण्डिया (२) एनुअल स्टेटमेण्ट आफ फारेन ट्रेड आफ इण्डिया (३) इंडियन ट्रेड जर्नल (साप्ताहिक)	डायरेक्टर जनरल व्यापारिक जानकारी और अंक संकलन कलकत्ता द्वारा प्रकाशित
(४) दी जर्नल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड (मासिक) (५) उद्योग व्यापार पत्रिका (मासिक)	प्रकाशन सम्पादक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित

मूल अंग्रेजी में

(६) मंथली एब्सट्रेक्ट ग्राफ स्टेटिस्टिक्स सेण्ट्रल स्टेटिस्टिकल ग्रारगेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित।

(ख), (ग) ग्रौर (घ). महत्वपूर्ण ग्रांकड़े हिन्दी में उद्योग व्यापार पत्रिका में प्रकाशित होते हैं। भारत के निर्यात ग्रौर ग्रायात व्यापार सम्बन्धी ग्रावश्यक सांख्यकी जानकारी हिन्दी में प्रदान करने के लिए एक वार्षिक प्रकाशन करने का भी प्रस्ताव है।

लम्बे रेशे की रूई का ग्रायात

११३६. डा० राम सुभग सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बढ़िया किस्म का कपड़ा तैयार करने के लिये लम्बे रेशे की रूई का किन–किन देशों से कितना कितना ग्रायात किया जा रहा है; ग्रौर

(ख) इस रूई को देश में पैदा करने के कोई प्रयत्न किये गये हैं?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें यह जानकारी दी गयी है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६९]

(ख) जी, हां। भारतीय केन्द्रीय रुई समिति की ग्रार्थिक सहायता से रुई की किस्म सुधारने की जो गवेषणा की गयी थी, उसके फलस्वरूप १ इंच से ग्रधिक लम्बे रेशे की रुई इस समय बम्बई, मैसूर तथा मद्रास राज्यों में व्यापारिक पैमाने पर पैदा की जाती है।

प्लास्टिक उद्योग

११३७. डा० राम सुभग सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्लास्टिक उत्पादनों की किस्म सुधारने के लिये प्लास्टिक के कारखानों में गवेषणा का क्या प्रबन्ध किया गया है; ग्रौर

(ख) क्या सरकार ने उनकी किस्म ग्रच्छी रखने के उद्देश्य से निरीक्षण ग्रथवा नियंत्रण की कोई व्यवस्था की है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) ग्रौर (ख). प्लास्टिक के संगठित कारखानों में से बहुत से प्रतिमानित मशीनों पर ग्राधुनिक विधियों से उत्पादन करते हैं, उचित प्रकार के कच्चे माल काम में लाते हैं ग्रौर इस प्रकार प्लास्टिक की संतोषजनक किस्म की वस्तु बनाते हैं। प्लास्टिक निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने इस उद्योग से सम्बद्ध व्यक्तियों में से जजों का एक पैनल बना दिया है। प्लास्टिक की बनी हुई उपयोग की जो वस्तुएं निर्यात के लिये तैयार की जाती हैं उनके निरीक्षण ग्रौर स्वीकृति का भार इस पैनल को सौंप दिया गया है।

छतरियों के कारखाने

११३८. डा० राम सुभग सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छतरियों की तानें कितने कारखाने तैयार कर रहे हैं, और उनका कुल उत्पादन कितना है ;

(ख) पूरी छतरियां तैयार करने वाले कितने कारखाने हैं और वे प्रतिवर्ष कितनी छतरियां तैयार करते हैं; और

(ग) छतरियों के कपड़े की किस्म सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) इस समय संगठित क्षेत्र में ५ कारखाने छतरियों की तानें बनाते हैं। इसके अतिरिक्त लघु उद्योग क्षेत्र में भी ऐसे कई कारखाने हैं जो तानों का उत्पादन करते हैं।

(ख) इस विषय पर ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) सब मिलों के लिये यह आवश्यक है कि वे भारत सरकार के टैक्सटाइल कमिशनर को अपने यहां बने हुए छतरी के कपड़े का नमूना भेजें ताकि उस कपड़े की पानी रोकने की क्षमता का परीक्षण किया जा सके। इसके बाद केवल वही मिलें बड़े पैमाने पर उस कपड़े का उत्पादन कर सकती हैं जिनके नमूनों से उसे सन्तोष हो जाता है।

दवाइयों का उत्पादन

११३९. डा० राम सुभग सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दवाइयां बनाने के उद्योग की स्थापित क्षमता का अधिक उपयोग करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) इनके फलस्वरूप विदेशी दवाइयों के आयात में कितनी कमी हो सकेगी; और

(ग) उससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग). सरकार भारतीय फर्मों को बड़े परिमाण पर भेषज तैयार करने के लिये प्रोत्साहित कर रही है। जिन भेषजों का उत्पादन अभी आरम्भ नहीं हुआ है उन्हें विदेशों से पूरी तौर पर तैयार शक्ल में मंगाने की अपेक्षा बड़े परिमाण में और अर्द्ध तैयार रूप में मंगाने की अनुमति दी जा रही है। आशा है इन कार्रवाइयों के फलस्वरूप देश में दवाइयां तैयार करने की स्थापित क्षमता का और अधिक उपयोग किया जा सकेगा तथा विदेशी दवाइयों का आयात कम किया जा सकेगा।

रेशम के कारखाने

११४०. श्रीमती गंगा देवी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में रेशमी कपड़ा बनाने वाले कितने कारखाने हैं; और

(ख) उनका वार्षिक उत्पादन कितना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) १८ कारखाने कच्चे रेशम का उत्पादन करते हैं तथा एक मिल ऐसी है जो कि कते हुए रेशम का उत्पादन करती है।

(ख) कच्चा रेशम ३२५,००० पौंड (लगभग)
कता हुआ रेशम ६०,००० पौंड (लगभग)

रूस को जूतों का निर्यात

११४१. श्री झूलन सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस को जूते भेजने के विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस संबन्ध में सरकार ने किसी गैर-सरकारी संस्था को कोई सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और किस प्रकार की ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) अब तक ३,४४,४५० जोड़ी हाथ से बने जूते तथा २,१३,५५० जोड़ी मशीन से बने जूते सोवियत संघ को निर्यात किये जा चुके हैं।

(ख) तथा (ग). राज्य व्यापार निगम के व्यापारी हितों को देखते हुए यह सूचना देनी उचित नहीं होगी।

अन्तर्दाह इंजन तथा शक्ति-चालित पम्प

११४२. श्री झूलन सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्दाह इंजनों तथा शक्ति चालित पम्पों की बिक्री के बाद उनकी सर्विसिंग की कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्माताओं से क्या सहयोग मिल रहा है;

(ग) सरकार को इस पर कितना खर्च करना पड़ेगा; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में इन इंजनों और पम्पों की मांग में कितनी वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है। फिर भी उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम १९५१ के अंतर्गत अन्तर्दाह इंजनों, शक्ति चालित पम्पों, कम्प्रेसरों और ब्लोअरों के लिये बनाई गई विकास परिषद् की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकारों से तकावी ऋण देते समय और सरकारी काम के लिये खरीद करते समय इंजनों और पम्पों के ऐसे स्वदेशी निर्माताओं को प्राथमिकता देने के लिये कहा गया है जो बिक्री के बाद सरविस करने की काफी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इस बारे में स्वदेशी निर्माताओं को सीधी सूचना देने का भी प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उष्मसह ईंटें

११४३. श्री झूलन सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उष्मसह ईंटें तैयार करने में किन किन विदेशी औजारों का उपयोग किया जाता है ; और

(ख) यह औजार किन शर्तों पर उपलब्ध होते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७०]

विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण की सुविधायें

११४४. **श्री राधा रमण**: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण सुविधाओं संबंधी पत्रिकाओं तथा पुस्तकाओं के प्रकाशन की योजना कब से चालू की गई है;

(ख) अब तक जो पत्रिकायें प्रकाशित की गयीं हैं वे किन व्यवसायों के संबंध में हैं ;

(ग) अंग्रेजी की पत्रिकाओं में औसतन कितने पृष्ठ और हिन्दी की पत्रिकाओं में औसतन कितने पृष्ठ प्रकाशित होते हैं ;

(घ) हिन्दी की पत्रिकाएं अंग्रेजी के अनुवाद मात्र होते हैं अथवा वे मौलिक प्रकाशन हैं;

(ङ) इन पत्रिकाओं को तैयार करने के लिये कितने कर्मचारी रखे गये हैं, और उनके वेतन तथा भत्ते पर कितना व्यय किया जा रहा है; और

(च) ये हिन्दी और अंग्रेजी पत्रिकाएं किन किन लोगों में वितरित की जाती हैं।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण सुविधाओं से सम्बन्धित पत्रिकाओं के प्रकाशन की योजना पर मई, १९५५ में विचार किया गया था तब ही एक यूनिट की स्थापना की गई थी। इसी के साथ प्रशिक्षण सुविधाओं की जानकारी इकट्ठा करने के लिये काम शुरू किया गया था ।

(ख) इस समय तक प्रकाशित व्यवसाय चुनाव पत्रिकाओं की सूची नीचे लिखे अनुसार है:

१. पशुचिकित्सक
२. पुस्तकाध्यक्ष
३. नर्स
४. ग्राम सेविका
५. स्टेनोग्राफर (आशुलिपिक)
६. सहायक नर्स (दायी)
७. प्रायमरी स्कूल का अध्यापक
८. हाई स्कूल का अध्यापक
९. स्कूल की पढ़ाई के बाद व्यवसाय चुनाव
१०. बिजली मिस्त्री
११. स्वास्थ्य निरीक्षिका
१२. टर्नर
१३. ट्रैक्टर चालक
१४. रासायनिक
१५. नमूना साज
१६. रेडियो मिस्त्री

१७. सफाई इन्सपेक्टर
१८. वेक्सीनेटर
१९. वास्तुविद् (आर्किटेक्ट)
२०. फार्मेसिस्ट
२१. औजार मिस्त्री
२२. सिविल इंजीनियर
२३. अकाउन्टेन्ट
२४. नक्शानवीस (मेकेनिकल इंजीनियरिंग)
२५. मशीनिस्ट
२६. रोड रोलर ड्राइवर
२७. नक्शानवीस सिविल इंजीनियरिंग
२८. औजार साज
२९. सर्वेअर (सर्वेक्षक)
३०. सहयोगी निरीक्षक
३१. वायर मेन
३२. मशीन ड्रिलर
३३. मोटर इंजीनियर
३४. रसायन इंजीनियर
३५. समाज शिक्षा संगठन कर्त्ता
३६. मेट्रालाजिस्ट
३७. खान इंजीनियर
३८. ढलैया
३९. एअर नाटिकल इंजीनियर
४०. ओवरसियर (असैनिक इंजीनियरिंग)
४१. झलाईगर
४२. मेकेनिकल इंजीनियर
४३. तार संचार इंजीनियर
४४. पंचायत सचिव
४५. बिजली इंजीनियर
४६. नल साज

(ग) हिन्दी और अंग्रेजी पुस्तकायें आमतौर से ६ से ८ पृष्ठों की होती है।

(घ) हिन्दी पुस्तकायें अंग्रेजी का अनुवाद होती हैं।

(ङ) इस काम पर एक गवेषणा (रिसर्च) अधिकारी, दो अनुसंधानकर्त्ता (इन्वेस्टीगेटर) एक प्रवैधिक सहायक और दो क्लर्क लगाये गये हैं। इन सब का कुल वेतन १५०० रुपये मासिक है।

(च) अंग्रेजी और हिन्दी की कुछ पुस्तिकायें, स्कूलों, कालिजों, वाचनालयों और पुस्तकालयों आदि को मुफ्त भेजी जाती हैं। सरकारी पुस्तकें बेचने वालों और नियोजन कार्यालयों से पुस्तकायें ६ नये पैसे की एक के हिसाब से खरीदी जा सकती है। इसी प्रकार दस्तकारी

प्रशिक्षण से सम्बन्धी पुस्तकायें बांटी जाती हैं, यद्यपि इन पुस्तकाओं की कीमतें अलग अलग हैं ।

दस्तकारी में प्रशिक्षण के लिये दूसरी संस्था

११४५. **श्री राधा रमण**: क्या **श्रम तथा रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दस्तकारी प्रशिक्षण की दूसरी संस्था के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से विशेषज्ञ और सामग्री प्राप्त करने में भारत सरकार को कहां तक सफलता मिली है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा दस्तकारी प्रशिक्षण की दूसरी संस्था के लिए एक लाख रुपये की सामग्री खरीदी जा रही हैं। दूसरी प्रशिक्षण संस्था के लिए देश में इस समय काम कर रहे दो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञों की सेवाओं का ही उपयोग करने का विचार है।

सामग्री की खरीद

११४६. **श्री राधा रमण**: क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण का स्तर ऊंचा करने के उद्देश्य से अमरीका के प्वाइन्ट ४ प्राविधिक कार्यक्रम की सहायता से अब तक क्या क्या सामग्री प्राप्त की गई है;

(ख) यह सामग्री किस प्रकार से काम में लाई जा रही है; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र के प्राविधिक सहायता प्रशासन के अधीन रूस से प्राप्त ३० लाख रुपये की सामग्री किस प्रकार काम में लाई जा रही है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) सामग्री की खरीद के लिए लगभग ३०.८७ लाख रुपयों की मंजूरी हुई है। इस रकम में से २१.७ लाख रुपयों का सामान खरीदा जा चुका है।

(ख) इस कार्यक्रम के अधीन खरीदा गया सामान औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों संस्थानों को दे दिया गया है। इसका उपयोग प्रशिक्षणार्थियों को दस्तकारी सिखाने के लिये किया जायेगा।

(ग) यह सामान अभी भारत नहीं पहुंचा है। इस सहायता योजना के अधीन केवल २० लाख रुपयों का सामान भारत आयेगा न कि ३० लाख रुपयों का।

महिलाओं को दस्तकारी का प्रशिक्षण

११४७. **श्री राधा रमण** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला दस्तकारी प्रशिक्षण कार्य पर जनवरी, १९५६ से अब तक कितना खर्च हुआ है ;

(ख) इसका विवरण क्या है; और

(ग) प्रशिक्षण संस्थाओं में इस समय प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं की संख्या राज्यवार कितनी है।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) ३१ अक्टोबर १९५६ तक, जिस दिन प्रशिक्षण संस्थाओं का प्रशासन, राज्य सरकारों को सौंप दिया गया था, २,३४,०५३ रुपये मात्र।

(ख) एक विवरण इस उत्तर के संबंध में सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७१]**

(ग) राज्य	३१–१०–५७ को प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
मद्रास	६७
उत्तर प्रदेश	२१८
दिल्ली	१९७

कोयले की खानों और मिलों का बन्द किया जाना

११४८. श्री वि० प्र० सिंह: क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७ म काम के दिनों की हानि में जो वृद्धि हुई है, वह पश्चिम बंगाल की कोयले की किन–किन खानों तथा बम्बई की किन किन मिलों के बन्द होने के कारण हुई है?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): सूचना प्राप्त नहीं है तथा उसको प्राप्त करने से जो प्रयोजन सिद्ध होगा उससे अधिक उसके एकत्र करने में समय और मेहनत लगेगी।

औद्योगिक विवाद

११४९. श्री वि० प्र० सिंह : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से अक्तूबर, १९५६ तक जो १००६ विवाद हुए, उनमें से कितने के कारण हड़तालें हुई और कितने से तालाबन्दियां;

(ख) इन हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण कितने व्यक्ति बेकार रहे;

(ग) चालू वर्ष में अब तक कितनी हड़तालें और तालाबन्दियां हो चुकी हैं; और

(घ) उनके कारण काम के कितने दिनों की हानि हुई है?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) ९३१ हड़तालें और ७५ तालाबन्दियों।

(ख) हड़तालों से ५,३८,१२१ और तालाबन्दियों से ९५,०५९।

(ग) जनवरी से सितम्बर १९५७ तक १०५५ हड़तालें और ९१ तालाबन्दियां।

(घ) हड़तालों से २६,३५,८९० और तालाबन्दियों से १९,७३,२८६।

खानों तथा कारखानों में हड़तालें व तालाबन्दियां

११५०. श्री वि० प्र० सिंह : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी खानों तथा कारखानों में जनवरी १९५६ से कई बार हड़तालें व तालाबन्दियां हो चुकी हैं?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): सूचना प्राप्त नहीं है तथा उसको प्राप्त करने से जो प्रयोजन सिद्ध होगा उससे अधिक उसके एकत्र करने में समय और मेहनत लगेगी।

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण पंचाट

११५१. **श्री वि० प्र० सिंह** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने ३१ अगस्त, १९५६ तक १६५६ अपीलों और २७३४ याचिकाओं पर जो निर्णय दिये हैं; उनमें से कितने मालिकों के पक्ष में हुये हैं और कितने मजदूरों के पक्ष में; और

(ख) इन निर्णयों का मजदूरों पर क्या असर पड़ा है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिदअली): (क) और (ख). सूचना प्राप्त नहीं है तथा उसको प्राप्त करने से जो प्रयोजन सिद्ध होगा उससे अधिक उसके एकत्र करने में समय और मेहनत लगेगी।

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण

११५२. **श्री वि० प्र० सिंह** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष १ जनवरी, १९५७ को शेष रही १७५ अपीलों तथा ४५६ याचिकाओं में से अब तक कितने का फैसला हो चुका है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने जनवरी, १९५७ से अक्तूबर के आखिर तक १७५ अपीलों और ४५६ याचिकाओं में से १२० अपीलों और २८७ याचिकाओं का फैसला किया।

महिला कल्याण केन्द्र

११५३. **श्री हेडा** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खदान क्षेत्रों के महिला कल्याण केन्द्रों में महिलाओं को विभिन्न शिल्पों का जो प्रशिक्षण दिया जाता है क्या उससे वे कोई अर्थोपार्जन करती हैं ;

(ख) जो स्त्रियां इन केन्द्रों में साक्षर हो जाती हैं बाद में उनका ज्ञान बढ़ाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) इन कल्याण केन्द्रों में कितने पुस्तकालय हैं और उनमें कि किन भाषाओं की कितनी पुस्तकें हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां।

(ख) उन्हें ऐसी पुस्तकें और सामयिक पत्र-पत्रिकायें दी जाती हैं जो उनके लिये उपयोगी मालूम हों। स्त्रियां प्रत्येक बहु-उद्देशीय संस्था में चलाये जा रहे बालिग शिक्षा केन्द्र के पुस्तकालय का उपयोग भी करती हैं।

(ग) ५२। प्रत्येक पुस्तकालय में लगभग ४५० किताबें हैं। इनमें ज्यादातर पुस्तकें हिन्दी की हैं। उड़ीसा, रानीगंज और हैदराबाद के कोयला क्षेत्रों के केन्द्रों में यथोचित स्थानीय भाषाओं की कुछेक पुस्तकों का इन्तजाम भी किया गया है। कुछ केन्द्रों में, खास तौर से बिहार कोयला क्षेत्रों में अंग्रेजी की पुस्तकों की भी व्यवस्था है।

खान मजदूर कल्याण बोर्ड

११५४. श्री हेडा : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान मजदूर कल्याण केन्द्र में आने वाले बच्चों को दूध, कलेवा और फल देने के निर्णय से कितने बच्चों को लाभ हो रहा है ; और

(ख) दूध, कलेवा और फल बांटने के लिये बच्चों को किस आधार पर चुना जाता है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) लगभग ३,१०० ।

(ख) कोयला खनिकों के ऐसे सब बच्चे जो खान मजदूर कल्याण केन्द्रों में आते हैं, दूध और कलेवा पाने के हक़दार हैं ।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

११५५. श्री हेडा : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला खानों की कल्याण संस्थाओं के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : बालिग कामगरों को पढ़ना, लिखना और साधारण हिसाब-किताब सिखाया जाता है । इस के साथ-साथ, स्वास्थ्य, सफाई, नागरिक जीवन सम्बन्धी बातों, श्रम कानूनों और मौजूदा घटनाओं का प्रारंभिक ज्ञान भी कराया जाता है ।

स्व-चालित करघे

११५६. श्री रा० रा० मिश्र: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़े की मिलों में अब तक कितने स्व-चालित करघे लगाये गये हैं ;

(ख) इस के परिणामस्वरूप उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) इन के लगाने से कितने व्यक्ति बेकार हो गये हैं और उन्हें कोई अन्य रोजगार देने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) १ जनवरी, १९५७ तक लगाये गये स्वचालित करघों की संख्या १३,१९८ है ।

(ख) स्वचालित करघों से तैयार किये गये कपड़े की जानकारी अलग से उपलब्ध नहीं है । स्वचालित करघों पर भी उतना ही कपड़ा तैयार होता है जितना कि साधारण शक्तिचालित करघों पर । लेकिन स्वचालित करघों पर तैयार किये गये कपड़े की किस्म अच्छी होती है ।

(ग) इस बारे में ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है । स्वचालित करघे लगाने की अनुमति साधारणतः इसी शर्त पर दी जाती है कि उन के लगाने से मज़दूरों की छंटनी नहीं की जायगी । स्वचालित करघे लगाने से बेकार होने वाले मजदूरों को आम तौर पर सम्बद्ध कपड़ा मिल में या तो अतिरिक्त पाली चला कर या दूसरे विभागों में काम दे दिया जाता है ।

ऊनी कपड़ा

११५७. श्री रा० रा० मिश्र : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से कितना ऊनी कपड़ा आयात होता है ;

(ख) ऊनी कपड़े के आयात को घटाने के लिये क्या कोई उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन के ब्यौरे क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में क्रमशः १,५५,३०,००० रु० और १,१८,६०,००० रु० का ऊनी कपड़ा आयात किया गया।

(ख) और (ग). १ जुलाई १९५७ से ऊनी कपड़े के आयात पर रोक लगा दी गई है।

मशीनी खिलौनों का उद्योग

११५८. **श्री रा० रा० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मशीनी खिलोने बनाने के उद्योग को सरकार क्या सहायता दे रही है ;

(ख) इस उद्योग द्वारा सरकारी सहायता से अब तक क्या प्रगति की गई है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में विदेशों से कोई विशेषज्ञ बुलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर कितना खर्च हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७२**]

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बाट तथा माप की मीट्रिक प्रणाली

११५९. **श्री रा० रा० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाट तथा माप की मीट्रिक प्रणाली से जनता को क्या लाभ होंगे ; और

(ख) क्या सरकार द्वारा जनता को इन लाभों को बताने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) देश भर में एक से बाट और पैमाने होने के फायदे बखूबी जाहिर हैं। मीटर प्रणाली संसार भर में विख्यात है और स्वीकृत मानी जाती है। इसे समझ लेना और याद रखना आसान है । इसे अपनाने से हिसाब किताब करने में आसानी हो जायगी और इस से विभिन्न क्षेत्रों में समय और मेहनत की बचत हुआ करेगी।

(ख) मीटर प्रणाली के फायदे सरकार के निम्न प्रकाशनों में समझाये गये हैं :—

१. "मेमोरेन्डम आन दि एडोप्शन आफ मीट्रिक सिस्टम इन इन्डिया"—ले० श्री पीताम्बर पन्त ।

२. "दि मीट्रिक सिस्टम आफ वेट्स एण्ड मेजर्स"—प्रकाशक: पब्लिकेशन्स डिवीज़न, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ।

अगले साल इस प्रणाली तथा इसे अपनाने के फायदों का समाचार पत्रों, रेडियो फिल्मों आदि के द्वारा व्यापक प्रचार किया जायेगा ।

नियोजन पदाधिकारी

११६०. पंडित कृ० चं० शर्मा : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस योजना को कार्यान्वित करने में क्या प्रगति हुई है जिसके अन्तर्गत नियोजन पदाधिकारियों को चुने हुए व्यवसायों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध की जायेगी जो अभ्यर्थियों की योग्यता को जांचने में सहायक होगी ;

(ख) यह किन किन व्यवसायों के बारे में अब तक तैयार की गई है ;

(ग) इस योजना से कितने नियोजन पदाधिकारियों ने लाभ उठाया है और इसके फलस्वरूप कितने अभ्यर्थी चुने गये हैं ; और

(घ) इस योजना को तैयार करने में कितना खर्च हुआ है और इस सम्बन्ध में किस विशेषज्ञ से सहायता ली गई थी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ग). इस योजना के पहले विभिन्न कार्य केन्द्रों में जा कर व्यवसायों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जायेगी । इस जानकारी के आधार पर काम के उम्मीदवारों की योग्यता और अनुभव जानने के लिये प्रश्नोत्तरी तैयार की जायेगी । अभी नियोजन महानिदेशालय में यह काम चलाया जा रहा है । इसी बीच तजुर्बे के तौर पर मोटर मैकेनिक व्यवसाय में योग्यता जानने के लिये एक प्रश्नोत्तरी का नमूना तैयार किया गया है जिसकी सहायता से नियोजन कार्यालय में प्रार्थियों की योग्यता का अनुमान लगाया जायेगा ।

(घ) इस सिलसिले में कोई खास खर्च नहीं हुआ है । यह कार्य नियोजन महानिदेशालय के व्यावसायिक जानकारी एकांश द्वारा हो रहा है ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से आये विशेषज्ञ का नाम एस० ओ० डूस है ।

मालिक-मजदूरों के सम्बन्धों का अध्ययन

११६१. पंडित कृ० चं० शर्मा : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भविष्य में किन किन कारखानों में मालिक-मजदूर सम्बन्धों का अध्ययन करने का विचार है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : इंडियन अलुमिनियम कम्पनी बेलुर, कलकत्ता, और इन्दौर के सूती कपड़ा मिलों में अध्ययन जारी है । राज्य सरकारों से ऐसे कारखानों के नाम मांगे गये हैं जहां अध्ययन किया जा सके ।

बाट तथा माप की मीट्रिक प्रणाली

११६२. श्री बाल्मीकी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कारखानों में मीट्रिक प्रणाली के बाट और माप बनाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी कारखानों में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने बाट तथा माप बनाये जायेंगे ; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार के कितने बाट तथा माप बनाये जाने का अनुमान है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख). शस्त्रास्त्र के कारखानों में मीट्रिक बाट तथा पैमाने बनवाये जाने की संभावना की खोज की जा रही है। इस समय यह बताना कठिन है कि इन कारखानों में कितनी संख्या में बाटों और पैमानों का निर्माण हो सकेगा।

(ग) प्रारम्भिक जांच से पता चला है कि निजी क्षेत्र में मीट्रिक प्रणाली के बाट तथा पैमाने बनाने की इतनी काफ़ी क्षमता मौजूद है कि उस से देश की नये मीट्रिक बाट और पैमानों सम्बन्धी कुछ आवश्यकता पूरी हो सकेगी।

उत्पादकता बढ़ाने का आन्दोलन

११६३. श्री बाल्मीकी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन उद्योगों ने उत्पादकता बढ़ाने के सम्बन्ध में सहयोग करने की इच्छा प्रगट की है ; और

(ख) इस बारे में क्या किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) नई दिल्ली में १ और २ नवम्बर १६५७ को हुई उत्पादकता गोष्ठी में मालिकों और मजदूरों के राष्ट्रीय संगठनों के जो प्रतिनिधि शामिल हुए थे उनकी मार्फत सामान्यता सभी उद्योगों ने उत्पादकता बढ़ाने के लिये किये जाने वाले प्रयत्नों में सहयोग देने की इच्छा प्रकट की है।

(ख) उत्पादकता गोष्ठी ने एक राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। सरकार इस समय इस पर विचार कर रही है। यह परिषद् देश में उत्पादकता की भावना का प्रचार करेगी, स्थानीय उत्पादकता परिषदों की स्थापना को प्रेरणा देगी और उत्पादकता सेवाओं की व्यवस्था कराने के लिये कदम उठायेगी।

उत्पादकता बढ़ाने का आन्दोलन

११६४. श्री रा० स० तिवारी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन बढ़ाने के आन्दोलन के फलस्वरूप उद्योगों में उत्पादन बढ़ने से कितने लोग बेकार हो जायेंगे ; और

(ख) इस बेकारी को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अन्य देशों के अनुभव ने इस भय को झूठा साबित कर दिया है कि उत्पादकता आन्दोलन के कारण बेकारी बढ़ जायगी। वास्तव में अन्य देशों में उत्पादकता के साथ साथ नियोजन में भी वृद्धि हुई है। भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा उत्पादकता आन्दोलन को इस ढंग से चलाने का प्रस्ताव है कि उस से बेकारी न बढ़ने पाये। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की स्थापना सरकार के विचाराधीन है।

(ख) भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था का विस्तार करने के लिये सरकार जो भी प्रयत्न कर रही है उन सब का उद्देश्य नियोजन में वृद्धि करना और बेकारी को घटाना है और आशा है कि इस उद्देश्य की पूर्ति में उत्पादकता आन्दोलन से सहायता मिलेगी।

साबुन का आयात

११६५. श्री रा० स० तिवारी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने साबुन का आयात किया जाता है ;

(ख) सब से अधिक साबुन किस देश से मंगाया जाता है ; और

(ग) इसका आयात कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). आजकल साबुन का आयात पूर्ण रूप से रोक दिया गया है ।

जूतों का उत्पादन

११६६. श्री रा० स० तिवारी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस को भेजे जाने वाले जूतों के निर्माण के प्रयोग में किये जाने वाले किसी कच्चे माल का विदेशों से आयात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में ; और

(ग) भारत में आयात किये जाने वाले इस कच्चे माल पर कितना आयात शुल्क लिया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) से (ग). यह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है । यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मशीनी औजार उद्योग

११६७. श्री रा० स० तिवारी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ तक मशीनी औजारों के उद्योग में कितना उत्पादन बढ़ाने का विचार है ;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(ग) प्रिसीशन औजारों के उत्पादन के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(घ) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). हालांकि योजना कमीशन ने पहले १९६०-६१ तक ३ करोड़ रु० के मल्य के मशीनी औजार बनाने का अस्थायी लक्ष्य रखा था, लेकिन मशीनी औजारों की बराबर बढ़ती हुई मांग को देख कर प्रस्ताव यह है कि १९६०–६१ तक १० करोड़ रु० मूल्य के औजार बनाने का उत्पादन लक्ष्य रखा जाय । १९५६ में

स्थापित मशीनी औजार समिति की सिफारिशों पर सरकार ने मौजूदा कारखानों के लिये उत्पादन की एक व्यापक योजना स्वीकार की है। वर्तमान कारखानों का विस्तार करने तथा नये कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंस देने की उदार नीति अपनाई जा रही है। इस उद्योग की देखरेख तथा विकास करने के लिये उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम के अधीन एक विकास परिषद् स्थापित कर दी गई है ।

(ग) तथा (घ). प्रिसीशन (शुद्धमाप) औजार अनेक प्रकार के होते हैं और उन में से अधिकांश की मांग अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंची है कि लाभप्रद ढंग से उनका उत्पादन शुरू किया जा सके। फिर भी बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल फैक्टरी एक आधुनिक शुद्धमाप खराद एच–२२ बनाती है । प्लेन प्लग गौज, गैप गौज, प्रिसीशन क्यूब और इसी तरह के कुछ और औजार बनाने में देश आत्म निर्भर हो गया है । जिन अन्य औजारों में हम आत्म निर्भर हो गये हैं, वे ये हैं—सरफेस प्लेट, कठोर इस्पात के स्क्वेयर, सरफेस गौज, स्टैन्डर्ड प्लेन तथा गैप गौज, स्ट्रेट एजिज़, साइन कार, पैरेलल ब्लाक, एंगल प्लेट आदि ।

सीमेंट का वितरण

११६८. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री निम्न आशय का एक ऐसा विवरण टेबल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) सीमेंट के वितरण के लिये क्या व्यवस्था की गई है ;

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा अब तक कितने सीमेंट का वितरण हुआ है ;

(ग) निगम को कितना लाभ हुआ है ;

(घ) सीमेंट के वितरण पर निगम को कितना खर्च करना पड़ा है ;

(ङ) इस काम के लिये कितने व्यक्ति लगे हुए हैं और उनको वेतन तथा भत्ते के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ; और

(च) इन कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये क्या व्यवस्था है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन अपने नियुक्त किये हुए बिक्री एजेन्टों के जरिये सीमेंट का वितरण करता है ।

(ख) कारपोरेशन ने ३१ अक्तूबर १९५७ तक ६३ लाख टन देशी सीमेंट और ३.२ लाख टन आयातित सीमेंट का वितरण किया ।

(ग) तथा (घ). ३० जून १९५७ को समाप्त होने वाली अवधि की जानकारी कारपोरेशन की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है जो सभा की मेज पर पहले ही रखी जा चुकी है ।

(ङ) कारपोरेशन ने २१ बिक्री एजेंट नियुक्त किये हैं । उनको कमीशन के रूप में कितना धन दिया गया है, यह वार्षिक रिपोर्ट म संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(च) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को सीमेंट के वितरण का दायित्व दिये जाने से पहले जो बिक्री एजेन्सियां काम कर रही थीं, कारपोरेशन ने उन्हीं को बनाये रखा है ।

सीमेंट के कारखाने

११६९. श्री रा० स० तिवारी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सीमेंट के कारखानों में सीमेंट की लागत ज्यादा पड़ रही है और उन में से कितनों को अतिरिक्त मूल्य लेने की रियायत दी गई है; और

(ख) यह रियायत कब तक जारी रहेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अतिरिक्त मूल्य लेने की रियायत इस समय सीमेंट के केवल दो कारखानों को दी गई है जिसमें उत्पादन लागत अन्य प्रतिमानित लागत वाले कारखानों से अधिक पड़ती है।

(ख) यह रियायत तब तक लागू रहेगी जब तक कि मूल्यों में संशोधन नहीं हो जायेगा।

तांबा

†**११७०. श्री नौशीर भरूचा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रूपों में देश में तांबे की कितनी वार्षिक खपत होती है;

(ख) देश के तांबे की खानों से कुल कितना उत्पादन होता है;

(ग) गत वर्ष (१ अप्रैल १९५६ से ३१ मार्च १९५७) कुल कितने तांबे का आयात किया गया; और

(घ) १ सितम्बर, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक कितना तांबा आयात करने की आशा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७३**].

इमली के बीज

†**११७१. श्री आसर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इमली के बीज का कुल उत्पादन कितना है;

(ख) भारत में इमली का बीज कितनी मात्रा में खर्च होता है ;

(ग) क्या यह सच है कि इमली के बीज का पाउडर कपड़े की मिलों में मांड के रूप में प्रयोग किया जाता है;

(घ) क्या यह सच है कि इमली के बीज का पाउडर प्लाईवुड, आर्टीफ़िशल लैदर, लेनोलियम उद्योग में काम में आता है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इमली के बीज के पाउडर उद्योग को एक छोटे पैमाने का उद्योग मान कर उसे संरक्षण देने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) इमली के बीज का वार्षिक उत्पादद १,३२,००० टन है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) केवल वस्त्र उद्योग में इमली के बीच का २०,००० टन पाउडर काम में आता है।

इसके अलावा, जूट उद्योग में भी इसका उपयोग होता है पर जूट उद्योग में कितनी मात्रा में उपयोग होता है इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) ऐसा कोई विचार नहीं है।

काड तथा शार्क मछली के तेल

११७२. **श्री आसर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८, १९५१, १९५४ और १९५६ में कितना काड लिवर आयल और शार्क लिवर आयल का उत्पादन हुआ और उनका मूल्य कितना था ;

(ख) उक्त वर्षों में इनका किन किन देशों को निर्यात किया गया ; और

(ग) भारत में इन तेलों को किस काम में लाया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) देश में काड लिवर आइल का उत्पादन नहीं होता। १९५४ और १९५६ में हुए शार्क लिवर आयल उत्पादन का और उसके मूल्य के आंकड़े ये हैं

		रु०
१९५४	१९७१७ गैलन प्रतिग्राम विटामिन 'ए' की ६००० आई० यू० सक्रियता युक्त .	११,८३,०२०
१९५६	५९५०० गैलन . . .	३५,७०,०००

तथा १९५१ के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) काड लिवर आयल और शार्क लिवर आयल के निर्यात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि जनवरी १९५७ के पहले देश के व्यापारिक वर्गीकरण में इनके आंकड़े नहीं दिये जाते थे। किन्तु जनवरी से जून तक काड लिवर आयल का निर्यात निम्नानुसार हुआ :—

	परिमाण (पौण्ड)	मूल्य (रु०)
काड लिवर आयल (मैडीकल)		
नैपाल	२८	१२६
काड लिवर आयल जिसका अन्यत्र उल्लेख नहीं है :		
बरमा	२८०	६२७९
नैपाल	७३	९८
योग	३५३	६३७७

जनवरी से जून तक की अवधि में शार्क लिवर आयल का कोई निर्यात नहीं हुआ।

(ग) शार्क लिवर आयल जिस में विटामिन "ए" खूब होता है, चिकित्सा के काम आता है।

भारतीय राजदूतावास की इमारतें

†११७३. **श्री पांगरकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि किन किन देशों में राजदूतावास तथा उनके कर्मचारियों के निवास के लिये भारतीय सरकार की अपनी इमारतें हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : राजदूतावासों तथा उनके कर्मचारियों के लिये निम्नलिखित देशों में भारत सरकार की अपनी इमारतें हैं :

आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटिश, पूर्वी अफ्रीका, बर्मा, कनाडा, चीन, लंका, मिश्र, फ्रांस, हालैंड, इन्डोनेशिया, जापान, नैपाल, मलाया, पाकिस्तान, स्वीट्ज़रलैण्ड, टर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ।

जिले की योजनायें

†११७४. { **श्री हेम राज** :
श्री पद्म देव :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने अपने जिलों की योजनायें प्रकाशित कर दी हैं ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किये गये आधारभूत परिवर्तनों से जिले की योजनायें क्रियान्वित करने में क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) कई राज्यों ने अपने सभी या कुछ एक जिलों की योजनायें प्रकाशित कर दी हैं । इस सम्बन्ध में नवीनतम जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा ।

(ख) सामान्य रूप से विदेशी विनिमय की कठिनाइयों के कारण योजना पर समय समय पर किये जाने वाले परिवर्तनों का जिलों की योजना की क्रियान्विति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

छोटे पैमाने के उद्योग

†११७५. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने के लिये बम्बई राज्य को कितनी राशि दी गई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये बम्बई राज्य को ४९९.२६ लाख रुपये दिये गये हैं । (अर्थात् ३५० लाख रुपये) छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये और १४९.२६ लाख रुपये औद्योगिक बस्तियों के लिये ।

बम्बई का हथकरघा उद्योग

†११७६. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६-५७ के दौरान बम्बई राज्य में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ख) १९५७-५८ में कितना रुपया दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ६०,८१,९६६ रुपये।

(ख) ५०,५८,१०३ रुपये।

चीनी के कारखानों में श्रमिकों सम्बन्धी विवाद

†११७७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ में चीनी के कारखानों में श्रमिकों सम्बन्धी कुल कितने विवाद हुए ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : उपलब्ध जानकारी के अनुसार जनवरी से दिसम्बर, १९५६ तक चीनी के कारखानों में १० श्रमिकों सम्बन्धी झगड़े हुए तथा जनवरी से सितम्बर, १९५७ तक नौ ऐसे झगड़े हुए।

पुनर्वास और रोजगार का महानिदेशालय[10]

†११७८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१-५२ में पुनर्वास और रोजगार के महानिदेशालय में कुल कितने कर्मचारी थे ; और

(ख) इस समय उनकी संख्या कितनी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) २५१।

(ख) ३३६।

[उक्त जानकारी पुनर्वास और रोजगार के महानिदेशालय के मुख्य कार्यालय के कुल कर्मचारियों से सम्बन्धित है]

टेलीविजन

†११७९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २६ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में टेलीविजन की प्रयोगिक इकाई की स्थापना के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : सामाजिक तथा शिक्षा सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये दिल्ली में एक प्रयोगिक टेलीविजन इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय करना तभी संभव होगा जब उपकरण का वह अंश प्राप्त कर लिया जायेगा जिसे अभी विदेशों से प्राप्त करना है।

लोक नृत्यों के सम्बन्ध में प्रलेखीय चलचित्र

†११८०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों पर कोई प्रलेखीय चलचित्र बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कौन सा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[10]Directorate General of Resettlement and Employment.

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). केवल हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों पर अभी कोई प्रलेखीय चलचित्र नहीं बनाया गया है।

सीमेंट

†११८१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ में बिहार राज्य को कुल कितने बोरे सीमेंट दिया गया।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : २,१६,००० टन।

प्रधान मंत्री के घर पर चल-चित्र का प्रदर्शन

११८२. **श्री यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के घर पर चल-चित्र दिखाने के लिये कोई व्यवस्था की गई है अथवा कोई इमारत बनाई गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था पर कितना व्यय हुआ है और यह खर्च किस मद के अन्दर किया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय विकास कार्य

११८३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना में स्थानीय विकास कार्यों के लिये कुल कितनी धनराशि रखी गई थी ;

(ख) उसका केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों द्वारा कहां तक उपयोग किया गया और उसमें कितनी सफलता मिली ;

(ग) इस काम के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि रखी गई है ;

(घ) विभिन्न राज्यों को इसमें से कितना अनुदान दिया जायेगा और कितना केन्द्रीय सरकार स्वयं व्यय करेगी ; और

(ङ) अब तक इस पर कितना धन व्यय हुआ है और वास्तविक कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) १५ करोड़ रुपये।

(ख) पूछी गई सूचना सम्बन्धी एक विवरण सभा की मेज पर प्रस्तुत है।

(ग) १५ करोड़ रुपये।

(घ) प्रति वर्ष के बजट में दी गई कुल राशि राज्यों में बाँट दी जाती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे स्वीकृत योजनाओं पर व्यय करने के लिये कोई राशि सुरक्षित नहीं रखी जाती। ऐसी योजनाओं का खर्च व्यवस्था के अनुसार व्यय न हो पायी राशि से किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) आवश्यक सूचना विभिन्न राज्यों से एकत्र की जा रही है, और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

श्री भक्त दर्शन द्वारा ५ दिसम्बर, १६५७ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ११८३ के भाग (ख) के उत्तर में लोक सभा की मेज पर रखा गया विवरण :

(१) पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में (१६५३–५४ से १६५५–५६ तक) विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र द्वारा (सीधी स्वीकृत योजनाओं पर) खर्च किया गया केन्द्रीय अनुदान :—

	लाख रु०
केन्द्रीय सरकार	२.७२७
राज्य सरकारें	
आन्ध्र	६६.६५६
आसाम	३४.३६७
बिहार	१८५.०५०
बम्बई	६५.०३८
मध्य प्रदेश	४७.५५०
मद्रास	१७३.५८७
उड़ीसा	४०.३३८
पंजाब	३८.१८३
उत्तर प्रदेश	२३५.५८७
प० बंगाल	८३.६६६
हैदराबाद	४८.३७६
मध्य भारत	१६.३३०
मैसूर	१५.८००
पैप्सू	६.२६४
राजस्थान	४४.५१०
सौराष्ट्र	२१.१६६
तिरुवाँकुर कोचीन	१४.००६
अजमेर	१.०८०
भोपाल	२.३४०
कुर्ग	०.६५४
दिल्ली	६.४३०
हिमाचल प्रदेश	३.७२७
विन्ध्य प्रदेश	१४.२६०
जम्मू और काश्मीर	१३.६२१
कच्छ	१.६००
मनिपुर	०.७३०
त्रिपुरा	१.६५८
योग	१२२२.६२७

(२) स्थानीय विकास परियोजनाओं की संख्या :—

स्वीकृत	२,१३,०३१
जो पूरी हो चुकी हैं	७२.५६७
३१ मार्च १९५६ को जिनका काम चालू था	१,०२.८७१

विस्थापित व्यक्तियों के लिये इमारती सामान

†११८४. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दिल्ली के केन्द्रीय भंडार विभाग में पुनर्वास कार्यों के प्रयोजन के लिये लाया गया बहुत सा मकान बनाने का सामान पड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह समय समय पर होने वाली वस्तु की किस्म और मात्रा की जांच का ध्यान रख कर खरीदी गई है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में कुल हानि कितनी हुई ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशों के प्रतिनिधि मंडल

†११८५. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६–५७ में विभिन्न मंत्रालयों के कितने सरकारी प्रतिनिधि मंडलों ने विदेशों की यात्रा की ;

(ख) वे प्रतिनिधि मंडल किस प्रकार के थे और उन्होंने किन किन देशों की यात्रा की ;

(ग) क्या यह संख्या १९५५–५६ से कम है ; और

(घ) इन प्रतिनिधि मंडलों को भेजने में कितना धन व्यय हुआ ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पूर्ण जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। वर्तमान जानकारी के अनुसार स्थिति इस प्रकार है।

(क) १४१ ।

(ख) प्रतिनिधि मंडलों की किस्म तथा उन्होंने किन देशों की यात्रा की यह बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये एल. टी.–४२६/५७]।**

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) रु० २५,०५,२८९.४६ नये पैसे लगभग ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया

†११८६. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के निदेशकों के बोर्ड की ओर से पी० टी० आई को बन्द करने का विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रेस आयोग की इस सिफारिश को पी० टी० आई० की व्यवस्था एक लोक-निगम को सौंप दी जाये, क्रियान्वित करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). सरकार ने भी माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित प्रकार के समाचार देखे हैं। पी० टी० आई० की भविष्य की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रेस आयोग की सिफारिशें पी० टी० आई० के लिये थीं न कि सरकार के लिये। वैधानिक रूप से सरकार पी० टी० आई० की व्यवस्था को लोकनिगम के रूप में नहीं बदल सकती है। पी० टी० आई० के अंशधारी इस पर विचार कर सकते हैं।

दिल्ली नगरपालिका

†११८७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगरपालिका ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि विदेशी अभ्यागतों के नागरिकों की ओर से स्वागत के हेतु उन्हें कुछ आर्थिक सहायता दी जाये क्योंकि दिल्ली नरगपालिका की आर्थिक अवस्था बहुत दुर्बल है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कुछ अनुदान दिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) दिल्ली नगरपालिका समिति बहुत से प्रतिष्ठित विदेशी यात्रियों का नागरिकों की ओर से स्वागत करती है। तथा उसने भारत सरकार से तत्स्थानी अनुदान देने को कहा है जिससे अतिरिक्त भाग का कुछ अंश वहां से पूरा किया जा सके।

(ख) एक लाख रुपये।

हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड

११८८. **श्री आसर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड में, पेनिसिलीन का, कच्चे रूप में और स्फटिकाकार तैयार माल के रूप में, प्रतिदिन कितना उत्पादन होता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : इस समय पैनिसिलीन के प्रतिदिन के उत्पादन का औसत इस प्रकार है :—

१. कच्चे रूप में उत्पादन (अर्थात् पहले रवे) . . ६६,००० मेगा यूनिट

२. स्फटिकाकार तैयार माल के रूप में . . ४२,००० मेगा यूनिट

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों पर अधिभार

†११८९. {श्री रघुनाथ सिंह :
श्री कासलीवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली के समक्ष स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों पर अधिभार लगाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी, हां । कुछ देशों ने स्वेज नहर की सफाई की लागत की पूर्ति करने के लिये ऋण दिये हैं। उनका पुनर्भुगतान करने की दृष्टि से महासचिव ने सिफारिश की है कि अन्यथा उपलब्ध होने वाले संसाधनों द्वारा कमी किये जाने के अधीनस्थ ऋणदाता देशों को पुनर्भुगतान नहर के यातायात पर अधिभार लागू कर के किया जाये जिस व्यवस्था के अन्तर्गत नहर पथ-करों पर ३ प्रतिशत आरोपण एक विशेष संयुक्त-राष्ट्रीय लेखे में भुगतान किये जायेंगे और ऐसे भुगतानों की प्रशासन प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में मिस्री सरकार और भुगतानों के अन्य पक्षों के साथ बातचीत की जायेगी । नहर के यातायात के वर्तमान स्तर के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि इस तरीके से लागत लगभग तीन वर्ष के समय में वापस हो जायेगी ।

बम्बई राज्य का औद्योगिक विकास

†११९०. **श्री आसर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ९ अगस्त, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में बम्बई राज्य में उद्योगों की स्थापना किन किन स्थानों पर की जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : एक विवरण जिसमें जानकारी दी गई है लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७४]

चाय जिला मजदूर संघ[11]

†११९१. **श्री संगण्णा** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय जिला मजदूर संघ की कार्यवाहियों का चाय जिला अप्रवासी मजदूर अधिनियम, १९३२ और उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों द्वारा निविनयमन किया जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) चाय जिला मजदूर संघ एक नियोजकों का अभिकरण है, जिसे चाय जिला अप्रवासी मजदूर अधिनियम, १९३२[12] के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त है और इसलिये उसकी सहायता-प्राप्त अप्रवासी मजदूरों से सम्बन्धित कार्यवाहियों का नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम और उसके नियमों के अन्तर्गत किया जाता है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[11]Tea District Labour Association.

[12]Tea Districts Emigrant Labour Act, 1932.

सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

†११६२. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्दरी फर्टिलाइजर फेक्टरी दो मासिक पत्रिकायें प्रकाशित करती है—एक अंग्रेजी में जिसका नाम "सिन्दरी न्यूज" है और दूसरी हिन्दी में जिसका नाम "सिन्दरी समाचार" है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक भाषा में कुल कितनी प्रतियां प्रकाशित हुई और कितनी प्रतियां स्थायी ग्राहकों को बेची गई और कितनी उपहारस्वरूप वितरित की गईं ; और

(ग) इन प्रकाशनों पर कुल कितना व्यय हुआ और इन प्रकाशनों के प्रारम्भ किये जाने के समय से कितनी हानि, यदि कोई हो, हुई अथवा लाभ प्राप्त हुआ है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) "सिन्दरी न्यूज" और "सिन्दरी समाचार" में से प्रत्येक की १००० प्रतियां प्रतिमाह प्रकाशित की जाती हैं । औसतन ४०० प्रतियां "सिन्दरी न्यूज" की स्थायी ग्राहकों को और तदर्थ बिक्री द्वारा बेची जाती हैं, लगभग ३०० प्रतियां उपहारस्वरूप वितरित की जाती हैं और १५० से ३०० प्रतियां सिन्दरी के प्रमुख अतिथियों को भेंट की जाती हैं । जहां तक "सिन्दरी समाचार" का सम्बन्ध है, केवल लगभग २०० प्रतियां बिकती हैं। बहुत सी प्रतियां सिन्दरी के और बाहर के विभिन्न श्रेणियों के पाठकों को प्रकाशन से परिचित कराने के लिये उपहारस्वरूप वितरित की जाती हैं ।

(ग) लाभ अथवा हानि का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि यह पत्रिकायें प्रचार तथा सूचना साहित्य की श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं । मुद्रण की अनुमानित लागत और बिक्री तथा विज्ञापनों के रूप में प्राप्त विभिन्न वर्षों की आय नीचे दी जाती है :—

	"सिन्दरी न्यूज"		"सिन्दरी समाचार"	
	मुद्रण लागत	आय	मुद्रण लागत	आय
१६५३-५४ . . .	३१,०००	१०,०००	—	—
१६५४-५५ . . .	१८,०००	५,६००	—	—
१६५५-५६ . . .	२१,०००	५,०००	५,०००	३००

† मूल अंग्रेजी में

सिन्दरी फर्टिलाइजर फैक्टरी

†११९३. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार सिन्दरी फर्टिलाइजर फैक्टरी के प्रौद्योगिकीय विभाग के लिये सोवियत रूस सरकार से गवेषणा उपकरण प्राप्त करने के लिये शीघ्र ही प्रबन्ध करने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो उपकरण का कुल मूल्य कितना है ; और

(ग) क्या वह उपकरण राष्ट्रसंघीय प्रविधिक सहायता के रूप में प्राप्त किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) लगभग १२ से १३ लाख रुपये ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

राज्य व्यापार निगम

†११९४. **श्री नरसिंहन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम द्वारा अपने प्रादुर्भाव के समय से मृत भाटक[13] के रूप में कितनी राशि भुगतान की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : राज्य व्यापार निगम द्वारा अभी तक कोई मृत-भाटक भुगतान नहीं किया गया है ।

राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

†११९५. **श्री पाणिग्रही** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत भारत में जुलाई, १९५७ के अन्त तक औद्योगिक मजदूरों के लिये राज्य-वार कितने क्वार्टर पूर्ण रूप से बन चुके हैं ;

(ख) योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को कितनी राज-सहायता दी गई है ; और

(ग) योजना के अन्तर्गत उड़ीसा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बारंग और उडीसा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, चौहवार (कटक) को कितना धन दिया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी लोक-सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७५]** ।

† मूल अंग्रेजी में

[13]Dead Freight.

कनाडा के साथ व्यापार

†११९६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने भारतीय वस्तुओं पर आयात प्रतिबन्ध ढीले कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ; और

(ग) कनाडा द्वारा प्रतिवर्ष भारत की कितनी लागत की वस्तुओं का आयात किया जाता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) कनाडा को भारतीय वस्तुओं के आयात पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं हैं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) लगभग १५ करोड़ रूपये की।

नई दिल्ली का ब्राडकास्टिंग हाउस

†११९७. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली के ब्राडकास्टिंग हाउस में लगी वीणा-धारिणी महिला की प्रतिमा के क्रय एवं स्थापदा पर कितना धन व्यय किया गया है ;

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: १०,००० रुपये क्रय में व्यय किये गये थे और २००० रुपये उसे नई दिल्ली के ब्राडकास्टिंग हाउस में स्थापित करने में खर्च हुए थे।

अगरताला में काम दिलाऊ दफ्तर

†११९८. **श्री दशरथ देब** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरताला (त्रिपुरा) के काम दिलाऊ दफ्तर में १ जुलाई, १९५७ से अभी तक कितने व्यक्ति रजिस्टर किये गये हैं ;

(ख) उनमें से अभी तक कितने व्यक्तियों को नौकरियां दी गई हैं ;

(ग) क्या अगरताला के काम दिलाऊ दफ्तर में प्रतिदिन नाम रजिस्टर करने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिदिन कितने व्यक्तियों के नाम रजिस्टर किये जा सकते हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ३१ अक्तूबर, १९५७ तक १,०४७।

(ख) ९८८ ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

† मूल अंग्रेजी में

बिजली का भारी सामान

†११९९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में बिजली के भारी सामान का वस्तु-वार कुल कितना वार्षिक उत्पादन हो रहा है ;

(ख) सरकारी उद्योग क्षेत्र द्वारा इस समय, यदि कोई हो, उत्पादन किये जाने वाले बिजली के भारी सामान का मूल्य कितना है; और

(ग) बिजली का भारी सामान बनाने वाले उद्योगों को वर्ष १९५५-५६ में कितना लाभ हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) बिजली के भारी सामान के १९५७ के उत्पादन का, उत्पादन के वर्तमान स्तर के आधार पर, अनुमानित मूल्य निम्न प्रकार है :—

वस्तुयें	१९५७ में उत्पादन का अनुमानित मूल्य
	(लाख रुपयों में)
(१) बिजली के मोटर	५२६
(२) बिजली के ट्रांसफार्मर[14] . . .	७२३
(३) कन्ट्रोल गियर और स्विच गियर[15] . .	१०५
(४) केबिल तथा तार	१३०८
योग . .	२६६२

(ख) बिजली के ट्रांसफार्मर—७२ लाख रुपये ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

पंजाब में काम दिलाऊ दफ्तर

†१२००. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में १९५६-५७ और १९५७-५८ में अभी तक काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने व्यक्तियों के नाम रजिस्टर किये गये ; और

(ख) कितने रजिस्टर किये गये व्यक्तियों को नौकरियां दी गई हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) १९५६-५७ . १,३५,६०६

१९५७-५८ (अप्रैल-अक्टूबर, १९५७) . . . ८९,९१३

(ख) १९५६-५७ . . . . . . १५.७

१९५७-५८ (अप्रैल-अक्टूबर, १९५७) . . १४.५

†मूल अंग्रेजी में

[14]Transformers.

[15]Control gears and switch gears.

उल्हासनगर बस्ती

†१२०१. **श्री परुलेकर** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा बम्बई राज्य में उल्हासनगर में भूमि के लिये प्रति एकड़ क्या मूल्य भुगतान किया गया है ; और

(ख) सरकार वहां पर बसे हुए शरणार्थियों को उसे किस मूल्य पर बेचने का विचार कर रही है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) राज्य सरकार द्वारा अविकसित भूमि के लिये औसतन १,०५० रुपये प्रति एकड़ भुगतान किया गया था ।

(ख) विकसित भूमि के मूल्य प्रत्येक मामले में विकास की लागत और स्थिति के अनुसार ४,८४० रुपये और १६,३६० रुपये के बीच भिन्न भिन्न हैं ।

जर्मनी में भारतीय

†१२०२. **श्री पांगरकर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय पश्चिमी जर्मनी में कुल कितने भारतीय राष्ट्रजन, व्यवसाय-वार रह रहे हैं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है और कालान्तर में लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

वायदा व्यापार

†१२०३. **श्री पांगरकर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बम्बई में १६५६–५७ में रूई के वायदे के सौदों से कितनी आय हुई थी ;

(ख) क्या बम्बई में किन्हीं अन्य वस्तुओं के वायदे के सौदों से आय हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसी अवधि में उसकी राशि कितनी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार को वायदे के सौदों से कोई आय नहीं होती है ।

आकाशवाणी

†१२०४. **श्री पांगरकर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के मराथवाडा क्षेत्र में औरंगाबाद अथवा नांदेड में एक रेडियो पारेषक केन्द्र[16] के पुनर्निर्माण का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). नहीं, श्रीमान् । पहले नांदेड में एक 'रिले ट्रांसमीटर'[17] स्थापित करने का प्रस्ताव था जो हैदराबाद से सम्बद्ध हो । राज्यों के पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव बदल दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[16]Radio Transmitter Station.

[17]Relay Transmitter.

अणुशक्ति विभाग की १५ वर्षीय योजना

†१२०५. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** ५ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित **प्रश्न** संख्या १२९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अणुशक्ति के विकास की १५ वर्षीय योजना की मुख्य बातों का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशों में स्थित दूतावासों के कर्मचारी

†१२०६. **सरदार इक़बाल सिंह** : **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनाडा और लंका के भारतीय उच्चायुक्तों के कार्यालयों में कुल कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) उनमें से कितने भारतीय हैं और कितने विदेशी ; और

(ग) क्या यह सच है कि विदेशी कर्मचारियों ने अपने वेतनों में वृद्धि की मांग की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) कनाडा . २८

लंका १२८

(ख) **कनाडा**

भारतीय—१६

विदेशी —१२

लंका

भारतीय—११८

विदेशी—१०

(ग) **कनाडा**

जी, नहीं । परन्तु स्थानीय कर्मचारियों के वेतनों का, स्थानीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दी गई वृद्धियों के अनुरूप, पुनरीक्षण किया गया है ।

लंका

जी, नहीं ।

जालन्धर में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां

†१२०७. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जालन्धर, राजपुरा और खन्ना बस्तियों में विस्थापित व्यक्तियों के लिये बनाये गये क्वार्टर नीलाम किये जा रहे हैं ;

(ख) एक क्वार्टर के निर्माण पर कितना व्यय हुआ है ;

(ग) एक क्वार्टर में रहने वाले व्यक्ति से कितना किराया लिया जाता है ; और

(घ) प्रति क्वार्टर अभी तक कितनी राशि वसूल की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) केवल वे क्वार्टर ही नीलाम किये जा रहे हैं जो किसी को दिये नहीं गये हैं और जिनमें अनधिकृत वंटनी रह रहे हैं जो प्रतिकर योजना के अन्तर्गत उन्हें खरीदने को तैयार नहीं हैं।

(ख)	'ए' टाइप . . .	५,००० रुपये
	'बी' टाइप . .	५,४०० रुपये
	'सी' टाइप . .	५,६०० रुपये
	'डी' टाइप . . .	६,७०० रुपये
	जालन्धर में ८ मरले के मकान . .	२,०५० रुपये
	राजपुरा के मकान	२,५६५ रुपये

(ग) किराया राजपुरा के मकानों को छोड़कर कुल पूंजी लागत के ४ १।२ प्रतिशत की दर से लिया जाता है। राजपुरा के मकानों के सम्बन्ध में किराया ५ रुपये प्रति माह लिया जाता है।

(घ) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है और मकानों की संख्या का विचार करते हुए उसके एकत्रित करने में बहुत समय और परिश्रम लगेगा।

विस्थापित व्यक्ति

†१२०८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० में पूर्वी पाकिस्तान के कितने विस्थापित व्यक्ति पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार के कैम्पों में भेजे गये ; और

(ख) उनमें से कितने विस्थापित व्यक्ति अभी तक स्थायी तौर से बसाये जा चुके हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब में शिक्षित बेकार

†१२०९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में शिक्षित बेकारों के लिये योजनाओं में कुल कितनी राशि अन्तग्रस्ति है ;

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : दूसरी पंचवर्षीय योजना में शिक्षित बेकारों के लिये विशेष योजनाओं के लिये ५ करोड़ रुपये का इकट्ठा उपबन्ध किया गया है। इस राशि का कोई निर्दिष्ट राज्य-वार बंटवारा नहीं किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों के लिये रहने के क्वार्टर

*१२१०. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **निर्माण आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्वार्टर किन सिद्धांतों पर एलाट किये जाते हैं ;

(ख) क्या प्रार्थियों को बिल्कुल अग्रिमता के क्रम से ही क्वार्टर एलाट किये जाते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री श्री आनल कु० चन्दा** : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में स्थान प्रायः सम्बन्धित प्रार्थी के इन स्थानों में निरन्तर नियुक्ति की तारीख और उसको मिलने वाले वेतन के अनुसार दिया जाता है। सम्बन्धित सिद्धांत २४ जनवरी, १९५० के भारत के असाधारण सूचना पत्र में विनिहित है ।

(ख) और (ग). एलाटमेंट प्रायः अग्रिमता के क्रम से ही किये जाते हैं विशेष कठिनाई के मामलों को छोड़कर जिनमें प्रार्थी के विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर उसके हक से एक या दो दर्जे नीचे का स्थान 'बिना बारी' के आधार पर तीन अधिकारियों की एक समिति द्वारा मंजूर किया जाता है । ये कठिनाई के मामले इस प्रकार के होते हैं जैसे एक व्यक्ति किसी मकान में रह रहा हो और उसे अचानक उसमें से निकाल दिया जाये, या गैर-सरकारी मकान मिल न रहा हो, या भीड़भाड़ या अस्वस्थ्य परिस्थितियों के कारण परिवार में बीमारी उत्पन्न हो जाये या बढ़ जाये ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत वस्त्र (विद्युत चालित करघों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १६ नवम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३७१९ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल. टी—४१७/५७]**

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं संविधान के अनुच्छेद ३३८(२) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष १९५६-५७ के प्रतिवेदन (भाग १ तथा २) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल. टी—४१८/५७]**

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत निकाली गई अधिसूचना

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या पी० डी०–१९ (१)/५६ दिनांक २६ नवम्बर, १९५७ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी–४१९/५७]**

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक*

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि निवारक निरोध अधिनियम १९५० को अग्रेतर अवधि के लिये जारी रखने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

† मूल अंग्रेजी में

*भारत के असाधारण गजट, भाग २, अनुभाग २, दिनांक ५-१२-५७ में प्रकाशित

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री त्रि० कु० चौधरी (बरहामपुर) : हम इस विधेयक का विरोध करते हैं क्योंकि सरकार ने इस अधिनियम की बार बार अवधि बढ़ाने का अच्छा खासा ठट्ठा बना रखा है। यदि उनकी इच्छा इसे जारी रखने की है तो ऐसा प्रस्ताव क्यों नहीं प्रस्तुत कर दिया जिससे इसको संविदित पुस्तक में स्थायी रूप से स्थान मिल जाये।

१९५० में सरदार पटेल ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय कहा था कि इसके कारण वे दो रातें सो नहीं सके। वह इसको आपातकालीन स्थिति के कारण से दो वर्ष के लिये रखरहे हैं। परन्तु अब हर दो तीन वर्ष बाद इसकी अवधि बढ़ाई जाती है। हम नहीं जानते अब इसकी क्या आवश्यकता है। अब तो हमारे प्रधान मंत्री भी साम्यवादियों की तारीफ करते हैं पहले तो इनसे खतरा रहता था। मैं यही कहना चाहता हूं कि पुलिस को इस प्रकार के अधिकार देने से वह स्वतन्त्र हो जाती है और बिना किसी कारण किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है। हमें इसका पर्याप्त अनुभव है। हम इसका विरोध करते हैं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हम साम्यवादी दल के सदस्य सर्वदा देश की आवश्यकतानुसार कार्य करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि यह विधेयक बड़ा ही खतरनाक विधेयक है। यह आपातकाल में लागू किया गया था परन्तु अब धीरे धीरे इसको इसलिये स्थायित्व प्रदान किया जा रहा है क्योंकि सरकार राजनैतिक दलों के विरुद्ध काम में ला कर अपनी सत्ता बनाये रख सके। मैं इसका पूर्ण-शक्ति से विरोध करता हूं।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** यह विधेयक सभा के समक्ष आ चुका है और लगभग प्रत्येक वर्ष इस पर विचार किया गया है। जो उदाहरण यहां दिये गये, मैं समझता हूं सामान्यतः सभा ने उन्हें स्वीकार कर लिया है और यह भी उन्होंने अनुभव किया है कि इस विधि को बड़ी सावधानी से प्रयोग में लाया गया है।

इसके बारे में, हमें सर्वदा एक बात याद रखनी चाहिये और वह यह है कि हमारे देश ने जो कुछ प्रगति की है, हमारी जो कुछ प्रतिष्ठा अन्य देशों में है वह मुख्यता स्थिर सरकार के कारण है। हम देश में व्यवस्था रखने में भी सफल हुये है। यदि इन दोनों में से कोई भी गड़बड़ा गई तो जो कुछ प्रगति हमने की है, वह सब समाप्त हो जायेगी। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिये और इसका ध्यान रखने के लिये कि किसी पर अनावश्यक रूप से नियंत्रण न हो, सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि देश की ऐसी दशा रखें जिस से समस्त जनता को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मिल सके और जो व्यक्ति छिपे रह कर जनता में क्षोभ फैलाते हैं उनको ऐसा करने का अवसर न मिल सके।

कल मैंने समाचारपत्रों में द्रविड़ कषगम में किये गये निर्णय को पढ़ा और हमें पता है कि कुछ दिन पूर्व रामनाथपुरम में क्या हुआ। इस प्रकार की बातें अभी भी हो रही हैं। कभी कभी हमको बम फटने के समाचार मिलते हैं। क्या इन परिस्थितियों में हमारा कर्त्तव्य नहीं है कि

† मूल अंग्रेजी में

देश में शान्ति बनाये रखें ? यदि एक भी मामला ऐसा हो जिसमें इसका दुरुपयोग किया गया हो तो हमें उसका दुःख है ।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है तभी आदेश दिये जाते हैं जब मैं व्यक्तिगत रूप में संतुष्ट हो जाता हूं । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि यद्यपि औपचारिक रूप में गवाहियां नहीं ली जाती हैं परन्तु सभी मामलों का पुनरीक्षण किया जाता है उनकी जांच उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश करता है । यदि न्यायाधीश ऐसा परामर्श देता है कि जिस व्यक्ति के निरोध के आदेश हैं उसको मुक्त कर दिया जाये तो उसको मुक्त कर दिया जाता है । यह केवल कार्यपालिका का काम नहीं है । इसका केवल निर्णय न्यायपालिका करती है । इसलिये इसको कार्यपालिका द्वारा मनमाने ढंग से किया जाने वाला काम नहीं कहा जा सकता है ।

मेरे विचार से मुझे इस समय विशाद भाषण नहीं देना है । हमें विचार करने के अवसर मिलेंगे और हम शांति से उन पर विचार करेंगे । मैं सभी तर्कों को सुनने को तैयार हूं । और यदि सभा यह चाहेगी कि हम इस विधेयक के बिना भी अपनी प्रगति कर सकते हैं, अपने वायदे पूरे कर सकते हैं तो हम निश्चित रूप से सभा की राय पर विचार करेंगे । परन्तु मुझे विश्वास है कि यह देश के हित में नहीं होगा कि इसकी अवधि न बढ़ाई जाये । कुछ समय पूर्व हमें प्रेस (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम को व्ययगत होने दिया जिससे प्रेस को स्वतन्त्रता मिल सके । उसी प्रकार यदि हमें संतोष हो जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों में इसका रखना आवश्यक नहीं है तो हम इसे भी हटा देते । विधि की कठोरता को कम करने के लिये तथा दण्ड पाये गये अपराधियों को सुख तथा सुविधा से रखने के लिये हम कार्यवाही कर रहे हैं और मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारा व्यवहार इस प्रकार का है कि हम किसी को दुख देने के लिये इसको प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं अपितु इस उद्देश्य से प्रस्तुत कर रहे हैं कि यह हमारा कर्त्तव्य है कि देश की जनता को सुख दे सकें । यदि किसी एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता हरण के कारण बहुत से व्यक्ति सुख सुविधा से रह सकते हों तो हमें उसके विरुद्ध कार्यवाही करने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है :

"कि निवारक निरोध अधिनियम १९५० को अग्रेतर अवधि के लिये जारी रखने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में १५१, विपक्ष में ५०

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

[श्री ही० ना० मुकर्जी तथा कुछ सदस्य सभा से बाहर चले गये]

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक*

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बात की घोषणा करने वाले विधेयक को कि सरकार के अधीन कुछ लाभप्रद पदों को धारण करने वाले ऐसे पदों को धारण, करने के कारण संसद् सदस्य चुने जाने या होने के लिये अनर्ह नहीं होंगे, पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

† मूल अंग्रेजी में

*भारत के असाधारण गजट, भाग २, अनुभाग २, दिनांक ५-१२-५७ में प्रकाशित

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि इस बात की घोषणा करने वाले विधेयक को, कि सरकार के अधीन कुछ लाभ-प्रद पदों को धारण करने वाले ऐसे पदों को धारण करने के कारण संसद् सदस्य चुने जाने या होने के लिए अनर्ह नहीं होंगे, पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय तार अधिनियम १८८५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

इस विधेयक का मूल उद्देश्य था कि इस समय प्रचलित व्यक्तिगत ठेका पद्धति टेलीफोन विभाग से दूर कर दी जाये और इसके स्थान पर संविहित नियमावलि बना दी जाये। इसको सभी स्वीकार करेंगे कि टेलीफोन लगने पर हर बार व्यक्तिगत ठेके करने पर कितना अनावश्यक काम होता है और देर होती है। पुरानी व्यवस्था तभी तक ठीक थी जब टेलीफोनों की संख्या कम होती थी अथवा जब टेलीफोनों की व्यवस्था गैर सरकारी संस्थायें करती थीं। उस समय दोनों पार्टियों के अधिकारों को बताकर व्यक्तिगत ठेके देना ठीक हो सकता था। परन्तु अब स्थिति बदल गई है और समस्त टेलीफोन व्यवस्था सरकार के अधीन हो गई है। इसके अतिरिक्त, कुछ वर्षों से टेलीफोनों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है और व्यक्तिगत ठेकों की व्यवस्था बड़ी कठिन सिद्ध हो गई है। माननीय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि ३ मार्च १९४७ को टेलीफोन की संख्या १,२३,१४९ थी परन्तु ३१ मार्च १९५७ को यह संख्या तीन लाख से भी अधिक हो गई है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

संविहित नियमों के अधीन टेलीफोन व्यवसाय के विनियमन के लिये भारतीय तार अधिनियम की धारा ७ में उपधारा २ जोड़ने की व्यवस्था खण्ड २ में है। मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि प्रस्तावित संशोधन एक्सचेंज ठेकों पर लागू नहीं होगा।

इस विधेयक के खण्ड ३ में दिया गया है कि वर्तमान व्यवस्था प्रचलित शर्तों पर भी चलती रहेगी। परन्तु धीरे-धीरे बदलेगी। विधेयक में ये उपबन्ध इसलिये जोड़े गये हैं जिससे नई पद्धति रखने में कोई कठिनाई न हो।

विधेयक के खण्ड ३ में एक महत्वपूर्ण उपबन्ध यह रखा गया है कि टेलीफोन प्राधिकारियों तथा उपभोक्ता में झगड़ा होने पर मामला मध्यस्थ द्वारा तय किया जायेगा। ऐसे मामलों में पंचाट देने के लिये मध्यस्थ नियुक्त किया जायेगा। ऐसी आशा है कि इसके शीघ्र निर्णय होंगे। जैसा कि मैंने बताया था प्राधिकारियों तथा उपभोक्ताओं में व्यवस्था के लिये संविहित नियम होंगे

---

†मूल अंग्रेजी में

जो भी नियम सरकार बनायेगी वह सभी संसद् के दोनों सभा पटलों पर रख दिये जायेंगे और उनको इनमें परिवर्तन तथा रूप भेद करने के पूर्ण अधिकार होंगे ।

इस प्रकार आपको पता लगेगा यह विधेयक ऐसा है जिसको कोई भी विरोध नहीं करेगा । और जिससे विभाग तथा उपभोक्ता दोनों को भलाई होगी । मैं आशा करता हूं कि विधेयक को सभी का समर्थन प्राप्त है और बिना विरोध के पारित किया जायेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : प्रशासनिक व्यवस्था के अतिरिक्त, इस विधेयक से हमें गत दस वर्ष में टेलीफोन प्रणाली द्वारा किये गये कार्यों का पता लगता है कि इसमें बड़ी बढ़ोतरी हुई है । मैं माननीय मंत्री को सार्वजनिक टेलीफोन खोलने के लिये लिखा करता था और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कांगड़ा जिले की दो पिछड़ी तहसीलों में एक तहसील हमीरपुर में सार्वजनिक टेलीफोन खुल गया है । मैं इसके लियें उन्हें बधाई देता हूं कि वह देश की जनता को आधुनिक सभ्यता की आवश्यक वस्तुएं दे रहे हैं । मेरा भी यही विचार है कि पहली व्यवस्था देर की थी और अब शीघ्रता से टेलीफोन लग सकेंगे ।

मैं समझता हूं कि मध्यस्थ द्वारा झगड़ों का निबटारा कराने की व्यवस्था बड़ी ठीक है । मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने इस सिद्धान्त को इस विधेयक में स्वीकार कर लिया है । मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं और वह यह है कि मुझे इस विधेयक की क्रियान्विति में कुछ शंका है क्योंकि अधिक तथा उलझे हुये नियम बनेंगे । इसलिये मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रत्यायोजित विधानों को बड़ी सावधानी से बनाया जाना चाहिये । मैं माननीय मंत्री से आशा करता हूं कि नियम बनाने वाली प्राधिकारी को इस प्रकार के नियम बनाने चाहियें जिससे उनमें कोई कमियां न रहें ।

अन्त में, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि टेलीफोन उद्योग और बढ़ेगा ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : इस विधेयक के बारे में, मुझे दो छोटी छोटी बातें बतानी हैं । जहां तक इस विधेयक की आवश्यकता का सम्बन्ध है, इसमें किसी को भी संदेह नहीं है कि यह आवश्यक विधेयक है । परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि विधान में शक्तियों को प्रत्यायोजन के सिद्धान्त को रखना उचित नहीं है । धारा ७ के खण्ड (२) में सरकार को दी गई शक्तियां, सरकार को पहले ही दी जा चुकी हैं । इसलिये इस उपबन्ध को रखना ठीक नहीं है ।

श्री दी० चं० शर्मा के समान मेरा भी यही विचार है कि क्या खण्ड ७ ख को मध्यस्थ निर्णय का खण्ड कहना ठीक होगा ? क्योंकि मध्यस्थ भी सरकार का ही कोई पदाधिकारी होगा । और वह उपभोक्ता के हितों पर अधिक ध्यान न रखकर सरकार के हितों पर ही अधिक ध्यान रखेगा । इसलिये या तो इसमें यह व्यवस्था रखनी चाहिये सब्सक्राइबर को भी मध्यस्थ में आने का अधिकार होगा अथवा यह शब्द दिये जायें कि सरकार कर्मचारी को निर्णय के लिये नियुक्त करेगी ।

मेरा विचार है कि सरकार को ऐसा संशोधन प्रस्तुत कर देना चाहिये कि तीन मध्यस्थ होंगे, एक सब्सक्राइबर का तथा दूसरा टेलीफोन प्राधिकारियों का तथा तीसरा सरकार का जिससे उचित निर्णय हो सके ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं ठेके की कठिनाइयों को समझता हूं और नियम बनाकर ठेका पद्धति दूर करने के पक्ष में हूं परन्तु मैं यह नहीं समझा कि झगड़ों को किस प्रकार

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरुचा]

निबटाया जा सके । मेरा अपना अनुभव है कि बम्बई में बहुत सी शिकायतें टेलीफोन पदाधिकारियों के पास भेजी जाती हैं और उन पर कोई ध्यान नहीं देता ।

दूसरी चीज़ यह है कि टेलीफोन द्वारा बात करने के व्यय की गणना करने की भी कोई नियमित व्यवस्था नहीं है । . मुझे बम्बई का अनुभव है । वहां भी टेलीफोन पर बात करने के व्यय की गणना में लगभग १,६०,००० बार टेलीफोन का प्रयोग करने की, कॉल्स की ग़लती रहती है ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तथाकथित विवाचक के सामने कोई व्यक्ति भी किसी मामले में किसी विवाद को भेज सकता है ? उन विवादों का निबटारा किस प्रकार किया जायेगा ? खण्ड ७ (ख) में इसका कोई उल्लेख नहीं है । यदि सरकार टेलीफोन का प्रयोग करने वालों—ग्राहकों— के साथ न्याय करना चाहती है, तो उसे इस तथाकथित विवाचक के अतिरिक्त, सारे देश में टेलीफोन न्यायाधिकरणों की भी स्थापना करनी चाहिये । और उन न्यायाधिकरणों में प्रत्येक व्यक्ति को शिकायत करने का अधिकार होना चाहिये ।

इस व्यवस्था के अभाव में टेलीफोन —ग्राहकों— के साथ न्याय नहीं किया जा सकेगा, और सरकार को इसमें परिवर्तन करना चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब (उपाध्यक्ष महोदय), जहां तक इस बिल (विधेयक) का तालुक है यह बिल हाउस (सभा) के सामने एक दिन भी ज्यादा जल्दी नहीं आया है । इसकी सख्त जरूरत थी और इस वास्ते जहां तक इस बिल के उसूल का सवाल है मेरे खयाल में सारा हाउस इसको वैलकम (स्वागत) करेगा और वैलकम ही नहीं करेगा, बल्कि हम सब को एक किस्म का प्राइड (गर्व) मालूम होता है जब कि हम देखते हैं कि हमारे देश में टेलीफोन का सिस्टम (व्यवस्था) रोज बरोज तरक्की पकड़ता जा रहा है और ऐसे बहुत सारे सेंटर्स (केन्द्र) जो कि पहले अनकनेक्टेड (असम्बन्धित) थे अब कनेक्ट होते जा रहे हैं । यह निहायत खुशी की बात है कि देश के अन्दर ऐसा टेलीफोन का जाल बिछ जाये कि जिससे लोगों को इस तरह के कम्युनिकेशन (संचार) में हर तरह की सहूलियत हासिल हो । लेकिन यह कुदरती बात है कि जहां इतनी सहूलियत हासिल होंगी तो उनके इन्तिजाम में और ड्यूज़ के कलेक्शन (बकाया संग्रह) में बहुत सी दिक्कतें पैदा होंगी । अगर काम करने का वही तरीका जारी रहता है जो कि आज है तो इमकाम यह है कि सरकार को अफसरों और अदालतों की बहुत ज्यादा तादाद बढ़ानी होगी जिनके पास कि कम्प्लेंट्स (शिकायत) जायेंगे और जो कि उनका फैसला करेंगी और तनाजात का फैसला करने में भी काफी वक्त लगेगा । इसलिये मैं निहायत खुशी से यह अर्ज करता हूं कि इस बिल में यह उसूल रखा गया है कि स्टेट्यूटरी रूल्स (संविहित नियम) के ज़रिये झगड़ों का फैसला होगा । यह बड़ा मुबारक कदम है । इसमें कोई शक नहीं कि जो आथारिटी इन स्टेट्यूटरी रूल्स को बनायेगी वही एक तरह से इस सारे सिस्टम को चलाने वाली होगी । और इस तरह से जो दूसरे लोग यूज़ (उपयोग) करते हैं उनके ऊपर एक तरह की फौकियत रखेगी । इसमें कोई शक नहीं कि जो रूल्स बनाये जायेंगे वह एक महीने तक हाउस की मेज़ (सभा-पटल) पर रखे जायेंगे । लेकिन हम देखते हैं कि जो रूल बनते हैं उनमें बहुत कम तबदीली होती है । उनकी तरफ हाउस में कोई ज्यादा तवज्जह नहीं देता और न उनमें इंटरेस्ट (रुचि) लेता है और न कोई उनमें तबदीली कराने की कोशिश करता है । जो इंडीवीजुअल यूजर्स (व्यक्तिगत ग्राहक) हैं उनको न इतना इल्म होता है और न उनकी इतनी पहुंच होती है कि वे जान सकें कि उन रूल्स के जरिये किस तरह की दिक्कत

या सहूलियत पैदा होगी। उनके लिये इसको फोरसी (पहले से जानना) करना मुश्किल होता है। तो एक दफा हाउस में बिल पास होने के बाद रूल्स में बहुत कम तबदीली होने की गुंजाइश रहती है। इसलिये जो अथारिटी (प्राधिकार) इन रूल्स को बनाये उसकी खिदमत में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह पबलिक की सहूलियत का पूरा पूरा खयाल रखे और ऐसे रूल्स बनाये कि जिसमें पबलिक को किसी किस्म का डिस्सेटिसफेक्शन (असंतोष) या डिसकम्फर्ट (असुविधा) पैदा न हो।

इस बिल के अन्दर इस बात की सहूलियत और रखी गयी है। ऐसी हालत में कि जिनके अन्दर हायरिंग कांट्रेक्ट (किराये पर लेने का ठेका) करना मुफीद हो वहां उसके लिये गवर्नमेंट ने पावर्स (शक्तियां) रखी हैं। जहां दोनों फरीकों के वास्ते हायरिंग कांट्रेक्ट मुफीद वहां ऐसी पावर्स का कायम रखना अच्छी बात है और गवर्नमेंट को यह पावर्स रखनी चाहिये। जो ट्रांजीशनल पीरियड (संक्रमणकाल) है उसके वास्ते भी प्रावीजन (व्यवस्था) होगी।

जब मैं दफा ३ की तरफ आता हूं तो मैं ७ ए० (क) के वास्ते आनरेबिल मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा उसूल कायम रखा। उन्होंने रूल्स के ज़रिये जो पुराने कांट्रेक्ट हैं उनको नल एंड वाइड (अर्थशून्य) करार नहीं दिया है। और न हायरिंग कांट्रेक्ट नें दूसरे फरीक के मुकाबले कानून के जरिये एकतरफा तबदीली करने का कोई फायदा हासिल किया गया है। बड़ी खुशी की बात है कि उनके जितने हुकूक थे वे सब कायम हैं और गवर्नमेंट रूल्स के ज़रिये उनको मुस्तरद नहीं करना चाहती। लेकिन जब मैं दफा ७ बी० (ख) की तरफ आता हूं तो उसमें यह दिया गया है कि झगड़ों का फैसला अदालत से नहीं बल्कि आरबिट्रेशन (विवाचन) से होगा। लेकिन यह आरबिट्रेशन अजीब सा है। जैसा कि मुझसे पहले दो साहिबान ने फर्माया, फिलवाकया जो चीज़ सबसे पहले मुझे स्ट्राइक हुई वह यह कि यह एकतरफा आरबिट्रेशन है। आरबिट्रेशन आम तौर पर दो या दो से ज्यादा फरीक होते हैं और आरबिट्रेशन की अपील नहीं होती, और उसमें एवीडेंस ऐक्ट (साक्ष्य अधिनियम) के और दूसरे कानून के प्रोसीज्योर (प्रक्रिया) नहीं होते जिसके मानी यह हैं कि आरबिट्रेशन में अदालत के मुकाबले ज्यादा अच्छा इन्साफ मिल जाता है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लेकिन यह आरबिट्रेशन फरीकैन की मरजी से होता है। इसके अन्दर जो प्रावीजन रखा गया है मैं नहीं जनता कि उसके बारे में क्या रूल बनेगा। इसमें जो लिखा गया है उसके दो नतीजे निकलते हैं। एक तो यह कि ऐसे रूल्स बनें कि आरबिट्रेटर के मुकर्रर करने में दूसरे फरीक को भी मौका दिया जाये और दोनों फरीक की मरजी से आरबिट्रेटर मुकर्रर किया जाये या चुना जाये। इसमें कोई ऐतराज नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट आरबिट्रेटर मुकर्रर कर दे बशर्ते कि दूसरे फरीक की भी मरजी ली गयी हो। गवर्नमेंट के मुकर्रर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आरबिट्रेटर जो मुकर्रर होना चाहिये वह ऐसा शख्श हो जिसको कि दोनों फरीक कबूल करें। लेकिन जब मैं इसको पढ़ता हूं जहां लफ्ज "जनरली" (सामान्यतया) आता है वहां मैं समझता हूं कि यह डर ठीक है जो मेरे दोस्त ने ज़ाहिर किया है कि यह आरबिट्रेटर शायद गवर्नमेंट का नौकर या अफसर होगा क्योंकि अगर सब केसेज के वास्ते एक ही शख्स को मुकर्रर किया जायेगा तो वह उन अशखास की मरजी से तो मुकर्रर नहीं होगा जो इन डिस्प्यूट्स (विवादों) के फरीक होंगे। जहां तक "स्पेशली" (विशेषतया) का सवाल है यह मुमकिन है कि गवर्नमेंट ऐसा रूल बना दे कि दूसरे फरीक की

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मरजी भी मालूम कर ली जाये और यकीनन ऐसा किया जायेगा । लेकिन जब मैं "जनरली" पढ़ता हूं तो मुझे डर पैदा होता है कि गवर्नमेंट एक आरबिट्रेटर मुकर्रर कर देगी जो आम तौर पर इन झगड़ों का फैसला किया करेगा । उसको आरबिट्रेटर कैसे कहा जा सकता है । वह तो गवर्नमेंट का अफसर होगा उसको आरबिट्रेटर का नाम क्यों दिया जाता है । आरबिट्रेशन का तो यह मतलब है कि दूसरे फरीक को भी यह यकीन हो कि उसके साथ इन्साफ होता है । यह उस हालत में मुमकिन नहीं हो सकता जब कि आप एक अफसर मुकर्रर कर दें और वह फैसला करे । आप उसको आरबिट्रेटर का नाम क्यों देते हैं । कहिये कि गवर्नमेंट एक अफसर मुकर्रर कर देगी और वह फैसले करेगा । मैं अदब से अर्ज करूंगा कि जहां कांट्रेक्ट्स का सवाल है यह रूल ठीक नहीं है । आपके पास सारे अख्तियार हैं चार्ज करने का अख्तियार है और जो कुछ आप करना चाहें उसका आपको अख्तियार है । जो कि किसी मामले में खुद फरीक हो अपनी तरफ से अकेले आरबिट्रेटर कैसे मुकर्रर कर सकता है । जहां तक कांट्रेक्ट्स का सवाल है यह उसूल गलत है कि गवर्नमेंट अकेले अपनी तरफ से आरबिट्रेटर मुकर्रर कर दे । मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट के कांट्रेक्ट्स में ऐसे उसूल होते हैं । लेकिन अगर कोई शख्स आपके सामने बोल नहीं सकता तो उसके बारे में आप जैसा चाहें आरबिट्रेटर मुकर्रर कर सकते हैं और फैसला कर सकते हैं । लेकिन यह मुनासिब नहीं है । हिन्दुस्तान में आरबिट्रेशन का लफ्ज एक खास मतलब रखता है पंचों में कहावत है कि पंच परमेश्वर होता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसे रूल्स बनाये जायें कि दोनों की मरजी से आरबिट्रेटर मुकर्रर होगा । अगर आप ऐसे रूल्स बना दें तो लोगों को गवर्नमेंट में बहुत कानफिडेंस होगा और बड़ा सैटिसफैक्शन (संतोष) होगा । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि गो कि यह एक नान कंट्रोवर्शल (निर्विवाद) बिल है लेकिन इसके अन्दर यह तरमीम कर दी जाये ।

इसके साथ ही मैं एक मजीद अर्ज करना चाहता हूं जो कि इसके अलावा है । वह डिस्प्यूट्स के बारे में नहीं है । मैं उम्मीद करता हूं कि अफसरान रूल्ज़ को बनाते वक्त पब्लिक की ज्यादा से ज्यादा कनवीनियन्स (सुविधाओं) और उस के मफ़ाद का ख्याल रखेंगे । हम देखते हैं कि बाज औकात पब्लिक में बजा और जायज़ शिकायत पैदा होती हैं । क्या हम नहीं जानते कि कई बार ऐसा होता है कि लाइन खुली पड़ी है लेकिन जवाब दिया जाता है कि लाइन खराब है । किसी को तंग करने के लिये भी ऐसा किया जाता है और जब कोई दूसरा उस लाइन को यूज़ करना चाहता है तो वही लाइन खुली मिलती है ।

यह भी देखा गया है कि काल्ज़ को एक बड़े आरबिट्ररी (मनमाने) तरीके से गिना जाता है और कोई भी इस सिलसिले में की गई शिकायतों को सुनने को तैयार नहीं होता । टैलिफ़ोन को दुरुस्त करवाने के लिये पांच छः काल्ज़ करनी पड़ती है लेकिन फिर भी उस को दुरुस्त नहीं किया जाता है । इस में कई कई दिन लग जाते हैं । यह मुनासिब है कि जिस का टैलिफोन दुरुस्त न हो उसको मुआवजा दिया जाय क्योंकि किराया तो आप पूरे महीने का लेते हैं इसलिये कोई वजह नहीं है कि टैलिफ़ोन वक्त पर दुरुस्त न हो ।

इसलिये यह जरूरी है कि गवर्नमेंट कुछ कम्पलेंट्स आफिसरर्ज़ (शिकायत अधिकारी) मुकर्रर करे और वे आफिसर्ज़ आरबिट्ररी तबियत के न हों—वे जा कर कम्पलेंट्स को देखें और सुनें और सही फ़ैसला करें । जब तक यह नहीं होगा तब तक इस सिस्टम के नकायस से पब्लिक को शिकायत रहेगी और वह समझती रहेगी कि रूल्ज़ तो बन गये लेकिन हम बेबस हैं । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस डैमोक्रेसी के ज़माने में किसी भी आदमी को यह फील (महसूस) करने का मौका नहीं होना चाहिये कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) होता है कि पब्लिक

की शिकायत की समायत नहीं होती है। जब आप नये कायदे बनाने लगें तो आप ऐसा बन्दोबस्त करें जिससे कि लोगों की शिकायत की सुनवाई होने लगे और इस सिलसिले में जो झगड़े हों उन का फ़ैसला इत्मिनान और इन्साफ़ के साथ हो। अगर आप इन दो उसूलों को कायम रखेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि पब्लिक आप की बढ़ती हुई एक्टिविटीज़ (कार्यवाहियों) को वैलकम करेगी ।

श्री अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : अध्यक्ष महोदय, जो इंडियन टैलिग्राफ़ (अमेंडमेंट) बिल भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, १९५७ इस सदन के सामने पेश किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ ही इसके स्टेटमेंट आफ़ आबजेक्ट्स एंड रीज़न्ज़ (उद्देश्य तथा कारणों का विवरण) के बारे में अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। उस के लास्ट (अन्तिम) पैराग्राफ़ में आप देखेंगे कि आरबिट्रेटर मुकर्रर करने का सारा अधिकार सरकार को रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि वह इस अधिकार को जरूर रखे लेकिन इसके लिये डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन्ज़ जज के रैंक (जिला तथा सत्र न्यायाधीश की प्रतिष्ठा) के किसी आदमी को मुकर्रर किया जाय। मैं समझता हूं कि हमारे यहां जो ला-कोर्ट्स हैं उन की काफ़ी इज्जत है और दूसरे देशों के लोग भी उनको बड़े मान की दृष्टि से देखते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन्ज़ जज को आर्बिट्रेटर मुकर्रर करेंगे तो किसी को भी आपत्ति न होगी —न टैलिग्राफ अथारिटीज़ को और न इस्तेमाल करने वालों—सब्स्क्राइबर्ज़ (ग्राहकों)—को। स्टैचुटरी रूल्ज़ बनाते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिये कि वे जन-हित के लिये हों, लोगों के लिये हों और उसके मायने—उसके अर्थ—इस तरह से न लगा लिये जायें जिससे जनता का अहित हो सके। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप इन रूल्ज़ को इस तरह से बनाइये कि कोई भी आदमी किसी तरह की आपत्ति न कर सके ।

जहां तक शिकायतों का ताल्लुक है मैं इस हाउस के सामने ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जैसा कि मेरे मित्र भार्गव जी ने कहा है यह बात बिल्कुल ठीक है कि कभी कभी जब हम उन को बुलाते हैं या कम्पलेंट करते हैं तो जिस तरह से कम्पलेंट सुनी जानी चाहिये उस तरह से नहीं सुनी जाती है। ऐसा तजुर्बा शायद इस हाउस के कई लोगों को होगा। यह हो सकता है कि कार्य ज्यादा हो लेकिन अगर हम वहां पर कोई कम्प्लेंट्स आफ़िसर बिठा देते हैं तो उसका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह लिखें कि किस नम्बर की कम्पलेंट है और फिर यह दर्याफ्त करे कि वह कम्पलेंट दर असल ठीक है या नहीं। जितनी भी हमारी काल्ज़ होती हैं उनके बारे में हमें पूरा इत्मिनान होना चाहिये और अगर उसके बारे में किसी किस्म का एतराज़ हो तो कम्पलेंट्स आफ़िसर का यह कर्त्तव्य है कि वह उस को दुरुस्त करने की कोशिश करे।

जो कन्डीशन्ज़ (दशा) इस वक्त हैं उनको ठीक तरह से कंट्रोल करने के लिये ही इस बिल के ज़रिये इंडियन टैलिग्राफ एक्ट १८८५ के सैक्शन ७ में तरमीम की जा रही है। हमारे लिये यह बहुत ज़रूरी है कि जिन छोटी छोटी बातों पर लोगों को एतराज होता है वे न होने पायें। मंत्री महोदय इस बात का अच्छी तरह से ख्याल करें। जबकि हम अपने टैलिफोन सिस्टम को इतना बढ़ा रहे हैं तो हमें यह भी देखना चाहिये कि छोटी छोटी कम्पलेंट्स की सुनवाई हो सके और उन को दूर करने की कोशिश की जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव की इस बात से सहमत हूं कि केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा विवाचक की नियुक्ति करना, टेलीफोन का प्रयोग करने वाली जनता के प्रति न्यायपूर्ण नहीं होगा । विवाचक की नियुक्ति के सम्बन्ध में टेलीफोन-ग्राहकों को भी कुछ शक्तियां देनी चाहिये कि वे अपनी राय व्यक्त कर सकें । आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी ।

दूसरी चीज़ यह है कि देश के दूरस्थ भागों में यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी सूचना पाने का एक ही साधन है वहां का कॉल-बाक्स । इसलिये, स्वरूपगंज हाट में एक कॉल-बाक्स बनाया जाये । वहां काफी दुर्घटनायें होती रहती हैं ।

सरकार ने बंगलौर टेलीफोन फैक्टरी में अन्धे लोगों को कार्य करने का अवसर दिया है । उन्हें और अधिक अवसर देने चाहियें ।

टेलीफोन सामान्य जनता के लिये कल्याणप्रद है, लेकिन साथ ही हमें टेलीफोन परिचालकों के कल्याण को भी ध्यान में रखना चाहिये । छोटे-मोटे ज़िलों के नगरों में उनकी दशा बड़ी असन्तोषप्रद है । उनके कमरे भी बड़े गन्दे रहते हैं । माननीय मंत्री को किसी दिन अपनी आंखों से उनकी दशा देखनी चाहिये ।

मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : मैं भी इस विधेयक का स्वागत करता हूं । हां, मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री विवाचक सम्बन्धी खण्ड की एक बार सावधानी से परीक्षा कर लें ।

मुझे विधेयक के अन्य भागों पर कोई आपत्ति नहीं है । टेलीफोनों के प्रसार के साथ ही साथ सामान्य जनता की शिकायतें भी बढ़ेंगी, और मैं चाहता हूं कि उन शिकायतों को तत्सम्बन्धी कार्यालयों में दर्ज कर के विवाचक के पास भेज दिया जाये ।

हम इस व्यवस्था को सब-डिवीजनल नगरों तक विस्तृत कर रहे हैं । अच्छे उपकरणों के अभाव में वे शायद अच्छी तरह कार्य न कर सकें, फिर भी सामान्य जनता को जो सुविधा दी जा सकती है, दी जाये ।

माननीय मंत्री को टेलीग्राफ और टेलीफोन सर्किलों के क्षेत्राधिकारों की जांच करनी चाहिये। कहीं कहीं एक ही स्थान पर विभिन्न टेलीग्राफ सर्किलों का प्रशासन रहता है । इससे कई कठिनाइयां पैदा होती हैं ।

†**श्री घोषाल** (उलुबेरिया) : पश्चिमी बंगाल में टेलीफोन सेक्शन की त्रुटियां सर्वविदित हैं । वहां की जनता को उचित सुविधायें नहीं मिलतीं । आध-आध घण्टे तक मेहनत करने के बाद भी, टेलीफोन का ठीक सम्बन्ध (कनैक्शन) नहीं मिल पाता है । इसका कारण यह बताया जाता है कि टेलीफोन परिचालकों पर काम का दबाव बहुत अधिक रहता है और ये विलम्ब इसीलिये होते हैं ।

कभी-कभी तो टेलीफोन बिगड़ जाने की सूचना देने के १५-२० दिनों बाद तक भी उसे ठीक नहीं किया जाता । यह त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के कारण ही होता है । प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड २(१)(क) और (ख) में कहा गया है कि यदि टेलीफोन-ग्राहक ठेके के अनुसार अपने कर्तव्य पूरे नहीं करेंगे तो उन्हें हर्जाना देना पड़ेगा। इसमें से उन लोगों को विमुक्त कर देना चाहिये जो यथासमय सूचित कर दें।

मैं विवाचक की नियुक्ति के सम्बन्ध में पंडित ठाकुर दास भार्गव के विचारों से सहमत हूं।

माननीय मंत्री को पश्चिमी बंगाल के उन क्षेत्रों के टेलीफोन-ग्राहकों के कष्टों की जांच अवश्य करनी चाहिये जहां स्वयंचालित टेलीफोनों की व्यवस्था नहीं है।

†**श्री थानू पिल्ले** (तिरुनेलवेली) : वर्तमान ठेके की इस व्यवस्था में टेलीफोन-ग्राहकों को तो कोई अधिकार दिये ही नहीं गये हैं। उनका काम तो केवल भुगतान करना और कष्ट भुगतना ही है।

टेलीफोन परिचालक तो दुर्व्यवस्था का कारण यही बता देते हैं कि उन पर काम का दबाव काफी अधिक है। इसलिये, परिचालकों द्वारा चालित टेलीफोन व्यवस्था में ग्राहकों को और भी अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं।

मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि स्वयंचालित टेलीफोन व्यवस्था ही यथासंभव सब स्थानों पर रखी जाये।

परिचालकों की कठिनाइयों के दूसरे पक्ष को भी हमें नहीं भुलाना चाहिये। कहीं-कहीं वे बड़ी मौज भी करते हैं और कार्य की ओर ध्यान भी नहीं देते। उनके अधिकारी भी, कार्मिक संघीय भावना के कारण, उनसे डरते हैं। उनको वेतन काफी मिलता है। कभी-कभी वे जनता के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं।

ट्रंक कॉलों के लिये हमें कोई विधि निकालनी चाहिये। कभी-कभी स्थानों के नाम भी परिचालक नहीं समझ पाते हैं। अच्छा हो यदि विभिन्न प्रदेशों के लिये विभिन्न अंक निश्चित कर दिये जायें। इसमें परिचालकगण अक्सर गलतियां करते हैं। मैं उनको अधिक वेतन और सुविधायें देने के पक्ष में हूं, लेकिन उनमें अनुशासन भी रहना चाहिये।

विधेयक में यह व्यवस्था भी ठीक नहीं है कि सामग्री की रक्षा का भार ग्राहकों पर रहेगा। उनकी रक्षा का भार पुलिस और सरकार पर ही रहना चाहिये।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, इस वर्तमान विधेयक का स्वागत और समर्थन करते हुए मुझे संक्षेप में दो तीन बातों की ओर इस सदन का और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना है।

पहली बात तो यह है कि इसका मूल अधिनियम सन् १८८५ में बना था और चूंकि उसको बने बहुत काफी समय गुजर चुका है तो क्यों न एक बार बैठ करके उसके सम्बन्ध में अच्छी प्रकार से विचार कर लिया जाये और इस तरह के छोटे-मोटे संशोधन जो बार-बार प्रति वर्ष लाये जाते हैं, उन सबको एक बार ही ला करके नये सिरे से एक नया पूर्ण अधिनियम बना दिया जाये, क्योंकि ऐसा होने से जनता को भी सुविधा होगी।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह इस विधेयक की धारा ७ (ख) से सम्बन्ध रखती है और जिसमें कि आर्बिटरेटर की व्यवस्था की गई है। उस पर बोलते हुये पंडित ठाकुर दास भार्गव

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भक्त दर्शन]

ने ठीक ही यह बात कही कि उसमें ग्राहकों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। उसमें इस बात का खयाल नहीं रक्खा गया है कि जो ग्राहक लोग हैं उनकी सुविधा का भी ध्यान रखें। मैं इस सम्बन्ध में यह सुझाव देना चाहता हूं कि सभी बड़े नगरों में टेलीफोन एडवाइज़री कमेटीज़ (सलाहकार समितियां) पहले से बनी हुई हैं और उनमें ग्राहकों के प्रतिनिधि अच्छी संख्या में मौजूद हैं, अगर मंत्री महोदय मेरे इस सुझाव पर विचार करें कि इन टेलीग्राफ एडवाइज़री कमेटीज़ के परामर्श से इन आर्बिटरेटर्स की नियुक्ति हो तो मैं समझता हूं कि इससे जनता को काफी सन्तोष होगा।

तीसरी बात जो मैं यहां पर रखना चाहता हूं वह यह है कि यद्यपि मंत्री महोदय ने बतलाया कि देश में इस समय टेलीफोनों की संख्या लगभग ३ लाख के पहुंच चुकी है और यह बहुत अच्छी प्रगति का सूचक है और इसके लिये विभाग को जितनी भी बधाई वे देना चाहें दें और वह उपयुक्त होगी लेकिन इस सम्बन्ध में खास तौर से मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत सी शिकायतें और मित्रों ने की हैं और उनको मैं अपने दृष्टिकोण से रखते हुए यह कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े शहरों में जो हज़ारों टेलीफोन लग रहे हैं, उनके लगने के साथ साथ जो दूर दूर बहुत से ऐसे इलाके पड़े हैं और जहां कि नये जीवन का विकास हो रहा है, उनका भी खयाल रखा जाना बहुत उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश का हमारा इतना बड़ा प्रान्त है लेकिन वहां पर अभी तक शायद २०, २२ तहसीलें ऐसी हैं, तहसील हेडक्वार्टर्स जहां पर सबडिवीज़नल आफ़िसर की अदालत है, जहां पर म्युनिसिपैल्टी है और जहां पर इंटरमीजिएट कालिज है, लेकिन वहां पर कोई तारघर नहीं है, टेलीफोन का तो कहना ही क्या है। इसलिये इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि नये-नये इलाके जिनका कि विकास हो रहा है और नये केन्द्र विकसित हो रहे हैं, वहां टेलीग्राफ आफिस व टेलीफोन की सुविधा भी देने की ओर ध्यान दिया जाये।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**चौ० रणवीर सिंह** (रोहतक) : मैं इस विभाग की शिकायत नहीं करना चाहता।

इस विभाग का नियंत्रण केन्द्रीय सरकार करती है। हम उस दिन की राह तक रहे हैं जब कि देश के सभी गांवों में भी टेलीफोन पहुंच जायेगा। हमारी ८० प्रतिशत जनता गावों में ही रहती है।

श्री भक्त दर्शन ने अभी-अभी कहा है कि देश में कृषि का उत्पादन कम होने का एक कारण यह भी है कि देहाती बाजारों में टेलीफोन न होने के कारण किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। वहां टेलीफोन लग जाने पर, उनको उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी।

माननीय मंत्री को इसकी जांच करनी चाहिये।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं इस बात के लिये सभा का कृतज्ञ हूं कि सभी ने इस विधेयक का स्वागत किया है। मैं केवल उन दो विषयों के सम्बन्ध में ही कुछ कहूंगा जिनके बारे में माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं।

उनमें से पहला विषय तो नियमों—खण्ड ४(५)—से सम्बन्धित है। मुझे श्री शर्मा से यह सुन कर अतीव प्रसन्नता हुई है कि यह एक निर्विवाद विधान है, क्योंकि वे कभी भी यह पसंद नहीं करते कि कोई मंत्री किसी भी विधेयक को निर्विवाद कहे। मैंने देखा है कि सभा की सामान्य राय भी यही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर (औचित्य प्रश्न) पेश करना चाहता हूं और वह यह है कि क्या कोई माननीय सदस्य हमारे इस सदन की टेबुल (सभा-पटल) पर बड़ी देर तक बैठ सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे केवल सूचना लेने के लिये कुछ मिनट तक वहां रह सकते हैं ।

†**श्री डी० चं० शर्मा** : मैं केवल इसीलिये वहां ठहर गया था कि वक्ता महोदय और आप के बीच में न आऊं ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि नियम बनाते समय हम अवश्य ही यह सावधानी रखेंगे कि उनसे टेलीफोन ग्राहकों के हितों को कोई हानि न पहुंचे । मैं सभा को यह भी सूचित करता हूं कि हम छै महीनों के लिये एक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त करने जा रहे हैं, जो तत्काल ही इस मामले की जांच करेगा और नियम निर्माण करेगा ।

विधेयक में यह व्यवस्था की जा चुकी है कि उन नियमों को संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष रखा जायेगा और सभा को उनके पुनरीक्षण का पूरा-पूरा अधिकार रहेगा । आशा है कि इस सभा के सदस्य इससे सन्तुष्ट हो जायेंगे ; और यदि वे चाहें तो मैं अनौपचारिक रूप में उनसे परामर्श भी करने को तैयार हूं । नियमों को अन्तिम रूप देने से पहले, मैं सभी दलों के सदस्यों से परामर्श करने को तैयार हूं ।

विवाचन से सम्बन्धित खण्ड ७ (ख) के बारे में भी माननीय सदस्यों ने कई बातें कही हैं । श्री भरूचा ने कहा है कि किसी भी विषय विशेष को विवाचक को सौंपने का अधिकार ग्राहकों को भी देना चाहिये । उन्हें यह तो महसूस करना चाहिये कि हमारे ग्राहकों की संख्या बहुत विशाल है । हमारा कार्यपालक विभाग भी बहुत बड़ा है और ग्राहकों की संख्या तो तीन लाख तक पहुंच गई है । और यदि हम हर बार हर मामले के लिये नया विवाचक नियुक्त करें और ग्राहकों को उसका चुनाव करने देने की व्यवस्था करें तो उसमें बड़ा विलम्ब होगा । इसलिये, मेरा सुझाव है कि उन्हें सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी में पूरा विश्वास रखना चाहिये । मैं उनको यह भी बता दूं कि गत कुछ वर्षों में ऐसे विवादों की संख्या बहुत घट गई है, अर्थात् वर्ष भर में कुल दस या बारह विवाद ही हुए हैं जिनका निबटारा महा-निदेशक या उसकी ओर से किसी अन्य अधिकारी ने कर दिया था और सामान्यतया सभी ग्राहकों ने उन निर्णयों का स्वागत किया था । इसलिये पुरानी व्यवस्था में भी दोनों पक्षों को सन्तुष्ट रखते हुए विवादों का निर्णय करना कठिन नहीं था । इसलिये, मैं नहीं समझता कि ग्राहकों को इस संशोधन और परिवर्तित नियमों से कोई विशेष कठिनाई महसूस होगी ।

यह स्पष्ट तौर पर रखा गया है कि विवाचक की सिफारिश जो भी हो, सरकार उसे अवश्य स्वीकार कर लेगी । पंडित ठाकुर दास भार्गव को यह भली भांति मालूम है कि कई विभागों में सरकारी अधिकारी या सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी सरकार और जनता के बीच उठने वाले विवादों का निबटारा करते हैं । उदाहरण के लिये, भूमि अर्जन का कार्य करने वाले अधिकारी कई बड़े महत्वपूर्ण और कई लाख रुपयों के विवादों का निबटारा करते हैं । सरकार और निजी व्यक्तियों के बीच दीवानी के मुकदमों के निर्णय भी न्यायिक अधिकारियों द्वारा किये जाते हैं । आजकल इतने निगम स्थापित किये जा रहे हैं, उद्योगों पर सरकार अपना अधिकार कर रही

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

है और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। ऐसे सभी मामलों में, बहुत बड़े-बड़े और महत्व-पूर्ण मामलों के सिवाय, सभी छोटे-छोटे विवाद अधिकारियों को ही सौंपे जाते हैं। कहीं उनको न्यायिक अधिकारियों को, कहीं अन्य किन्हीं अधिकारियों को या अधिकारियों तथा कुछ अन्य गैर-अधिकारियों की समितियों को सौंपा जाता है। इन समितियों में गैर-अधिकारी सदस्य भी नियुक्त किये जाते हैं। यहां, टेलीफोन सम्बन्धी विवाद तो सामान्य ही होंगे। वे छोटे-मोटे विवाद ही होंगे और उनमें बहुत अधिक रुपयों की बात भी नहीं होगी। इसलिये मैंने व्यक्तिगत रूप से यही सोचा था कि इनका निबटारा तत्काल ही कराने के लिये इनको सरकारी अधिकारियों को सौंपना ही अच्छा रहेगा। यदि हम देखेंगे कि उसके बारे में कुछ शिकायतें हैं तो हम अन्य किसी विभाग का अधिकारी नियुक्त कर देंगे। लेकिन यदि ग्राहकों को पूर्ण सन्तोष होगा तो सामान्य रूप में विवादों का निर्णय डाक तथा तार विभाग के अधिकारी ही करेंगे। यह इसलिये कि वे समस्या की प्रविधिकताओं से परिचित रहते हैं और वे शीघ्रता से उनका निबटारा भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आवश्यकता पड़ेगी, तो हम अन्य विभागों के अधिकारी भी इसके लिये नियुक्त करेंगे।

बड़े-बड़े और महत्वपूर्ण मामले एक पृथक् विवाचक को सौंपे जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतया तो उनका निबटारा वही अधिकारी करेगा जो इसके लिये नियुक्त होगा। इसलिये, माननीय सदस्यों को ऐसा कोई सन्देह नहीं रहना चाहिये कि इन मामलों में न्याय नहीं किया जायेगा। मैं तो उन्हें यहां तक आश्वस्त करने को तैयार हूं कि डाक तथा तार विभाग से सम्बन्धित विवादों के बारे में विवाचकों के कार्य पर मैं खुद निगरानी रखूंगा। विवाचक की नियुक्ति और उनके कार्य की प्रक्रिया के सम्बन्ध में नियम बनाये जायेंगे। यदि वास्तव में उनसे कोई शिकायत पैदा होगी या ग्राहकों को कोई कष्ट होता दीखेगा, तो उनका पुनरीक्षण किया जायेगा। हम उस पर पुनः विचार करेंगे।

प्रतिकर से सम्बन्धित मुझे उस मामले का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है। यदि कोई ऐसा मामला हुआ है, तो उसे हमारी जानकारी में लाया जाना चाहिये। यदि प्रतिकर के मामले में कोई मतभेद उठे, तो उसे भी विवाद मान कर विवाचक को सौंपा जा सकता है। चर्चा के दौरान में जिन तीन मूलभूत बातों का उल्लेख किया गया था, वे हैं : नियम, विवाचन और प्रतिकर की अदायगी। मैंने इनके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर दिये हैं, और आशा है कि माननीय सदस्य उनसे सन्तुष्ट हो गये होंगे।

दो या तीन विशिष्ट मामलों का भी उल्लेख किया गया है। श्रीमती इला पालचौधरी ने स्वरूपगंज हाट के ग्राम टेलीफोन घर का उल्लेख किया था। उन्होंने इसमें चतुराई दिखाई है। उन्होंने कहीं ग्राम टेलीफोन घर खोलने का सुझाव दिया है। गत आय-व्ययक भाषण में उन्होंने खरनपुर के ग्राम टेलीफोन घर का उल्लेख किया था। उसे इसी महीने खोला जा रहा है।

साथ ही, स्वरूपगंज में ग्राम टेलीफोन घर खोलने की सम्भावना की भी जांच की जा रही है।

जहां तक अन्धों को प्रोत्साहित करने का सम्बन्ध है, मुझे स्वयं उसका अवसर पाकर बड़ी प्रसन्नता होगी।

टेलीफोन केन्द्रों के कार्यालयों की इमारतें डाकघरों और टेलीफोन केन्द्रों के संयुक्त अधिकार में रहती हैं। प्रत्येक राज्य में इस विभाग के कार्यालयों की दशा और कर्मचारियों के रहन-सहन

के स्थानों की दशा अत्यन्त असन्तोषप्रद है । हम इस सम्बन्ध में कुछ करने का विचार कर रहे हैं । इसके लिये निधियां भी सुलभ बना दी गई हैं । अब देखिये सफलता कितनी मिलती है ।

आशा है कि ये निधियां इस वर्ष व्यपगत नहीं होंगी ।

माननीय सदस्या इसकी कठिनाइयों से परिचित ही हैं । इमारतों के निर्माण का पूरा कार्य अकेले हमारे विभाग पर ही निर्भर नहीं है, उसके लिये हमें अन्य विभागों पर भी निर्भर रहना पड़ता है । इस मामले में तो रेलवेज ही अच्छी हैं । उनका अपना भवन-निर्माण विभाग, इंजीनियरिंग विभाग और असैनिक निर्माण विभाग हैं । रेलवे विभाग स्वयं ही अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाता है । लेकिन, डाक तथा तार विभाग को तो केन्द्रीय जन वास्तु विभाग पर निर्भर रहना पड़ता है और उसके कुछ अपने नियम हैं। मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री ने भी इसमें मेरी सहायता की है और आशा है कि इस वर्ष काफी सुधार हो जायेगा ।

मैं श्री सामन्त की बातों के सम्बन्ध में कुछ भी कहने में असमर्थ हूं । उन्हें एक-दो विशिष्ट मामले बताने चाहियें । उन्होंने कहा है कि इंजीनियरिंग विभाग में कुछ अतिछादिता है । वे यदि इस सम्बन्ध में विशिष्ट उदाहरण बतायें, मैं उनकी जांच करूंगा ।

पश्चिमी बंगाल के एक माननीय सदस्य ने स्वयंसंचालित टेलीफोन व्यवस्था का उल्लेख किया था । यदि उनके पास इस प्रकार के कष्टों के कुछ विशिष्ट मामले हों तो वे हमें बतायें । उन्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बहुत जल्दी ही कलकत्ता में स्वयंसंचालित टेलीफोन व्यवस्था की जा रही है, शायद इसी महीने के अन्त में । हमारी सामान्य नीति यही है कि देश के कोने कोने में टेलीफोन पहुंचाये जायें । हम उसका भरसक प्रयास कर रहे हैं । लेकिन, निधियों की सीमा तो सभी जानते हैं । इसलिये, हमें विस्तार का कार्यक्रम क्रमशः ही कार्यान्वित करना पड़ेगा । द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्रमशः ही पूरा किया जा सकेगा । चौ० रणवीर सिंह ने गांवों-गांवों में टेलीफोन ले जाने की जो बात कही है हम उसका भी प्रयास कर रहे हैं । उन्होंने कहा है कि गांवों में टेलीफोन रहने से हमारी कृषि में सुधार होगा । यदि देखा जाये तो सब-डिवीजनों और तहसीलों के प्रधान कार्यालयों में तो टेलीफोन पहुंच ही चुका है, और आशा है कि शीघ्र ही वह सामुदायिक परियोजना केन्द्रों में भी पहुंच जायेगा । हम उसका भरसक प्रयास कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय तार अधिनियम, १८८५ में आग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें कोई भी संशोधन नहीं है, इसलिये मैं सभी खण्डों को एक साथ रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, २ और ३, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, २ और ३, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, १६५७ संसद् के मई-जून वाले सत्र में पारित हुआ था । ८ जून, १६५७ को उस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिली और १२ जून, १६५७ को उसे लागू कर दिया गया । जो कुछ चर्चा हुई है वह अभी हाल ही में हुई है अतः मैं इस मूल अधिनियम के ब्यौरे को नहीं लेना चाहता । फिर भी मैं मूल अधिनियम की कुछ मुख्य मुख्य बातों को लेना चाहता हूं ।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

इस अधिनियम में कहा गया है कि इसकी धारा ४ की सभी बातों को मानते हुए खान की खुदाई के लिये एक आरम्भिक अधिसूचना निकाली जायेगी । अतः धारा ६ में एक उपबन्ध है कि धारा ४ के अधीन निकाली गई अधिसूचना के अनुसार खुदाई के काम में जो क्षति होगी उसके लिये क्षतिपूर्ति दी जायेगी । यह क्षतिपूर्ति परिस्थिति के अनुसार आरम्भिक क्षतिपूर्ति होगी अर्थात् बहुत थोड़ी राशि होगी और सरकार को उस भूमि में खुदाई करने के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार नहीं होगा ।

धारा ७ में कहा गया है कि धारा ४ के अधीन जिस भूमि में खुदाई करने के लिये अभिसूचना निकाली जायेगी उसे अर्जित करने का अधिकार सरकार को होगा । इस धारा के अनुसार सरकार अपनी इच्छा प्रकट करेगी कि वह उस भूमि का, पूरी का या उसके किसी एक भाग का, अर्जन करना चाहती है या भूमि में कोई अधिकार चाहती है ।

अधिनियम की धारा ८ में उपबन्ध है कि सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित अर्जन के विरुद्ध आपत्ति भी की जा सकती है और इस आपत्ति की जांच के लिये भी उपबन्ध किया गया है । धारा ९ में कहा गया है कि धारा ८ के अधीन की गयी आपत्ति की जांच पर यदि कोई प्रतिवेदन हो तो सरकार उस पर विचार करेगी और उसके बाद भूमि का अर्जन या भूमि सम्बन्धी कुछ अधिकारों का अर्जन किया जायेगा और इस की घोषणा समुचित रूप में की जायेगी ।

वर्तमान संशोधन विधेयक के खंड ४ द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया में परिवर्तन करने का प्रयत्न किया गया है । इसमें कहा गया है कि यदि केन्द्रीय सरकार धारा ४ की उपधारा (१) में अधिसूचित सारी भूमि का या उसके किसी भाग का अर्जन या उस भूमि सम्बन्धी किसी अधिकार का अर्जन आवश्यक समझती है तो वह निदेश दे सकती है कि धारा ८ के उपबन्ध लागू नहीं होंगे और ऐसा निदेश

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया ।

देने के बाद, धारा ७ के अधीन निकाली गयी अधिसूचना के बाद, इस सम्बन्ध में किसी भी समय घोषणा की जा सकती है ।

इस संशोधन से आप को पता लगेगा कि यह आकस्मिक समय या आपातकाल की कठिनाइयों को दूर करने के लिये है । यदि केन्द्रीय सरकार समझती है कि भूमि का अर्जन सीधे कर लिया जाये तभी इस अधिकार का प्रयोग किया जायेगा ताकि बाधा डालने वाले लोगों को बाधा डालने का अवसर न मिले और सीधे घोषणा कर दी जायेगी कि भूमि का या भूमि सम्बन्धी अधिकार का अर्जन कर लिया गया है ।

जहां तक इस विधेयक की प्रवृत्ति का प्रश्न है इसमें कोई विशेष बात नहीं है क्योंकि धारा १७(४) के अधीन १८९४ के अधिनियम में यह अधिकार पहले ही से दिये हुए हैं और चाहे यह अधिकार न भी हों तो भी इस भूमि-अर्जन अधिनियम द्वारा जो अधिकार लिये जा रहे हैं वे कोई असाधारण अधिकार नहीं हैं । नियमानुकूल जो क्षतिपूर्ति देनी चाहिये उसकी व्यवस्था तो अधिनियम में है ही । इसमें केवल इतना ही कहा गया है कि क्षतिपूर्ति देने के लिये और अर्जन करने के लिये कोई लम्बी प्रक्रिया अपनाये बिना ही सरकार भूमि अर्जन कर सकती है । यही इस संशोधन विधेयक का मूल आधार है ।

एक बात और महत्वपूर्ण है जो मैं बताना चाहता हूं । वह यह है कि अर्जन का प्रभाव जिस व्यक्ति पर पड़ेगा उसे कितनी क्षतिपूर्ति दी जायेगी । अधिनियम की धारा १३ के अधीन अनेक सिद्धांत निश्चित किये गये हैं कि खुदाई की अनुज्ञप्तियों के लिये क्या क्षतिपूर्ति दी जायेगी । इन सिद्धांतों पर, विधेयक पर विचार करते समय, काफी विचार किया गया था । सिद्धांत रूप से हमने इसी बात को आधार माना है कि वास्तविक व्यय से जो कुछ भी अधिक होगा उस पर अधिक से अधिक ५० प्रतिशत कर दिया जायेगा ।

इस बात की आलोचना की जा सकती है कि यह तरीका बहुत ही उदार है और इस बात की भी आलोचना की जा सकती है कि अधिकतम सीमा निर्धारित करके हम क्षतिपूर्ति देने के सिद्धांत का उल्लघंन कर रहे हैं । इसके लिये एक बीच का रास्ता अपनाया गया और वह यही है जैसा कि धारा १३ में कहा गया है कि कुल व्यय पर अधिक से अधिक ५० प्रतिशत दिया जायेगा ।

फिर भी एक बात छूट गयी थी और उसकी बहुत आलोचना भी की गयी है । इस खंड ६ के द्वारा उस बात को ठीक किया जा रहा है । अधिनियम की धारा १३ को देखेंगे तो पता लगेगा कि धारा १३ के खंड ४ के उपखंड(२) में कहा गया है कि बरमे की खुदाई के काम में जो व्यय होगा उसके ब्याज पर कोई विचार नहीं किया गया है । पर इस संशोधन विधेयक के खंड ६ द्वारा इस कमी को भी दूर किया जा रहा है और अब खुदाई के ठेके के लिये जो अनुज्ञप्तियां दी जायेंगी उन पर किये गये वास्तविक खर्च पर ब्याज भी दिया जायेगा । इस परिवर्तन के लिये कोई व्याख्या देने की आवश्यकता नहीं है । कोई भी दल स्थान का पता लगा कर और यह जान कर कि इस स्थान पर कोयला निकलेगा खुदाई का ठेका ले सकता है । अतः यह बात कोई अनुचित नहीं होगी कि इस छान-बीन और खोज के काम के लिये दिये गये लाइसेंस की तिथि से उस पर किये गये व्यय पर उसे ब्याज दिया जाये पर वह ५० प्रतिशत से अधिक न हो ।

एक बात ध्यान रखने लायक है कि इस छानबीन का काम करने के लिये लाइसेंस देने और खुदाई का ठेका देने के सम्बन्ध में काफी आवेदन-पत्र आते हैं । उस समय तो कोई छानबीन नहीं की जाती । जब कोई दल पता लगाने के काम के लिये लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र देता है । क्योंकि वह अवस्था ऐसी होती है जब केवल यह पता लगाना होता है कि कहां पर कोयला निकल सकता है । और पता लगाने के काम में काफी समय भी लग सकता है क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं है । और कई बार जहां कि प्रयत्न किये जाते हैं वहां पर कोयला निकलता भी नहीं ; जहां कोयले के मिलने

[सरदार स्वर्ण सिंह]

का पता लग जाता है और यह आशा होती है कि यहां पर उचित ढंग से और लाभदायक तरीके से कोयले की खुदाई हो सकेगी तब उस पर विचार किया जाता है।

ऐसी अवस्था में हम इस बात पर विचार करते हैं कि जिस दल ने कोयले की खान का पता लगाया है उसे क्या ब्याज दिया जाये और उसे खुदाई का लाइसेंस भी दिया जाये या नहीं। यही दो इस विधेयक के मुख्य उपबन्ध हैं। अन्य संशोधन तो केवल साधारण हैं। अतः अन्य संशोधनों को मैं ब्यौरेवार नहीं लेना चाहता।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इतनी ही जल्दी इस अधिनियम का संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ गयी क्योंकि अभी हाल में ही यह अधिनियम पास हुआ था। जो बातें मैंने बताई हैं उनसे आप लोगों को पता लग गया होगा कि जल्दी से और प्रभावशाली ढंग से खनिज क्षेत्रों का अर्जन करने में इस अधिनियम द्वारा कितनी कठिनाइयां होती थीं।

संशोधन विधेयक के खंड ४ में आपातकालीन उपबन्ध जो हैं उन्हें वस्तुतः मूल अधिनियम में होना चाहिये था। यह पुरानी प्रथा लगभग ५० वर्ष से चली आ रही थी और जब मैंने यह अधिनियम प्रस्तुत किया था उसी समय हमें इस त्रुटि को दूर कर देना चाहिये था। उस समय हमने सोचा था कि बहुत ही जल्दी हमें अर्जन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और न इसमें अधिक विलम्ब ही हुआ करेगा और हमारा उद्देश्य पूरा होता रहा करेगा। पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक लक्ष्य निश्चित किया गया है जिसके अनुसार राष्ट्रीय कोयला विकास निगम पर कोयले के उत्पादन बढ़ाने का काफी भार डाला गया है। खानों की खुदाई, उनके विकास और उनके संगठन आदि में काफी समय लगता है। और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के पास तो इस समय वैसे भी बहुत काम है। कुछ मामलों में तो कुछ दलों ने न्यायालय में जाकर सरकारी काम को रोकने के लिये आदेश भी निकलवा दिये हैं। पर हमारे लिये आवश्यक है कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि आवश्यकता पड़ने पर भूमि अर्जित करने के लिये हम उचित कार्यवाही कर सकें। वैसे मैं नहीं जानता कि इन मामलों पर न्यायालय क्या निर्णय देगा। इसी कारण संशोधन विधेयक के खंड ४ द्वारा नयी धारा ९-क जोड़ने की कोशिश की गयी है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि इस संशोधन विधेयक द्वारा जो संशोधन किये जा रहे हैं उन्हें सभा स्वीकार करेगी।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद १९ का उल्लंघन हो रहा है। यदि इस प्रकार सरकार भूमि अर्जित करने का सारा अधिकार अपने हाथों में ले लेगी तो अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को, जो कोयले वाले क्षेत्र के निवासी हैं, बहुत कठिनाई पड़ेगी। आप को पता है कि झारखण्ड क्षेत्र को छोड़ कर लोग आसाम के चाय बागानों के क्षेत्र में जा कर बसे हैं, क्यों? इसी कारण कि उनकी भूमि सरकार ने अर्जित कर ली। अतः सरकार के ऊपर हमें संदेह होता है। सरकार ने, हमारे मंत्रियों ने, पिछली बार चुनाव के समय कहा था कि भूमि के बदले में भूमि और मकान के बदले में मकान मिलेंगे पर मैथान के कछार के लोग आज ७ वर्षों से इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं कि कोयले का खनिज उत्पादन न बढ़ाया जाय। मैं इसमें कोई रुकावट भी नहीं डालना चाहता।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस संशोधन विधेयक द्वारा आप ने जनता द्वारा आपत्ति करने का अधिकार छीन लिया है। कम से कम आप उनको बता तो दें कि आप क्या करना चाहते हैं? और जिस भूमि का आप अर्जन कर रहे हैं उनके निवासियों को आप वहां बसाने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भूमि अर्जन और क्षतिपूर्ति देने--दोनों काम साथ साथ किये जायें। फिर क्षतिपूर्ति नकद धन के रूप में न दी जाये। मैं चाहता हूं कि सरकार स्पष्ट शब्दों में वादा करे कि भूमि अर्जन तथा क्षतिपूर्ति देने का निश्चय साथ साथ ही किया जाये।

मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि मैं कोयले की खानों के विकास के विरुद्ध नहीं हूं। पर बात यह है कि वहां के रहने वालों के साथ अन्याय होगा। लाखों व्यक्ति बे घरबार हो जायेंगे। मंत्री महोदय ने कहा कि इस काम को तीव्रता से करने के लिये हम यह सब अधिकार मांग रहे हैं पर मैं पूछता हूं कि ऐसी क्या जल्दी है? आप गरीब लोगों को बे सहारे जान कर उनका अधिकार इस प्रकार छीनना चाहते हैं यह ठीक नहीं है।

मैं एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोयले का उत्पादन बढ़ाने या खानों के विकास का काम तब तक नहीं हो पायेगा जब तक हमें इन गरीब लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा। आप उनको बेघरबार बना कर निकाल देना चाहते हैं तो वे आप के साथ सहयोग कैसे कर सकते हैं।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि यदि सरकार इस विधेयक को अभी रोक दे तो बहुत अच्छा हो। सरकार पहले उन क्षेत्रों में रहने वाली जनता की राय ले ले उसके बाद इस विधेयक को पारित करे। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्वखानदेश) : मैं श्री जयपाल सिंह की बातों से पूर्णतया सहमत नहीं हूं। सरकार को इस प्रकार का अधिकार अपने हाथ में लेना ही चाहिये क्योंकि यदि आपत्तियां मांगी जायेंगी, मुकदमे बाजी होगी तो बर्षों लग जायेंगे और हम एक भी भूमि अर्जित नहीं कर पायेंगे। अतः सरकार के पास यह अधिकार होना ही चाहिये। श्री जयपाल सिंह की यह शंका निर्मूल है कि क्षतिपूर्ति मिलने में विलम्ब होगा। मैं श्री जयपाल सिंह की इस बात से सहमत हूं कि भूमि अर्जन से जो लोग बे घरबार हो जायेंगे उनको बसाने का तुरन्त प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

अब इस विधेयक के उपबन्धों की बात लीजिये। इस विधेयक द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि कोयले की खानों का पता लगाने वालों तथा उसकी बरमे की खुदाई करने वालों को, उनके द्वारा किये जाने वाले व्यय पर, ब्याज भी दिया जायेगा। क्या इस समय हम व्यय पर ब्याज नहीं दे रहे हैं। यदि दे रहे हैं, तो आगे हम और क्या देना चाहते हैं? क्या हम उनको अनुचित रूप से कुछ पगड़ी या लूंगी देना चाहते हैं? लोगों के धन के नष्ट करने की भी कोई सीमा होनी चाहिये। खनिज खोज करने की अनुज्ञप्ति वाला व्यक्ति प्रत्येक बात पर व्यय करता है। इसलिये इसके बाद बाकी क्या रहता है?

उस व्यक्ति का उदाहरण लीजिये, जो इस व्यवसाय में अधिक प्रवीण नहीं वह अधिक खर्चा करेगा। वह उसे दे दिया जायेगा। इस पर भी वित्त मंत्री कहते हैं कि उसे पूंजी के ५० प्रतिशत तक ब्याज दे दो, क्या यह सार्वजनिक निधि का दुरुपयोग नहीं है? इन कठिनाइयों का हल करने के लिये हमारे संविधान का एक संशोधन है। चतुर्थ संशोधन के अनुसार मुआवजे के औचित्य

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

का मामला अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। सरकार इस संशोधन का लाभ क्यों नहीं उठाती। इसके साथ ही एक और भी बात है कि जब तक अर्जन का सारा काम नहीं हो जाता, तब तक के लिये ५ प्रतिशत ब्याज भी दिया जाये। यह तो सरकारी धन को नष्ट करने वाली बात है। पता नहीं सरकार इन पूंजीपतियों के प्रति क्यों इतनी उदार हो रही है? २० मई १९५७ को पारित मूल विधेयक में जो उदारता दिखाई गयी है, उसके कारण तो मंत्री महोदय को बताने ही चाहियें।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कौरापट): मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। हमारा तो विधेयक के दो उपबन्धों से सम्बन्ध है। मूल अधिनियम के धारा ८ के अन्तर्गत जो जांच की व्यवस्था थी, उसे हटा लिया गया है। यह आपातकालीन अधिकार थे, जिनकी कई जगह पर आवश्यकता पड़ती है। और यह संशोधन उन लोगों के हितों के विरुद्ध नहीं जिनकी खानों को अर्जित किया जाना है।

दूसरा संशोधन धारा १३ का है। इसके अन्तर्गत जो कुछ किसी ने खर्चा किया है और वह उसे मुआवजा मिलना है, उस पर ब्याज की रकम बढ़ाई जा सकती है। इसमें कोई बुराई की बात नहीं, और इस सम्बन्ध में श्री नौशीर भरूचा की आपत्ति निराधार है।

कुछ अन्य संशोधन भी हैं जिनकी मैं कोई, अधिक आवश्यकता नहीं समझता। खंड ३ की धारा ५, खंड ५ और खंड ७ में संशोधन किया जा रहा है जिनके बिना भी काम चल सकता है। परन्तु जिन दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों के कारण विधेयक प्रस्तुत किया गया है उनका पक्षपाती होता हुआ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री त० ब० विठ्ठल राव** (खम्म): मई में हमने शीघ्रता से विधेयक पारित कर दिया था क्योंकि औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार कर चुके थे और हमारी इच्छा थी कि कोयले की खानों का विकास कर उत्पादन की वृद्धि करें। हमने इसे प्रवर समिति के सपुर्द भी नहीं किया। मुझे ऐसे उदाहरणों का पता है जहां कि बड़े भूमिदारों ने खानों के कार्य को रोक दिया। इसलिये उस प्रकार के कार्यों को रोकने के लिये यह कानून प्रस्तुत किया गया है ताकि उत्पादन के अनुसूचित कार्यक्रम में कोई बाधा प्रस्तुत न हो।

गत बार जब मुआवजे का प्रश्न आया था, तो मंत्री महोदय ने सभी खर्चों की अदायगी का समर्थन किया, हालांकि यह पूरी सम्भावना है कि खर्चे के आंकड़े गलत भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इसलिये अब ब्याज देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। एक बचाव है कि ब्याज वास्तविक राशि के ५० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। परन्तु खोजने के कार्य पर जो खर्चा हुआ उस पर ब्याज किसी अवस्था में भी न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।

विधेयक के प्रस्तुत किये जाने के समय गैर सरकारी क्षेत्रों की ओर से आलोचना की गयी थी। हमारे भी इस सम्बन्ध में सन्देह थे कि हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रखे उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे अथवा नहीं। औद्योगिक नीति प्रस्ताव के उल्लेख से भी यही पता चलता है कि कोयले को प्रथम स्थान दिया गया है। और इसके विकास की जिम्मेदारी राष्ट्र की होगी। हम कोयले वाले स्थान अर्जित कर रहे हैं और इससे हमारा वह लक्ष्य भी पूरा होता है कि कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास में सरकारी क्षेत्रों का पूरा भाग रहना चाहिये। परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भी सरकारी क्षेत्र २५ प्रतिशत से अधिक उत्पादन की वृद्धि नहीं कर सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

आज ही का समाचार है कि बम्बई राज्य के विकास और योजना मंत्री ने खानों का काम करने वालों का सम्मेलन बुलाया है। उनका कहना है कि राज्य में ५०० वर्गमील का क्षेत्र है जहां कि कोयला उपलब्ध हो सकता है। बंगाल और झरिया का कोयला भाड़े के कारण मंहगा पड़ता है। यदि वह इस काम को सरकारी तौर पर करे तो ठीक है, परन्तु वह तो यह प्रयत्न कर रहे हैं कि यह क्षेत्र विदर्भ के उन लोगों को देना चाहते हैं जिनके पास ४०० वर्गमील का पट्टा है और वे कोयला केवल ६ वर्ग मील से ही निकाल पाये हैं। उनका वार्षिक उत्पादन केवल ४ लाख टन है। वह केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग से भी यही सिफारिश करना चाहते हैं कि यह क्षेत्र उनको दे दिया जाये।

और मजेदार बात यह है कि इन खानों पर इस प्रकार से काम किया गया है कि वे उत्पादन बढ़ा ही नहीं सकते। भूमि के अन्तर्गत छिपी कितनी राष्ट्र सम्पत्ति उन्होंने नष्ट कर दी है। यदि आप इन को ठीक भी करना चाहे तो इतना खर्च आ जायेगा कि आज के कोयले की कीमत का दुगना उस पर अदा करना होगा इसी प्रकार और भी एक दो स्थानों पर ऐसा ही हुआ है। कोयले के उद्योग को काफी हानि पहुंचाई गई है। मेरा सरकार से कहना है कि यदि सचमुच आप इन ५०० वर्गमील से कोयला निकालना चाहते हैं तो इसे सिंजरनी के प्रबन्ध में दे दो। वे साथ के क्षेत्र में खानों का कार्य कर रहे हैं वह ६ लाख टन प्रतिवर्ष कोयला निकाल रहे हैं, और उनका लक्ष्य दस लाख टन है। यह विदर्भ से भी कोयला निकाल लेंगे और अन्य व्यवस्था भी सुचारु रूप से कर लेंगे।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के २० मास समाप्त हो गये हैं। १२० लाख टन सरकारी क्षेत्र को छोड़ा गया था, अर्थात उनके उत्पादन का चार गुणा। परन्तु खेद है कि इस सम्बन्ध में प्रगति बहुत ही असन्तोषजनक है। इस वर्ष २ लाख टन का उत्पादन हुआ है। इस गति से हम कैसे अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। मंत्री महोदय कह देंगे कि हमें विदेशी सहायता लेनी पड़ेगी और विदेशी विनिमय का प्रश्न है इत्यादि इत्यादि। परन्तु गैर सरकारी क्षेत्र से हमें शिक्षा तो लेनी ही चाहिये। उन्होंने अपना उत्पादन ४० लाख टन बढ़ा लिया है। खानों का काम देश में ८० वर्ष पुराना है, क्या इसके विकास के लिये भी हमें विदेशी सहायता का आश्रय लेना होगा ? विभाग से खान विकास का कार्य राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को सौंपा गया है, परन्तु फिर भी कुछ प्रगति दिखाई नहीं दे रही।

मुझे बताया गया है कि कोरबा कोयला क्षेत्र में कुछ विदेशी कार्य करेंगे। उन से कुछ लाभ उठाया जा सके तो अच्छा है। परन्तु सामान और मशीनरी की प्रतीक्षा में समय नष्ट नहीं करना चाहिये। हमें अपना देशीय ढंग प्रयोग में लाना चाहिये। उस से बेकारी की समस्या भी हल होगी। ठीक है उससे कोयला महंगा पड़ेगा लेकिन जो कुछ उत्पादन होगा, उससे भी तो राष्ट्र को लाभ होगा।

साथ ही मैं अपने माननीय मंत्री महोदय को यह भी कहूंगा कि वह जिस व्यक्ति की भी जमीन अर्जित करें उस के पुनर्वास का समुचित प्रबन्ध होना चाहिये। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि खानों में काम करने वाले मजदूरों को ठीक ढंग से और समय पर वेतन मिले। उड़ीसा की एक खान में आठ मास से वेतन नहीं मिला। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री को हमें बताना चाहिये कि सरकारी क्षेत्र में खानों के विकास और कोयले के उत्पादन के सम्बन्ध में क्या कुछ किया जा रहा है ?

†**श्री पट्टाभिरामन** (कुम्बकोणम्) : इस विधेयक की परिधि बड़ी छोटी है । परन्तु कोई नई बात नहीं है । १८८४ के भूमि अर्जन अधिनियम में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है । इसमें राज्य के सामान्य अधिकारों और पुलिस अधिकारों में अन्तर किया गया है । यदि राज्य को किसी ज्ञात कार्य के लिये भूमि अर्जन करना है तो उसकी संविधान के अनुच्छेद ३१ के अन्तर्गत व्यवस्था है । खण्ड ३१ में यह भी है कि एतत्पश्चात् राज्य जो कोई विधि सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति के अथवा प्राण या सम्पत्ति के संकट निवारण के लिये बनाये उसके उपबन्धों पर इसका प्रभाव नहीं होगा ।

कोयले वाले इलाकों का इंग्लैंड में भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है । हमारी सरकार भी वैसा ही कर रही है । श्री विट्ठल राव ने मुआवजा न देने की जो बात कही है उस पर हम अमल कर रहे हैं । हम हमेशा न्यायोचित बात करने के पक्ष में हैं, इसीलिये मुआवजे की व्यवस्था की गई है ।

ब्याज न देने की जो बात कही गई है, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि खान खोदने के काम में लाखों का खर्च होता है और यह धन सभी लोग बैंकों से कर्ज लेते हैं । और उस पर ब्याज दिया जाता है । इसलिये ब्याज न देना न्यायोचित नहीं । परन्तु यह सिद्ध करना होता है कि वास्तव में ब्याज दिया गया है ।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : सभापति जी, माननीय मंत्री महोदय ने जो कोल बेअरिंग एरियाज अमेंडिंग बिल, १९५७ रखा वह किस उद्देश्य से लाया गया है, मैं इसको बतलाना चाहता हूं । मैं उस जगह से आता हूं जहां पर कोरबा का नया कोल फील्ड खुला हुआ है । इस कोरबा कोल फील्ड का प्रास्पेक्टिंग लाइसेंस एक माननीय भाई को दिया गया था । लेकिन उसमें क्या हुआ, क्या नहीं, यह दूसरी चीज़ है । जब हमने मई, १९५७ में ऐक्विजिशन ऐंड डेवलपमेंट ऐक्ट, १९५७ पास किया, उसके बाद जितनी भी कोल फील्ड्स वहां की थीं वह भारत सरकार या प्रान्तीय सरकारों के हाथों में आ गईं । वहां कार्य अच्छी तरह से हुआ है या नहीं, लेकिन मेरे माननीय दोस्त ने एक मुकदमा दायर कर दिया । चूंकि मुकदमा दायर है, इसलिये मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि इससे केस प्रेजुडिस होगा । लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहां का पब्लिक सेक्टर है उसके काम करने में बाधा आते जा रहे हैं । वहां काम शुरू हुआ है । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम वह जाकर उस जगह को देखें, वह तो मेरी कांस्टिटुएंसी (क्षेत्र) में है, कि वहां कार्य किस तरह हो रहा है । वहां जाने पर पता लगेगा कि जो काम वहां शुरू हुआ है, उसमें कितना काम हुआ है । लेकिन जो हमारे भाई हैं, जिन को पब्लिक सेक्टर से कोई वास्ता पता है या नहीं, इसमें अड़चनें आ गई हैं । प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हमारे भाइयों को कम से कम इस तरह की अड़चनें नहीं डालनी चाहियें । यदि वे इस तरह की अड़चनें लाते हैं तो हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रह जाता, खास कर भारत सरकार के व प्रान्तीय सरकारों के पास कि वह इस तरह के बिल सदन के सामने लायें ।

आज हमारी सरकार रीजनेबल कम्पेनसेशन (उचित मुआवजा) देना चाहती है तथा ब्याज भी देना चाहती है । मान लीजिये हमने लैंड ऐक्विजिशन ऐक्ट, १८६४ की दफा के मातहत ऐक्विजिशन किया । सरकार को उसके लिये रुपया देना जरूरी है । यदि जमीन पहले ली गई थी तो उस पर भी सरकार को रुपया देने को तैयार रहना चाहिये । इसलिये यह जरूरी

---

†मूल अंग्रेजी में

था कि इस तरह का कानून लाया जाये क्योंकि हमारे पास कोई कानून नहीं था जिसके मुताबिक हम रुपया दे सकते। मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मित्रों ने जो ऐतराजात जाहिर किये वे ठीक नहीं हैं, खास कर जो उन्होंने यह कहा कि जो इंडिविजुअल लोग हैं, जिनके पास माइन्स हैं, वे शायद ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। हो सकता है कि उनकी निगाह में यह चीज़ हो, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर सरकार उसको अपने हाथ में ले रही है तो उससे प्राइवेट सेक्टर को भी ज्यादा फायदा होगा। कम से कम सरकार को इस काम का तज़ुर्बा ही होगा।

अभी यह बात कही गई कि कभी कभी यदि सब भाई चाहें तो मिल कर सरकार को तंग भी कर सकते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन के जरिये से वह ऐसा कर सकते हैं। लेबर कानून ही को देखिये। लेबर में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनकी समस्यायें होती हैं। सरकार को बीच में पड़ना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुये यह जरूरी है कि ऐसे किस्म का कानून बनाया जाये। जब हम सेकेन्ड फाइव इअर प्लान को कामयाब करना चाहते हैं तो जो काम पब्लिक सेक्टर में हो रहे हैं, तथा प्राइवेट सेक्टर में उनके लाभ के लिये यह तरमीम पेश करना जरूरी है।

इन शब्दों के साथ मैं इस तरमीम का समर्थन करता हूं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : जनाब चेयरमैन साहब, जो बिल हमारे सामने आया है, उस के बारे में शायद कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि यह बड़ा जरूरी बिल है। यहां पर जितने ऐतराजात किए गए हैं, उन में से एक भी ऐसे नहीं हैं जो कि इस बिल की अहमियत के बारे में या इस की जरूरत के बारे में किए गए हों। जिन्होंने ऐतराजात किए हैं वे बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के हैं। चन्द महीने हुए जब यह बिल इस हाउस के सामने आया तो मैं ने उस वक्त एक अमेंडमेंट सजेस्ट किया था, और वह यह था कि अगर सरकार को जरूरत पड़े, प्राइवेट सेक्टर के वास्ते भी किसी जमीन के किसी लीज़ की जरूरत पड़े जिस के अन्दर माइनिंग एफिशिएंटली हो सकती हो, तो सरकार को प्राइवेट सेक्टर के वास्ते भी उसे ऐक्वायर करना चाहिए। मगर यह अमेंडमेंट पास नहीं हो सका। मेरी गुजारिश यह है कि आज के दिन पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की बहस जारी रखना बिल्कुल अबस है। यह हमारे एसेन्शल एंटरेस्ट के बर्खिलाफ है। फाइव इअर प्लैन में पब्लिक सेक्टर के वास्ते कहा गया है कि वह इतना कोल पैदा करे। आज मुझे इस हाउस में बतलाने की जरूरत नहीं है कि हमारी मौजूदा हालात में कोल से ज्यादा जरूरी चीज कोई दूसरी नहीं है। पब्लिक सेक्टर में अगर इतना कोल पैदा नहीं होता तो सारी की सारी प्लैन की जो लवाजमात हैं, जो जरूरी चीजें हैं, उन को उस हद्द तक नुक्सान पहुंचता है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर के वास्ते जो चीजें जरूरी हैं, हमारा फर्ज है कि हम उस के वास्ते इन का इन्तजाम करें।

इसी तरह से मैं अर्ज करता हूं कि हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर को स्टेप मदरली निगाह से नहीं देखना चाहिए क्योंकि आज कल जितना भी प्रोडक्शन जरूरी हो, चाहे वह पब्लिक सेक्टर से हो या प्राइवेट सेक्टर से, उतना हमें करना चाहिए। आज यह कंट्री के इन्टरेस्ट में है कि वह पूरा किया जाए। चुनांचे गवर्नमेंट का इरादा हर्गिज इस किस्म का नहीं है कि वह आज प्राइवेट सेक्टर को स्कट्ल कर दे या थ्राट्ल कर दे। मैं ने आज सुबह अखबार में देखा, जहां तक इस कोयले के टॉर्जेट का ताल्लुक है, उस में लिखा था कि पब्लिक सेक्टर के अन्दर हम उम्मीद नहीं

[पं० ठाकुरदास भार्गव]

करते हैं कि जो टार्जेट कायम किया गया है कोल के बारे में, वह पूरा होगा । वह किसी हद्द तक पूरा नहीं होगा । उस में यह भी लिखा था कि जहां तक कोल के प्रोडक्शन का सवाल है पब्लिक सेक्टर के मुकाबले में प्राइवेट सेक्टर इसे ज्यादा सक्सेसफुली कर सकेगा । बाद में यह लिखा था कि अगर प्राइवेट सेक्टर वाले भी कामयाब नहीं हुए और पब्लिक सेक्टर वाले भी कामयाब नहीं हुए तो इस से देश को बड़ा नुक्सान होगा । इस नुक्ते खयाल से अखबार में यह लिखा या कि कोशिश यह की जानी चाहिए कि जहां तक प्राइवेट सेक्टर का सवाल है, उस को जितनी मदद दी जा सके, दी जाए । मैं अर्ज करूंगा कि मेरे नुक्ते निगाह से चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, कोल के प्रोडक्शन के वास्ते और दूसरी चीजों के प्रोडक्शन के वास्ते हम जो भी कर सकते हों, हमें करना चाहिए । इस में एक दिक्कत आती है । कभी कभी होल कम्यूनिटी के इंटरेस्ट में और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में फर्क पड़ता है । मैं उन आदमियों में से हूं जो समझते हैं कि जहां कम्यूनिटी के इंटरेस्ट का सवाल हो, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट की परवाह नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि इंडिविजुअल कम्यूनिटी का ही एक टुकड़ा है, और इस इंटरेस्ट से सब की भलाई का वास्ता है । इंडिविजुअल के इंटरेस्ट का दर्जा उस के बराबर नहीं है । यह नहीं हो सकता कि उस के लिए पब्लिक इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कर दिया जाए । इसी नुक्ते निगाह से हम ने दफा ३१ बनाई और उस के अन्दर हम ने गवर्नमेंट को अख्त्यार दिया था कि अगर वह समझे कि वह कोई चीज पब्लिक इंटरेस्ट में रिक्वायर करती है, तो वह उसे हासिल कर ले ।

जहां तक मुआवजे का सवाल है, कानून की राय उस के खिलाफ नहीं है । आज जो प्राविजन है, वह नहीं कहती कि हम किसी को कम मुआवजा दें । यह बात बिल्कुल साफ है, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखें । उस ने भी **क्विड प्रो को** का उसूल रक्खा था । कहा था कि कुल कंपेन्सेशन हो । हम भी कंपेन्सेशन की बात मानते थे । लेकिन हम ने उसे एक तरह से उस हद्द तक नहीं माना । लेकिन ताहम इस हाउस ने इस चीज को याद रक्खा । जब अमेंडमेंट रक्खे गए थे तो साफ तौर पर हमारे वाजियाने कानून ने, लीडरों ने और मिनिस्टर साहबान ने यह तस्लीम किया था कि गवर्नमेंट की यह मंशा नहीं है कि कम मुआवजा दिया जाए । वह चाहती है कि रीजनेबल कंपेन्सेशन दिया जाए जिस के वह मुस्तहक हों । हमें इन दोनों चीजों का बैलेन्स करना है । मैं अर्ज करता हूं कि दफा ४ के अल्फाज यह हैं :

"कि यदि केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट हो कि यह आवश्यक है........इत्यादि"

जनाब वाला अब यह अल्फाज़ "सन्तुष्ट हो कि उसका अर्जित करना आवश्यक है" मामूली रोटीन के बन गये हैं यहां तक कि अब उनके अन्दर कोई सेंस नहीं रहा । पहले गवर्नमट को यह सरटिफिकेट देना पड़ता था कि पबलिक इंटरेस्ट सब सर्व होंगे अगर इसको एक्वायर किया जायेगा। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमट का यह सरटिफिकेट एबसोल्यूट होता है । बड़ी से बड़ी अदालत उसको क्वेस्चन नहीं कर सकती । लेकिन मैं अब देखता हूं कि गवर्नमेंट प्राइवेट इंटरेस्ट के वास्ते भी जमीन एक्वायर करती है जो कि बिल्कुल नाजायज है । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जहां नेशनल इंटरेस्ट्स का यह तकाजा हो कि हम किसी की जायदाद ले लें तो हमें उसको ले ही लेना चाहिए लेकिन इसके मानी यह हरगिज नहीं हैं कि हम उसको ठीक मुआवजा भी न दें । अभी परसों ही जब कि कामनवैल्थ पार्लियामेंटरी कानफरेंस का उद्घाटन हुआ उस वक्त हमारे देश के नेताओं ने और दूसरे मुल्कों के लीडरों ने कहा कि इंडीवीजुअल की हैसियत इतनी कम नहीं है कि जिसको नजरन्दाज कर दिया जाये । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि श्री जैपाल सिंह की शिकायत में जान है । वह यह नहीं चाहते कि आप नेशनल इंटरेस्ट में जमीन एक्वायर न करें । लेकिन उनकी शिकायत जा है और मैं उसकी ताईद करता हूं । जहां तक

इंडीवीजूअल का सवाल है, आप उसको घर से निकाल दें, बरबाद कर दें और उसकी जायदाद की आधी रकम भी न दें, यह कहां का इन्साफ है। जब मुआवजे के मसले पर बहस हो रही थी तो मैं ने कहा था कि मैं तो चांहता हूं कि सारे मेम्बर अपनी जायदाद गवर्नमेंट को दे दें पेश्तर इसके कि यह कानून बनावें कि गवर्नमट जो जायदाद ले उसकी आधी कीमत दे। इसी तरह से मिलिटरी के लिए ली गयी जमीनों के बारे में हुआ है। मैं इस चीज़ की सख्त मुखालिफत करता हूं। अगर कम्युनिटी के लिए किसी इंडीविजुअल की जायदाद लेना जरूरी है तो उसे जरूरत से ज्यादा बरबाद नहीं करना चाहिए। उससे उतना ही सेक्रीफाइस कराना चाहिए जितना कि दूसरे आदमियों से। इसलिए जब आप किसी आदमी की जमीन नेशनल जरूरत के लिए एक्वायर करें तो आपका यह फर्ज है कि आप उसका भी इन्तिजाम कर दें। सबसे बड़ी चीज़ एक गरीब आदमी के लिए यह है कि उसे जमीन की जगह जमीन ही दी जाये। अगर आप उसे जमीन के बदले कुछ और देंगे तो वह उसके लिए पूरा मुआवजा न होगा। आप वैसी ही जमीन दें, या उससे अच्छी जमीन दें, अगर ऐसा न कर सकें और उससे अच्छी जमीन या वैसी ही जमीन न दे सकें तो उससे ज्यादा जमीन दें। इसके अन्दर बहुत कुछ करने की गुंजाइश है।

मैं अदब से अर्ज करूंगा कि हमारे गाडगिल साहब ने हमारे सामने डी० वी० सी० का ऐसा नक्शा खींचा कि हम खुश हो गये लेकिन बाद में हमने वहां जाकर उन लोगों की हालत देखी जिनकी जमीन ले ली गयी थीं। हमारे यहां जिन लोगों की जमीन भाखरा डैम के लिए ली गयीं आज तक उनको कुछ को मुआवजा नहीं दिया गया। एक जगह क्या बीसों जगह यह हो रहा है। मिलिटरी के लिए जो जमीन ली गयी है उसका अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। किसी की जमीन लेना और उसको मुआवजा न देना, मैं समझता हूं कि यह प्योर राबरी है। यहां दिल्ली के अन्दर ही रिफ्यूजीज़ को रिहैबिलिटेट करने के लिए जमीन ली गयीं और लोगों के गांव के गांव बरबाद कर दिये गये। उसके बाद जब उसके मुताल्लिक बिल हमारे सामने आया तो हम ने गवर्नमट से एश्योरेंस लिया कि उनको मुआवजा दिया जायेगा लेकिन उनको आज तक पूरा मुआवजा नहीं दिया गया।

मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह बिल निहायत माकूल है। अगर ऐसी इमरजेंसी हो कि जिसमें जमीन न लेने से प्रोडक्शन में फर्क पड़ता हो तो आपको वह ज़मीन एक्वायर करनी ही पड़ेगी। और आपको उसे ले लेना चाहिए। लेकिन यह बात मुनासिब नहीं है कि उसको मुआवजा न दें। मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब की तबीयत को जानता हूं। मैं जानता हूं कि वह अपने दिल में यह महसूस करते हैं कि जहां तक गरीब आदमी का सवाल है सरकार का फर्ज है कि उसके साथ पूरा इन्साफ होना चाहिए। मैं जैपाल सिंह साहब की शिकायत का इतना ही मतलब समझा हूं कि यह चीज़ जरूरी है। मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब उनको इस बारे में एश्योरेंस देंगे। यह कौनसा कायदा है कि आप जिसकी जमीन लें उसको मुआवजा न दें। अगर आप मुआवजा देने में देरी करेंगे तो उसकी तो बरबादी हो जायेगी। इसलिए मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूं। गवर्नमेंट को किसी की जमीन एक्वायर नहीं करनी चाहिए जब तक कि इमरजेंसी न हो। सिर्फ यह लिख देना काफी नहीं होना चाहिए कि "वी आर सैटिसफाइड आव दी नैसेसिटी।" यह गलत होगा। गवर्नमेंट को इस तरह का सरटिफिकेट इमरजेंसी में ही देना चाहिए क्योंकि वह एबसोल्यूट होता है।

मैं जयपाल सिंह साहब का मशकूर हूं कि उन्होंने इस चीज़ को हाउस के सामने जोर से रखा कि जिसकी जमीन लो उसको जहां तक हो सके जमीन ही में मुआवजा दो। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अगर यह न हो सके तो आप उसको अच्छा मुआवजा दें ताकि वह रिहै-

[पं० ठाकुर दास भार्गव]

बिलिटेट हो सके। अच्छा तो यह हो कि आप उसकी जमीन एक्वायर करने से पहले इस बात का बन्दोबस्त कर लें कि उसको कहां रिहैबिलिटेट किया जायेगा ताकि उसको तकलीफ न हो। और जहां तक एक्वीजीशन का सवाल है वह नेशनल इंटरेस्ट में ही होना चाहिये।

आज सरकार दूसरे आदमियों को जमीन देने के लिए थर्ड पार्टी की जमीन रिक्वीजीशन करती है और उसको मुआवजा भी नहीं देती। आपको ऐसा करने का क्या हक है। यह तो रोबिंग पीटर टू पे पाल वाली बात हुई। आज चार पांच साल हुए प्राइवेट लोगों को देने के लिए जमीन रिक्वायर की गयी उस को आज तक एक्वायर नहीं किया गया और न उसको इम्प्रूव करने की इजाजत दी गयी। इस तरह से रिक्वीजिशन करके उनको त्रिशंकु बना दिया गया। मैं नहीं समझता कि क्यों गवर्नमेंट इस ला को जो फायदे के लिए बनाया गया था इस तरह जाया कर रही है।

और भी जो छोटे छोटे अमेंडमेंट हैं मैं उनके हक में हूं क्योंकि वे भी इस बिल को ज्यादा अच्छा बनायेंगे। जहां तक इंटरेस्ट का सवाल है मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं। इसलिए मैं इस में ज्यादा दखल नहीं देना चाहता। लेकिन यह सोचना गलत है कि गवर्नमेंट ने यह प्रावीजन कैपीटलिस्ट लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं कि गवर्नमेंट किसी को ज्यादा पैसा दे देगी। हमारे यहां पंजाब में कहावत है कि जो खतरानी से गोरी है वह कोढी है। हमारे सरदार स्वर्णसिंह साहब अगर मुआवजा ही दे दें तो हम उनको झुक कर सलाम कर लेंगे। ज्यादा देने की बात तो नहीं मान सकता। गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर सरकारी रुपये को जाया नहीं करेगा। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि यह चीज़ कैपीटलिस्ट के फायदे के लिए रखी गयी है। गवर्नमेंट इस बिल को सख्त बनाना चाहती है। देश के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसे प्राइवेट सेक्टर को भी जमीन देनी चाहिये जहां जरूरी हो। जैसा कि आज भी ऐक्ट १ सन् १८६४ में है कि कम्पनियों के लिये, रजिस्टर्ड सोसाइटीज के लिए गवर्नमेंट जमीन एक्वायर करके देती है। लेकिन हमको गवर्नमेंट से ऐसी उम्मीद नहीं है कि वह इस कानून के मातहत कोई बेजा या गलत कार्रवाई करेगी।

मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : संशोधन विधेयक के दो महत्वपूर्ण उपबन्धों पर काफी चर्चा हो चुकी है, और मैं माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने इनकी ओर इतना ध्यान दिया है।

मेरे मित्र श्री जयपाल सिंह जी ने जो कि उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं जहां कि कोयला और अन्य बहुत से खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं, इन आयात अधिकारों के प्रयोग की आलोचना की है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

उनकी भावनाओं का पूरा विचार रखते हुये, विशेषकर अनुसूचित आदिम जातियों की भावनाओं की, मुझे यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस सम्बन्ध में मुझे उनकी शिकायत समझ में नहीं आई। उन्हें तो इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिये कि वह बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनके इलाके में कोयला और अन्य खनिज पदार्थ काफी मात्रा में उपलब्ध हैं। मेरा कहना है कि हमारे देश के उद्योगीकरण की सफलता इस बात पर ही आश्रित है कि हम इस इलाके में खनिज संसाधनों को किस प्रकार प्रयोग कर पाते हैं। यह समझना कि इस कारण इस इलाके के लोगों पर कोई मुसीबत आ जायेगी, एक विचित्र और निराशाजनक बात ही कही जा सकती है। शायद मुआवजा न मिलने अथवा दामोदर

†मूल अंग्रेजी में

घाटी निगम के अधिकारियों के व्यवहार के कारण उनका यह विचार हुआ हो। दामोदर घाटी निगम के सभी हालात मेरे सामने नहीं हैं, इसलिए मैं कोई इसका उत्तर नहीं दे सकता। यदि शिकायतें अधिक हों तो उन्हें दूर किया जाना चाहिए,क्योंकि सरकार ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि जिस किसी की भी जमीन अर्जित करके उसे वहां से उठाया जायेगा, उसे समुचित मुआवजा दिया जायेगा। और इसके अतिरिक्त उन्हें वे सभी सुविधायें भी दी जायेंगी जिनसे कि उनका पूर्ण रूप से पुनर्वास हो सके। यह ठीक है कि सरकार ने यह स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया कि प्रत्येक इंच भूमि के लिये भूमि ही बदले में दी जायेगी। यह प्रत्येक समय सम्भव भी नहीं होता। यदि कभी ऐसा आश्वासन भी दिया गया होगा तो वह बात सामने आयेगी और उस पर चर्चा भी होगी। सामान्यतः यह प्रयास किया जाता है कि न केवल समुचित मुआवजा दिया जाय, प्रत्युत् ऐसी सुविधायें भी दी जायें कि जमीन से हटाये जाने वाले का पुनर्वास हो सके। हो सकता है कि इसे कार्यान्वित करने में स्थानीय प्रशासन अथवा सरकार असफल रही हो। मुझे इस सम्बन्ध में प्रत्येक क्षेत्र के मामले की सफाई नहीं देनी। व्यक्तिगत रूप में मुझे कई ऐसे मामलों का पता है जिसमें कि मुआवजा कई वर्ष तक बिना अदा हुये ही पड़ा रहा। मैं जब पंजाब सरकार में था तो कई एक ऐसे मामलों को मुझे भी अपने हाथ में लेना पड़ा था। और यहां आकर भी मैंने कई ऐसे मामले सुलझाये जिनमें कई व्यक्तियों का मुआवजा वर्षों से बिना अदा हुये ही पड़ा रहा। इस प्रकार की प्रशासन की असफलतायें कई क्षेत्रों में कभी-कभी सामने आ जाती हैं। परन्तु मैं यह सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन मामलों को लम्बित रखना सरकार के हित की बात नहीं है। और हम मुआवजे की अदायगी में एक क्षण की भी देरी नहीं करना चाहते। अर्जित जमीन के मुआवजे सम्बन्धी यही सामान्य प्रक्रिया है। अब मैं सभा को वर्तमान अधिनियम के उपबन्धों के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं। मैं भूमि अर्जन अधिनियम पर विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को कुछ कोयले वाले क्षेत्रों के अर्जन के लिये भूमि अर्जन अधिनियम की सहायता लेनी होगी उदाहरणार्थ मजदूरों की बस्तियां बनाने या ऐसे ही सहायक प्रयोजनों के लिये भूमि की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे समय सरकारी प्रवक्ताओं द्वारा समय समय पर कही सभी बातों पर विचार किया जायेगा। भूमि अर्जन मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, वे केन्द्रीय सरकार के लिये भी भूमि अर्जन कर सकते हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों की यह शिकायत रहती है कि केन्द्रीय सरकार के लिये भूमि अर्जन करने पर राज्य सरकार प्रतिकर देने में उदारता दिखाता है। यह तथ्य है कि भूमि के अर्जन और प्रतिकर देने में राज्य सरकार की सहायता ली जाती है, इस मामले में विवाद हो सकते हैं प्रतिकर देने में देर हो सकती है क्योंकि इसमें कई आपत्तियां की जा सकती हैं।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

वर्तमान अधिनियम का उद्देश्य खनिज पदार्थ निकालने के लिये भूमि का अर्जन करना है। इसलिये भूमि अर्जन अधिनियम और खनिज पदार्थ निकालने के प्रयोग से भूमि अर्जन करने में अन्तर है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल भूमि की सतह का अर्जन करना ही नहीं है। खनिज पदार्थ निकालते समय सतह अधिकारों पर आघात हो सकता है इसीलिये मूल अधिनियम में 'भूमि" शब्द का कई बार उपयोग किया गया है। लेकिन वर्तमान अधिनियम का मुख्य उद्देश्य खनिज पदार्थ कोयला निकालना है। इसीलिये इस अधिनियम में बार बार खनिज पदार्थ निकालने की अनुज्ञप्ति या खदान पट्टे का जिक्र है। कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां का खदान पट्टा किसी के पास न हो। ये क्षेत्र भी मूल अधिनियम के अन्तर्गत आ सकते हैं। श्री जयपाल सिंह जिन मामलों के कारण चिन्तित हैं उस प्रकार के मामले बहुत नहीं होंगे क्योंकि भारत भूतत्व सर्वेक्षण भारतीय खान व्यूरो तथा गैर सरकारी दलों द्वारा कोयला पता लगाने का बहुत सा कार्य किया जा चुका है।

[सरदार स्वर्ण सिंह]

न्यूनाधिक रूप में इस बात का सब को ज्ञान है कि किन क्षेत्रों में कोयला मिलता है। पहले जबकि सरकार इतनी अधिक जांच नहीं करती थी तो यह काम अनुसंधान करने वाले उपक्रमी दल करते थे इसी कारण उनकी अनुज्ञप्तियां व्यापक होती थीं। इस प्रकार के मामलों से ऐसे ही व्यक्तियों के मामले तथा उन्हीं की अनुज्ञप्तियां आती हैं। जिन मामलों का उल्लेख श्री जयपाल सिंह ने किया है उनकी संख्या बहुत ही कम होगी। जिन क्षेत्रों के तुरन्त अर्जन या अधिग्रहण की आवश्यकता है वह नयी धारा ६क के अधीन आ जायेंगे। वे सम्भवतया किसी खोज की अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अंतर्गत आ जायेंगे। अब जो एक क्षेत्र ऐसा है जहां सुराख भी नहीं किये गये या जहां खेती की जा रही है वहां सरकार तुरन्त ही यह नहीं कह सकती कि हमें कोयले की खोज के लिये इसकी आवश्यकता है इस कारण तुरन्त ही इसे दे दिया जाये। ऐसे मामलों को संशोधन विधेयक के अन्तर्गत नहीं रखा जा रहा।

इसलिये यदि किसी आश्वासन की आवश्यकता है वह तो इस कानून में स्वतः ही है। संशोधन करने वाले विधेयक के उपबन्धों से यह बात स्पष्ट है कि ऐसी कार्यवाही केवल उन्हीं क्षेत्रों में की जायेगी जिनमें आरम्भिक अनुसंधानों या खोज के आधार पर यह खोज चाहे सरकार ने की हो या किसी गैर-सरकारी निकाय ने—यह सिद्ध हो जाये कि उन क्षेत्रों में कोयला है। और केवल इतना ही नहीं यह भी पता होना आवश्यक है कि उस कोयले को आसानी से निकाला भी जा सकता है। यदि ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो या तो खोज की अनुज्ञप्ति दी जायेगी या फिर खनिज पट्टा दिया जायेगा। इसलिये धारा ६क से किसी बड़े दल के अधिकार ही लिये जायेंगे और छोटे लोगों के अधिकारों पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

धारा ६क के अधीन जो कार्यवाही भी करनी होगी वह यही होगी। हो सकता है अधिग्रहण की आरम्भिक आपत्तियों पर अधिक विस्तार से विचार न किया जाये किन्तु सरकार का प्रतिकर देने का दायित्व तो स्पष्टतया रहता ही है और सरकार ने यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है।

यह स्थिति इतनी भयंकर नहीं है। वास्तव में इसकी तुलना भूमि अधिग्रहण अधिनियम से की जा सकती है जो कि आज से ६० वर्ष से चला आ रहा है और यह कोई भी नहीं कह सकता कि इसका कभी दुरुपयोग किया गया है।

सरकारी दल तथा विरोधी दल के सदस्यों ने आपातकालीन अधिकारों का समर्थन किया है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस उपबन्ध का ठीक महत्व समझा है क्योंकि इन का उपयोग लोकहित में ही किया जायगा। सरकार धारा ६क का प्रयोग उसी समय करेगी जब उसे इस बात का पूर्ण सन्तोष हो जायेगा कि यह कार्यवाही नितान्त आवश्यक है। इसमें पर्याप्त संरक्षण भी हैं। अब हम किसी अधिसूचना आदि का उपबन्ध करें यह बात किंचित अनावश्यक ही होगी। मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता।

किये गये व्यय पर जो ब्याज का भुगतान है उसके सम्बन्ध में उपबन्धों का मिश्रित सा स्वागत इस सभा ने किया है। कुछ माननीय सदस्य, श्री नौशीर भरूचा, त० ब० विट्ठल राव ने इसका विरोध किया है। तथा पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इसका विरोध नहीं किया। मैं समझता हूं कि इन विरोध करने वाले सदस्यों ने इस उपबन्ध को उस भावना में नहीं समझा जिसमें इसे लिखा गया है। खनिज पदार्थों की खोज तथा उनका खनन जोखिम वाला मामला है। इस काम में बड़ी देर भी लगती है। कोयले निकालने वाले एक उपक्रमी को वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और तब कहीं जाकर उसकी कामनाएं फलीभूत होती हैं। इसलिये एक पहलू तो यह है कि आपने इस सम्बन्ध में क्या व्यय किया है यदि आप आज तक का व्यय उन्हें दे देते हैं तो उसे पर्याप्त प्रतिकर समझा जाना चाहिये।

एक तरीका तो यह है किन्तु हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि जब खोज के लिये एक क्षेत्र विशेष को चुना जाता है तब हम निस्सन्देह उस क्षेत्र को भी देखते हैं जहां कोयला है। अब जिन क्षेत्रों में गैर-सरकारी उपक्रमियों ने किसी खनिज पदार्थ को निकाल लिया है उनके अर्जन के बारे में यदि हम वास्तविक व्यय पर ध्यान दें तो यह बात अनुचित न होगी। इसलिये हमें देखना होगा कि जो लाभ उसे होता क्या उसके तत्व को हम प्रतिकर में न जोड़ दें। मैं तो नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति हो सकती है। हो सकता है वह रुपया उधार लिया गया हो। यदि न भी रुपया सदैव अग्रेतर आय का साधन होता है चाहे वह इसे कहीं भी लगाये। इसके जो ब्याज की दर रखी गयी है उसे भी किसी प्रकार से अत्यधिक नहीं कहा जा सकता। इसलिये इन सब बातों को अत्यधिक नहीं कहा जा सकता और न ही इन्हें कम कहा जा सकता है। यह दो विरोधी विचारों के बीच का मार्ग है। इसी कारण से दो सीमांकनों के साथ यह ब्याज का उपबन्ध संशोधन विधेयक में रखा जा रहा है।

दूसरे मौखिक संशोधनों के बारे में अधिक आलोचना नहीं हुई। श्री जगन्नाथ राव ने कहा है कि कुछ बातें व्यर्थ सी हैं। हमने इन सब बातों पर बड़ा ध्यान दिया है और परम सावधानी के रूप से ही हमने इन्हें रखा है ताकि उपबन्ध अत्यधिक साफ सुथरे हो जायें। चूंकि इस विधेयक में मुख्य दो संशोधन किये जा रहे हैं इसी कारण ये मौखिक संशोधन भी साथ में ही किये जा रहे हैं।

श्री त० ब० विट्ठलराव ने इस अवसर पर सरकारी क्षेत्र का विरोध करने का मौका ले लिया। मुझे उनके साथ सहानुभूति है। वह इस बात का विरोध नहीं कर सकते कि कोयला उद्योग सरकारी क्षेत्र में क्यों है किन्तु विरोधी दल में होने के कारण उस नीति के क्रियान्वित होने के विरुद्ध उन्हें तो कुछ कहना ही है। वह इस कठिन कार्य को बड़ी क्षमता से करते हैं। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है उनकी आलोचना उसके संगतन थी।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त उत्पादन की तुलना करते हुए एक में तो उन्होंने टनों में आंकड़े बताये और दूसरे में प्रतिशत बताये। यह बात तो स्पष्ट है कि आज सरकारी क्षेत्र कोयला उद्योग में बड़ा ही साधारण भाग ले रहा है। सरकारी क्षेत्र का कुल उत्पादन ३० लाख टन है और गैर-सरकारी क्षेत्र में इससे दस गुना ज्यादा उत्पादन है। यदि हम दोनों क्षेत्रों के अतिरिक्त उत्पादन को प्रतिशत में बतायें तो शायद वह समान ही बैठे किन्तु माननीय सदस्य इसे सरकार के विरुद्ध भी प्रयोग करते हैं और ऊपर से चाहते हैं कि सभी चीजें सरकारी क्षेत्र में ही हों। उनकी आलोचना इससे असंगत है और संशोधन करने वाले विधेयक के उपबन्ध ठीक वैसे हैं जैसे वह चाहते हैं। इससे सरकारी क्षेत्र बलशाली होगा।

यदि सरकारी क्षेत्र उत्पादन की वृद्धि करने में सफल रहा तो हम सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी। वास्तव में जैसा पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है हमें उत्पादन के लक्ष्यों की पूर्ति करनी है चाहे कोयले के उत्पादन के लक्ष्य हों या किसी अन्य वस्तु के और हमें किसी एक क्षेत्र पर अधिक आलोचना के अवसर नहीं ढूंढ़ने चाहियें।

मैंने लगभग सब आवश्यक बातों का उत्तर दे दिया है और मैं समझता हूं कि इस विधेयक का अधिक विरोध नहीं हुआ है इस कारण विचार प्रस्ताव स्वीकार किया जाये।

†**सभापति महोदय:** प्रश्न यह है :

"कि कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम १६५७ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ७, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १ से ७, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारतीय रेलवे अधिनियम, १८६० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभा को स्मरण होगा कि जनता की निरन्तर मांग के फलस्वरूप, जून १६५५ में डा० ए० रामस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में रेलवे भाड़ा व्यवस्था जांच समिति की स्थापना हुई थी उसका उद्देश्य रेलों में भाड़े की दरों का पुनरीक्षण करना था । इस परीक्षण की आवश्यकता का कारण यह था कि अक्टूबर १६४८ से, जबकि पिछली बार दरों में परिवर्तन किया गया था, देश के आर्थिक कार्यों में बहुत परिवर्तन हो गये ।

इस पुनः परीक्षण का एक कारण यह भी था कि रेलों में आयोजित सुविधाओं का पर्याप्त विकास किया गया जिसके फलस्वरूप रेलों के प्रवर्तन व्यय और सामान्य राजस्व में दिये जाने वाले लाभांश में पर्याप्त विकास हुआ ।

समिति के निर्देश पद इस प्रकार थे: पहिला वर्तमान रेलभाड़ा व्यवस्था के सभी पहलुओं की जांच करना तथा विकासशील अर्थव्यवस्था और रेलवे के वित्तीय स्वामित्व को बनाये रखने की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए परिवर्तन करने के सुझाव देना । दूसरा रेलों, के मालवाहक के रूप में दायित्व से सम्बन्धित संविहित उपबन्धों में क्या कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, यदि है तो क्या ? तीसरा

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे पर अधिकरण के गठन क्षेत्राधिकार तथा नियमों में ऐसे कौन से परिवर्तन किये जायं जिससे वह रेलवे भाड़े से सम्बन्धित मामलों का शीघ्रता तथा कुशलता से कार्य कर सके तथा वादी को अधिक व्यय भी न करना पड़े।

निर्देश पदों में अन्तिम उल्लिखित बात इस कारण शामिल की गई कि इस प्रकार की शिकायतें आई थीं कि वर्तमान रेलवे पर अधिकरण का कार्य बहुत कानूनी और औपचारिक रूप से होता है तथा वादी का बहुत समय और धन व्यय होता है।

समिति के प्रतिवेदन की प्रतियां १४ नवम्बर, १९५७ से सभा के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

पिछली मई को सभा में बजट प्रस्तुत करने के दौरान भी मंत्री महोदय ने कहा था कि जांच समिति की सिफारिशें, जो अन्तिम रूप में अभी हाल में ही प्राप्त हुई हैं, पर विचार किया जा रहा है।

दर व्यवस्था में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशों पर, जिनका बहुत दूरगामी प्रभाव होगा, विस्तृत रूप से विचार किया जायेगा और उन सिफारिशों पर अन्तिम रूप से निश्चय करने में सरकार को कुछ समय लगेगा।

रेलवे की भारवाहक के रूप में दायित्व से सम्बन्धित सिफारिशों की जांच करने में भी कुछ समय लगेगा। वस्तुतः स्वयं समिति ने यह सिफारिश की है कि इस मामले में की गई सिफारिशों को परिवर्तित भाड़ा व्यवस्था के लागू होने के एक वर्ष बाद क्रियान्वित किया जाय।

लेकिन रेलवे दर अधिकरण के क्षेत्राधिकार तथा गठन से सम्बन्धित समिति की सिफारिशों की जांच हो चुकी है तथा कुछ छोटे मोटे परिवर्तनों को छोड़ कर वस्तुतः समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है तथा उन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये अब विधान बनाया जा रहा है।

इसी अवसर पर भारतीय रेलवे अधिनियम के अध्याय ५ की कुछ त्रुटियों को दूर किया जा रहा है। ये त्रुटियां पिछले ८ वर्षों के दौरान ज्ञात हुई क्योंकि इस अधिनियम में १९४९ में अन्तिम बार परिवर्तन हुए थे।

यह आवश्यक है कि वर्तमान विधेयक में प्रस्तावित विधान चालू सत्र में ही पारित किया जाय क्योंकि कुछ वस्तुओं के वर्गीकरण से सम्बन्धित समिति की कुछ सिफारिशों की क्रियान्विति संविहित रूप से रेलवे पर अधिकरण के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है।

ये प्रस्ताव पूरी तरह से निर्विवाद हैं। मैं सभा मे उन पर विचार करने तथा उन्हें स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नलदुर्गकर** (उस्मानाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह विधेयक ३० जनवरी, १९५८ तक जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जाये।"

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : रेलवे भाड़ा अधिकरण में परिवर्तित करने का प्रश्न उपभोक्ताओं के हितों पर विचार करने के विचार से भी बहुत महत्वपूर्ण है । इस संशोधक विधेयक से तीन प्रकार के परिवर्तन होंगे । पहिला अधिकरण के गठन में, दूसरा उसके क्षेत्राधिकार में और तीसरा अधिकरण की शक्ति में ।

वर्तमान रेलवे भाड़ा अधिकरण में तीन न्यायाधीश हैं उनकी सहायता के लिये असेसर होते हैं ये असेसर दो स्थानों से लिये जाते हैं कुछ तो भारतीय व्यापार तथा उद्योग मंडलों के संघ से और कुछ रेलवे बोर्ड से । लेकिन इस अधिकरण के सम्बन्ध में भाड़ा व्यवस्था समिति की यह सिफारिश है कि अधिकरण एक निम्न न्यायालय के रूप में परिवर्तित हो गई है । जो झगड़े अधिकरण के समक्ष रखे जाते हैं वे केवल दो व्यक्तियों से ही सम्बन्ध नहीं रखते हैं अपितु अधिकरण के निर्णयों का व्यापक प्रभाव होता है । अतः ऐसे लोगों का शामिल किया जाना जरूरी है जिन्हें देख के वाणिज्य और आर्थिक अवस्था की जानकारी हो । इसलिये असेसर का रहना बेकार है । अधिकरण के निर्णयों से उपभोक्ता असंतुष्ट रहते हैं मुकदमों की प्रक्रिया बहुत लम्बी होती है और मुकदमों में बहुत रुपया खर्च होता है ।

समिति ने यह सिफारिश की है कि असेसर प्रणाली समाप्त कर दी जाय और अधिकरण में एक सभापति हो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अवशेष दो सदस्य वाणिज्य उद्योग और आर्थिक स्थिति के जानकार व्यक्ति होने चाहियें । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि अधिकरण के क्षेत्राधिकार को संकुचित किया जाय । उनका यह कथन है कि सरकार के निर्णयों पर किसी संस्था द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वस्तुतः हमें उपभोक्ताओं के हित पर भी विचार करना है क्योंकि रेलवे एकाधिकार की स्थिति में हैं । लेकिन समिति ने यह कहा है कि रेलवे की आय पर किसी स्वतंत्र संस्था को हस्तक्षेप कर मिट्टी में नहीं मिला देना चाहिये । ज्ञात होता है समिति को उपभोक्ताओं से अधिक रेलवे की आय की चिन्ता है चाहे भाड़ा व्यवस्था कितनी ही अनुचित क्यों न हो । अतः मेरा सुझाव है कि इसका क्षेत्राधिकार संकुचित न किया जाय ।

समिति ने अधिकरण के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में यह सिफारिश की है कि यह रेलवे अधिनियम की धारा २८ के अन्तर्गत आने वाले मामलों का फैसला कर सकती है इसके अधीन सभी मामलों में अधिकरण का निर्णय अधिदेशात्मक होगा । लेकिन धारा ४१ (ङ) के अधीन आने वाले मामलों को समिति के क्षेत्राधिकार से हटा दिया गया है ।

वस्तुतः धारा ४१ (ङ) के अधीन आने वाले मामलों की संख्या अधिक होगी जिसका परिणाम यह होगा कि अधिकरण इन मामलों पर केवल सिफारिश कर सकेगी कोई अधिदेश नहीं दे सकेगी । अतः सरकार को इस सिफारिश को स्वीकार नहीं करना चाहिये । केवल इतना ही नहीं सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार करने का कोई कारण भी नहीं बताया है ।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि दूसरे वर्ग के मामलों में वकील पैरवी नहीं कर सकते । यह सिफारिश अव्यवहारिक है । वकील लोग मुकदमें की कार्यवाही शीघ्रता

†मूल अंग्रेजी में

से संचालय करने में सहायक ही होते हैं। इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि समिति को उपभोक्ताओं की जरा सी भी चिन्ता नहीं है। उसने रेलवे का हित ही सर्वोपरि रखा है।

इस विधेयक के विरुद्ध मेरी आपत्ति यह है कि इससे उपभोक्ताओं के हितों को चोट पहुंचेगी इसलिये मेरा निवेदन है कि अधिनियम की धारा ४१ के संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिकरण को व्यापक शक्तियां देनी चाहिये और उसके क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिये।

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलूक) : हमारे सामने अधिकरण के गठन का प्रश्न है।

†**श्री वे० प० नायर** (क्विलोन) : सभा में गणपूर्ति नहीं है। ज्ञात होता है अधिकांश सदस्य पोलो मैच देखने चले गये हैं। अतः सभा का कार्य स्थगित कर देना चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : एक माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव किया था कि विषय के महत्व को ध्यान में रख कर इस पर कल चर्चा की जा सकती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा में गणपूर्ति है इसलिये चर्चा जारी रह सकती है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : इसमें अधिकरण के गठन के सम्बन्ध में सिफारिश की गई है और सुझाव दिया गया है कि असेसर प्रणाली को समाप्त कर दिया जाय। निसंदेह असेसरों से बहुत लाभ नहीं होता था। अब वर्तमान गठन उससे अधिक उपयोगी सिद्ध होगा लेकिन मेरा सुझाव है कि जहां 'वाणिज्य उद्योग तथा देश की आर्थिक स्थिति के जानकार' शब्द रखे गये हैं वहां उनके स्थान पर 'कृषि के जानकार' शब्द रखे जांय।

रेलवे प्रशासन को यह अधिकार दिया गया है कि वह निर्णय के एक वर्ष बाद पुनः अधिकरण के समक्ष उसके निर्णय में परिवर्तन की अपील कर सकता है। और अधिकरण चाहे तो अपने निर्णय में संशोधन कर सकता है या उसका निरसन कर सकता है। लेकिन उपभोक्ता को यह अधिकार नहीं दिया गया है। इसके सिवा पहले उच्च न्यायालय के तीनों न्यायाधीश अलग अलग असेसरों के साथ बैठ कर फैसले कर सकते थे लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि मुकदमों के फैसले में विलम्ब होगा।

जहां तक वस्तुओं के करण का प्रश्न है वह इस प्रकार किया जाना चाहिये कि किसी व्यक्ति को अधिकरण तक शिकायत ले जाने की नौबत न आये, उचित वस्तुओं को पूर्व वर्तिता दी जानी चाहिये जिनसे उपभोगताओं को हानि न हो।

मैं आशा करता हूं अधिकरण जनता की शिकायतें दूर करेगा और शीघ्रतापूर्व कार्य करेगा।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं दो तीन बातों की तरफ सरकार का विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सिंहासन सिंह]

इस विधेयक के द्वारा मूल एक्ट की धारा २७-ए में संशोधन किया जा रहा है, जिस के अनुसार सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के माल के लिए कुछ सहूलियतें देने का विचार है, जो कि पहले भी थीं, लेकिन अब उन को ज्यादा साफ शब्दों में रखा जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि अगर वाकई गवर्नमेंट को-आपरेटिव सोसायटीज की तरक्की चाहती है और चाहती है कि को-आपरेटिव तरीके पर हमारे देश का व्यवसाय हो, तो यह जरूरी है कि उन को भी इस विधेयक में स्थान मिले और उन के माल के आने जाने में भी वही सुविधायें प्रदान की जायें, जो कि गवर्नमेंट अपने माल के लिए रख रही है। मैं ने यह देखा है कि गवर्नमेंट का यह विचार है कि खाने के मामले में—गल्ले के मामले में, छोटे छोटे उद्योग धंधों के मामले में योजना को तरक्की दी जाय लेकिन यह एक तथ्य है कि योजना की तरक्की में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत हद तक सहायक या बाधक हो सकती है। इस विधेयक में यह प्राविजन रखा गया है कि गवर्नमेंट के माल के सम्बन्ध में रेलवे एडमिनि-स्ट्रेशन (प्रशासन) को डायरेक्ट (निदेश) किया जा सकता है कि वह उस माल को प्रैफरंस (पूर्व वर्तिता) दे। अगर को-आपरेटिव सोसायटी के माल के लिए भी यह सुविधा दे दी जाय, तो उन को बहुत प्रोत्साहन मिल सकता है और उन के कार्य में बहुत तरक्की हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि इस की आवश्यकता क्यों है। व्यक्तिगत व्यापारी तो किसी न किसी प्रकार से अपना काम ठीक कर लेता है। उस को गाड़ी भी मिल जाती है और माल भी आ जाता है, लेकिन कभी कभी सरकारी माल के आने में दिक्कत हुआ करती है। एक बार गोरखपुर में एक बिजली का कारखाना बन रहा था। उस के सिलसिले में कुछ कोयले की जरूरत थी और कुछ सीमेंट और चूना वगैरह चाहिए था। वह सब लखनऊ में पड़ा था। और लखनऊ से गोरखपुर के लिए डिब्बे नहीं मिल रहे थे। वहां के एक इंजीनियर ने मुझे कहा कि मैं कहां से, किस मद्द से घूंस ला कर दूं कि वह माल यहाँ आ सके। मेरे कहने का मतलब यह है कि कभी कभी गवर्नमेंट के माल के आने जाने में भी मजबूरी होती है। इसी तरह से को-आपरेटिव सोसायटीज के माल के आने जाने में भी दिक्कत पड़ती है। उन के खातों में भी लेन देन का खाता नहीं होता है कि वे कुछ ले दे कर अपना काम चला लें।

†**श्री उपाध्यक्ष महोदय** : श्री राने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

कार्य मंत्रणा समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

†**श्री राने** (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौदहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री सिंहासन सिंह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सिंहासन सिंह : मैं कह रहा था कि को-आपरेटिवज के उत्थान के लिए यह जरूरी है कि स्टेट और केन्द्रीय गवर्नमेंट को इस विधेयक के द्वारा जो सुविधा दी जा रही है, वह को-आपरेटिव सोसायटियों को भी दी जाय । गवर्नमेंट का यह उद्देश्य है कि हमारे देश में को-आपरेटिव कारोबार बढ़े । इस तरह वह उद्देश्य पूरा हो सकता है ।

इस के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि ट्राइब्यूनल की बनावट में जो तब्दीली की जा रही है, वह एक बड़ा आमूल परिवर्तन है । अब तक उस में केवल वही शख्स हो सकता था, जो कि हाई कोर्ट का जज रहा हो । लेकिन अब इस के अलावा दो ऐसे अन्य व्यक्ति भी रहेंगे, जिन को तिजारत का तजुर्बा हो, जो कि तिजारत से सम्बन्धित रहे हों । उन लोगों को ट्राइब्यूनल में बैठने का, रेट को निर्धारित करने का और झगड़ों इत्यादि का फैसला करने का उतना ही अधिकार है, जितना कि एक जज को पहले था । मेरे छोटे विचार में, अगर तिजारत से सम्बन्धित व्यक्तियों को यह उच्च स्थान दिया जा रहा है, तो, जैसा कि सामान्त जी ने कहा है, गृहस्थों को भी उस में क्यों न स्थान दिया जाय ? अगर विचार यह है कि इस ट्राइब्यूनल में सब इन्ट्रेस्ट्स को रिप्रेजैन्टेशन मिले, तो कृषक समाज को भी उस में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये । इस धारा में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : छोटे विचार का क्या मतलब है ?

श्री सिंहासन सिंह : जैसे आप छोटे हैं कद में ।

डा० राम सुभग सिंह (सहसराम) : आप को भी दिया जाय । आप को उस का चेयरमैन बना दिया जाय ।

श्री सिंहासन सिंह : मुझे ऐसा आभास होता है कि इस परिवर्तन के हो जाने के बाद काम ठीक तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि इन्ट्रेस्ट्स में क्लेश बढ़ेगा । ट्राइब्यूनल में जो कार्मिशियल इन्ट्रेस्ट है और जो गवर्नमेंट का इन्ट्रेस्ट है, रेट के मामले में दोनों का झगड़ा चलेगा और शायद ऐसे मौके न मिलें, जब कि उन में युनैनिमिटी हो ।

†**श्री दासप्पा** : अब सभा स्थगित की जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि सभा चाहती है तो कार्य स्थगित किया जा सकता है । सभा की क्या इच्छा है ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : सभा स्थगित की जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, ६ दिसम्बर, १९५७ को ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, ५ दिसम्बर, १९५७]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१८५५–८२
तारांकित प्रश्न संख्या		
८१४	संयुक्त राष्ट्र आपात सेना	१८५५-५६
८१५	"भारत १९५७"	१८५६
८१६	आयातों के लिये रुपयों में भुगतान	१८५७-५८
८१७	यूरोपीय सामान्य बाजार योजना	१८५८-६०
८१८	चाय का उत्पादन	१८६०–६१
८१९	आयात व्यापार नियंत्रण नीति	१८६१–६२
८२०	हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड	१८६२–६३
८२१	चाय का निर्यात	१८६४–६५
८२३	सीमा घटनाएं	१८६५–६६
८२४	सीमेंट का आयात	१८६६–६८
८२६	विस्थापित लोगों के दावे	१८६८
८२९	कच्ची फिल्म का कारखाना	१८६९
८३१	अणु शक्ति	१८६९–७०
८३५	भारत-लंका तम्बाकू करार	१८७१–७२
८३६	भारत-नैपाल व्यापार सन्धि	१८७२
८३७	आतिशबाजी	१८७२–७३
८३८	काजू के छिलके का तेल	१८७३–७४
८३९	भारतीय अर्थ शास्त्रियों को छात्रवृत्तियां	१८७४–७५
८४०	पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योग	१८७५–७६
८४२	नेपा पेपर मिल्स	१८७६–७८
८४३	कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योग	१८७८–७९
८४४	भारतीय गोल मिर्च	१८७९–८०
८४७	हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड	१८८०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
३	एडवर्ड टैक्सटाइल मिल (मद्रास)	१८८१-८२
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१८८२–१९१७
तारांकित प्रश्न संख्या		
८२२	हथकरघे के कपड़े का निर्यात	१८८२
८२५	आर्टस एम्पोरियम की दुकान	१८८३
८२७	पश्चिमी बंगाल की जूट मिलें	१८८३
८२८	जिप्सम माइन वर्क्स जामसर	१८८३
८३०	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड	१८८३–८४

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर––(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
८३२	आटो कारें	१८८४
८३३	भारतीय फिल्मों की निर्यात संवर्द्धन परिषद्	१८८४
८३४	'पिलग्रिमेज टू फ्रीडम' फिल्म	१८८४–८५
८४१	भारत सेवक समाज	१८८५
८४५	भारत-पाकिस्तान का सीमांकन	१८८५
अतारांकित प्रश्न संख्या		
११३२	त्रिपुरा में सुधार सम्बन्धी निर्माण कार्य	१८८५
११३३	काली बारूद	१८८५–८६
११३४	सैलमों मछली	१८८६
११३५	भारत का विदेशी व्यापार	१८८६–८७
११३६	लम्बे रेशे की रूई का आयात	१८८७
११३७	प्लास्टिक उद्योग	१८८७
११३८	छतरियों के कारखाने	१८८८
११३९	दवाइयों का उत्पादन	१८८८
११४०	रेशम के कारखाने	१८८८-८९
११४१	रूस को जूतों का निर्यात	१८८९
११४२	अन्तर्दाह इंजन तथा शक्ति-चालित पम्प	१८८९
११४३	उष्मसह ईंटें	१८८९-९०
११४४	विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण की सुविधायें	१८९०–९२
११४५	दस्तकारी में प्रशिक्षण के लिये दूसरी संस्था	१८९२
११४६	सामग्री की खरीद	१८९२
११४७	महिलाओं को दस्तकारी का प्रशिक्षण	१८९२–९३
११४८	कोयले की खानों और मिलों का बन्द किया जाना	१८९३
११४९	औद्योगिक विवाद	१८९३
११५०	खानों तथा कारखानों में हड़तालें व तालाबन्दियां	१८९३
११५१	श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण पंचाट	१८९४
११५२	श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण	१८९४
११५३	महिला कल्याण केन्द्र	१८९४
११५४	खान मजदूर कल्याण केन्द्र	१८९५
११५५	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	१८९५
११५६	स्व-चालित करघे	१८९५
११५७	ऊनी कपड़ा	१८९५-९६
११५८	मशीनी खिलौने का उद्योग	१८९६
११५९	बाट तथा माप की मीट्रिक प्रणाली	१८९६
११६०	नियोजन पदाधिकारी	१८९७

प्रश्नो के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
११६१	मालिक-मजदूरों के सम्बन्धों का अध्ययन	१८६७
११६२	बाट तथा माप की मीट्रिक प्रणाली	१८६७–६८
११६३	उत्पादकता बढ़ाने का आन्दोलन	१८६८
११६४	उत्पादकता बढ़ाने का आन्दोलन	१८६८
११६५	साबुन का आयात	१८६६
११६६	जूतों का उत्पादन	१८६६
११६७	मशीनी औजार उद्योग	१८६६-१६००
११६८	सीमेंट का वितरण	१६००
११६६	सीमेंट के कारखाने	१६०१
११७०	तांबा	१६०१
११७१	इमली के बीज	१६०१-०२
११७२	काड तथा शार्क मछली के तेल	१६०२
११७३	भारतीय राजदूतावास की इमारतें	१६०३
११७४	जिले की योजनायें	१६०३
११७५	छोटे पैमाने के उद्योग	१६०३
११७६	बम्बई का हथकरघा उद्योग	१६०३-०४
११७७	चीनी के कारखानों में श्रमिकों सम्बन्धी विवाद	१६०४
११७८	पुनर्वास और रोजगार का महानिदेशालय	१६०४
११७६	टेलीविजन	१६०४
११८०	लोक नत्यों के सम्बन्ध में प्रलेखीय चल-चित्र	१६०४-०५
११८१	सीमेंट	१६०५
११८२	प्रधान मंत्री के घर पर चल-चित्र का प्रदर्शन	१६०५
११८३	स्थानीय विकास कार्य	१६०५–०७
११८४	विस्थापित व्यक्तियों के लिये इमारती सामान	१६०७
११८५	विदेशों को प्रतिनिधि मंडल	१६०७
११८६	प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया	१६०८
११८७	दिल्ली नगरपालिका	१६०८
११८८	हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड	१६०८
११८६	स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों पर अधिकार	१६०६
११६०	बम्बई राज्य का औद्योगिक विकास	१६०६
११६१	चाय जिला मजदूर संघ	१६०६
११६२	सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	१६१०
११६३	सिन्दरी फर्टिलाइजर फैक्टरी	१६११
११६४	राज्य व्यापार निगम	१६११
११६५	राजसहायताप्राप्त औद्योगिक आवास योजना	१६११
११६६	कनाडा के साथ व्यापार	१६१२
११६७	नई दिल्ली का ब्राडकास्टिंग हाउस	१६१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
११९८	अगरतला में काम दिलाऊ दफ्तर . . .	१९१२
११९९	बिजली का भारी सामान	१९१३
१२००	पंजाब में काम दिलाऊ दफ्तर	१९१३
१२०१	उल्हासनगर बस्ती	१९१४
१२०२	जर्मनी में भारतीय	१९१४
१२०३	वायदा व्यापार	१९१४
१२०४	आकाशवाणी	१९१४
१२०५	अणुशक्ति विभाग की १५-वर्षीय योजना . . .	१९१५
१२०६	विदेशों में स्थित दूतावासों के कर्मचारी . . .	१९१५
१२०७	जालन्धर में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां . .	१९१५—१६
१२०८	विस्थापित व्यक्ति	१९१६
१२०९	पंजाब में शिक्षित बेकार	१९१६
१२१०	सरकारी कर्मचारियों के लिये रहने के क्वार्टर . .	१९१६—१७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १९१७

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये

(१) वस्त्र (विद्युच्चालित करघों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश, १९५६ में संशोधन करने वाली दिनांक १६ नवम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३७१९ की एक प्रति।

(२) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त की वर्ष १९५६—५७ की वार्षिक प्रतिवेदन (भाग १ तथा २) की एक प्रति।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उपधारा ६ के अन्तर्गत दिनांक २६ नवम्बर, १९५७ की अधिसूचना (संख्या पी० एण्ड डी० १९(१)।५६ की एक प्रति।

विधेयक पुरस्थापित . . . . १९१७—२०

(१) निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक

(२) संसद्-(अनर्हता निवारण) विधेयक

विधेयक पारित . . . . १९२०—४६

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार किया गया और पारित हुए :—

(१) भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में।

(२) कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक

विषय	पृष्ठ
विचाराधीन विधेयक	१९४६–५१
रेलवे उपमंत्री श्री (शाहनवाज खां) ने भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । चर्चा असमाप्त रही ।	
कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित .	१९५०
चौदहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
शुक्रवार, ६ दिसम्बर, १९५७ के लिये कार्यावलि—	
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर अग्रेतर चर्चा ।	